



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2016-17



हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2016-17

हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोजन लेखे
2016 - 17
विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(iii)
विनियोग लेखों का सारांश	(v-xv)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(xvii-xix)
अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	
1. विधान सभा	.. 1-5
2. राज्यपाल और मन्त्री- परिषद	.. 6-9
3. न्याय प्रशासन	.. 10-16
4. सामान्य प्रशासन	.. 17-28
5. भू-राजस्व और जिला प्रशासन	.. 29-41
6. आबकारी और कराधान	.. 42-46
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	.. 47-58
8. शिक्षा	.. 59-78
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	.. 79-101
10. लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	.. 102-117
11. कृषि	.. 118-126
12. उद्यान	.. 127-133
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	.. 134-164
14. पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	.. 165-176
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	.. 177-188
16. वन और वन्य जीवन	.. 189-199
17. निर्वाचन	.. 200-201
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	.. 202-207
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	.. 208-231
20. ग्रामीण विकास	.. 232-241
21. सहकारिता	.. 242-244
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	.. 245-249
23. विद्युत विकास	.. 250-254
24. मुद्रण और लेखन सामग्री	.. 255-257
25. सड़क और जल परिवहन	.. 258-260
26. पर्यटन और नागर विमानन	.. 261-263
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	.. 264-273
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	.. 274-283
29. वित्त	.. 284-301

विनियोजन लेखे
2016 - 17
विषय-सूची

अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या		पृष्ठ
30. विविध सामान्य सेवाएं	..	302-310
31. जनजातीय विकास	..	311-405
32. अनुसूचित जाति उपयोजना	..	406-468
परिशिष्ट		
वर्ष 2016-17 के लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुदानवार विवरण	..	469

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में सलंग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

इन लेखाओं में:-

‘मूल’ का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।

‘पूरक’ का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।

‘पुनर्वि0’ का तात्पर्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या VS-PAC(A.G) 7-6/1998 विधान सभा दिनांक 13 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

बचत

बचत ₹ 20 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियां की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 8 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

आधिक्य

यदि आधिक्य ₹ 15 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 6 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियां की जानी चाहिए।

विनियोग लेखाओं का सारांश

विनियोग
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
	(₹ हजार में)	
1- विधान सभा-		
दत्तमत	30,23,98	3,92,13
प्रभारित	69,39	..
2- राज्यपाल और मन्त्रि-परिषद-		
दत्तमत	17,67,02	..
प्रभारित	5,78,64	..
3- न्याय प्रशासन-		
दत्तमत	1,51,01,72	57,08,17
प्रभारित	40,85,33	..
4- सामान्य प्रशासन-		
दत्तमत	1,67,97,12	6,57,50
प्रभारित	10,46,53	..
5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन-		
दत्तमत	7,26,48,37	10,87,54
प्रभारित
6- आबकारी और कराधान-		
दत्तमत	62,00,34	1,50,00
प्रभारित	80,50	..
7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन-		
दत्तमत	10,92,66,22	56,19,74
प्रभारित
8- शिक्षा-		
दत्तमत	52,62,90,99	1,16,86,36
प्रभारित	1,60	..
9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-		
दत्तमत	16,18,39,84	2,60,77,09
प्रभारित	8,59	..
10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-		
दत्तमत	28,04,77,49	9,95,25,68
प्रभारित	..	69,99,44

लेखे
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
29,84,91	3,81,70	39,07	10,43
69,57	18	..
				(17,900)	
17,82,34	15,32	..
				(15,31,566)	
5,44,76	..	33,88
1,41,19,74	57,08,18	9,81,98	1
					(531)
34,90,27	..	5,95,06
1,56,34,87	6,57,50	11,62,25
9,24,21	..	1,22,32
6,42,12,54	8,03,10	84,35,83	2,84,44
..
60,16,06	1,50,00	1,84,28
..	..	80,50
10,55,58,13	42,51,74	37,08,09	13,68,00
..
43,97,95,25	1,16,30,50	8,64,95,74	55,86
1,60
13,22,49,44	2,57,84,23	2,95,90,40	2,92,86
8,59
27,90,89,19	11,03,25,63	13,88,30	1,07,99,95
					(1,07,99,94,918)
..	38,20,95	..	31,78,49

विनियोग
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
	(₹ हजार में)	
11- कृषि-		
दत्तमत	3,59,44,06	59,82,36
प्रभारित
12- उद्यान-		
दत्तमत	2,58,07,78	14,28,42
प्रभारित
13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-		
दत्तमत	24,10,35,78	5,83,45,30
प्रभारित	64,97	..
14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-		
दत्तमत	3,19,68,00	5,66,09
प्रभारित
15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना-		
दत्तमत	83,14,80	2,73,27,00
प्रभारित
16- वन और वन्य जीवन-		
दत्तमत	4,54,47,76	8,40,02
प्रभारित	44,14	..
17- निर्वाचन-		
दत्तमत	28,64,09	..
प्रभारित
18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-		
दत्तमत	1,08,22,09	56,40,16
प्रभारित	90	..
19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-		
दत्तमत	6,78,19,35	14,97,58
प्रभारित
20- ग्रामीण विकास-		
दत्तमत	12,18,40,65	3,84,00
प्रभारित	7,43	..

लेखे
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
3,32,40,35	59,78,29	27,03,71	4,07
..
2,40,85,35	14,28,07	17,22,43	35
..
25,98,64,58	3,97,73,49	..	1,85,71,81	1,88,28,80	..
64,97	(1,88,28,80,059)	..
2,84,50,02	5,56,45	35,17,98	9,64
..
54,75,05	2,54,31,79	28,39,75	18,95,21
..
3,96,97,85	5,34,63	57,49,91	3,05,39
67,01	22,87	..
				(22,87,000)	
28,41,57	..	22,52
..
99,76,05	56,39,56	8,46,04	60
90
6,57,41,16	10,52,96	20,78,19	4,44,62
..
10,96,79,15	3,84,00	1,21,61,50
6,78	..	65

विनियोग
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
	(₹ हजार में)	
21- सहकारिता- दत्तमत	44,37,91	39,79,22
प्रभारित
22- खाद्य और नागरिक आपूर्ति- दत्तमत	2,36,43,00	1,96,03
प्रभारित	5,00	..
23- विद्युत विकास- दत्तमत	9,66,99,70	4,71,65,01
प्रभारित
24- मुद्रण और लेखन सामग्री- दत्तमत	29,45,13	..
प्रभारित
25- सड़क और जल परिवहन- दत्तमत	2,93,53,94	45,95,00
प्रभारित
26- पर्यटन और नागर विमानन- दत्तमत	1,03,69,83	3,64,00
प्रभारित	..	3,85,87
27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण- दत्तमत	2,41,22,84	58,72,01
प्रभारित
28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास- दत्तमत	5,81,73,21	24,83,00
प्रभारित
29- वित्त- दत्तमत	42,81,54,86	13,02,43
प्रभारित	34,00,00,01	38,88,91,67
30- विविध सामान्य सेवाएं- दत्तमत	97,29,38	65,43,66
प्रभारित

लेखे
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
34,14,68	39,79,22	10,23,23
..
1,95,38,19	1,96,00	41,04,81	3
5,00
8,20,64,35	31,58,66,43	1,46,35,35	26,87,01,42 (26,87,01,42,000)
..
23,43,56	..	6,01,57
..
2,92,47,45	45,94,00	1,06,49	1,00
..
1,03,44,45	3,64,00	25,38
..	3,85,87
1,69,24,75	53,98,00	71,98,09	4,74,01
..
5,39,98,29	24,82,91	41,74,92	9
..
41,83,84,76	11,51,37	97,70,10	1,51,06
33,58,91,17	39,42,83,95	41,08,84	53,92,28 (53,92,28,497)
84,28,92	64,88,13	13,00,46	55,53
..

विनियोग
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
	(₹ हजार में)	
31- जनजातीय विकास-		
दत्तमत	10,33,37,52	2,73,82,16
प्रभारित
32- अनुसूचित जाति उप योजना		
दत्तमत	11,26,06,55	8,36,09,10
प्रभारित
जोड़		
दत्तमत	2,68,88,51,32	43,64,06,76
प्रभारित	34,59,93,03	39,62,76,98
सकल जोड़	3,03,48,44,35	83,26,83,74

लेखे
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
8,55,52,13	2,52,93,98	1,77,85,39	20,88,18
..
8,04,92,13	7,36,78,17	3,21,14,42	99,30,93
..
2,45,12,27,26	67,99,64,03	25,64,68,18	3,59,44,11	1,88,44,12	27,95,01,37
				(1,88,44,11,625)	(27,95,01,37,449)
34,10,74,82	39,84,90,77	49,41,26	31,78,49	23,05	53,92,28
				(23,04,900)	(53,92,28,497)
2,79,23,02,08	1,07,84,54,80	26,14,09,44	3,91,22,60	1,88,67,17	28,48,93,66
				(1,88,67,16,525)	(28,48,93,65,946)

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

वर्ष 2016-17 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया।
निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 2- राज्यपाल और मन्त्रि-परिषद-
- 13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

पूंजीगत प्रवर्ग

- 3- न्याय प्रशासन-
- 10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-
- 23- विद्युत विकास-

निम्नलिखित अनुदानों में भी विनियोजन से आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 1- विधान सभा-
- 16- वन और वन्य जीवन-

पूंजीगत प्रवर्ग

- 29- वित्त-

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (परिशिष्टानुसार पृष्ठ संख्या 469) सम्मिलित नहीं होती है, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(समाप्त)

वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	34,10,74,82	39,84,90,76	2,45,12,27,26	67,99,64,03
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	25,78,79,99	52,98,95
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है	34,10,74,82	39,84,90,76	2,19,33,47,27	67,46,65,08

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट के पृष्ठ संख्या 469 पर दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाञ्छरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाए और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक: 21 नवम्बर 2017
स्थान: नई दिल्ली


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1-विधान सभा

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	26,43,32			
		30,23,98	29,84,91	(-)39,07
पूरक	3,80,66			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				34,46
प्रभारित				
मूल	47,46			
		69,39	69,57	+18
पूरक	21,93.			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,10,00			
		3,92,13	3,81,70	(-)10,43
पूरक	82,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				24,59

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन प्रावधान में ₹ 17,900 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

(ii) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 39.07 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 3,80.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

(iii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 10.43 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 82.13 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 24.59 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विधान मंडल

02- राज्य/संघ राज्य विधान मंडल-

103- विधान सभा सचिवालय-

01- विधान मण्डल/सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	14,44.30			
		12,65.75	12,64.11	(-)1.64
पुनर्वि०	(-)1,78.55			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,78.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि बाह्य स्रोत के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर अधिक व्यय और पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विधान मंडल

02- राज्य/संघ राज्य विधान मंडल-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

101- विधान सभा -

01- हिमाचल प्रदेश विधान सभा-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-

योजनेतर

मूल	28.00			
		35.00	35.00	..
पुनर्वि०	7.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.00 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश विधान सभा/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा अधिक ऐच्छिक निधि जारी करने के कारण हुआ।

03- हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य -

योजनेतर

मूल	9,04,17			
पूरक	3,80.66	14,12.66	14,12.66	..
पुनर्वि०	1,27.83			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,27.83 लाख का आवर्धन मुख्यतः माननीय विधायकों के आयकर के अधिक भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति और दूरभाष, जल प्रभार और बिजली के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

04- पूर्व-सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा-

योजनेतर

मूल	2.40			
		15.18	15.18	..
पुनर्वि०	12.78			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.78 लाख का आवर्धन पूर्व सदस्यों के दौरों पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि -

- 202- मोटर वाहनों को क्रय करने के लिए अग्रिम-
05- विधान सभा सदस्यों को मोटर कारें
खरीदने के लिए अग्रिम-

योजनेतर

मूल	1,00.00			
		42.13	42.13	..
पुनर्वि०	(-)57.87			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.87 लाख की कमी विधान सभा सदस्यों द्वारा मोटर-कारें खरीदने के लिए अग्रिम की कम मांग के कारण हुई।

- (vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण -

- 201- भवन निर्माण अग्रिम-
04- भवन निर्माण अग्रिम/माननीय विधायकों
को गृह निर्माण अग्रिम ऋण -

योजनेतर

मूल	2,00.00			
पूरक	50.00	2,44.03	2,58.20	+14.17
पुनर्वि०	(-)5.97			

₹ 14.17 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 06- पूर्व विधायकों को आवास ऋण-

योजनेतर

मूल	5.00			
पूरक	32.13	45.00	45.00	..
पुनर्वि०	7.87			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (समाप्त)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.87 लाख का आवर्धन गृह निर्माण अग्रिम की अधिक मांग के कारण हुआ।

202- मोटर वाहनों को क्रय करने के लिए अग्रिम-

06- पूर्व विधायकों को मोटर-कारे खरीदने के लिए अग्रिम-

योजनेतर

मूल	5.00			
		36.38	36.38	..
पुनर्वि०	31.38			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.38 लाख का आवर्धन मोटर -कारें खरीदने के लिए अग्रिम की अधिक मांग के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 2-राज्यपाल और मंत्री परिषद्

शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013- मंत्रीपरिषद तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	11,06,39			
		17,67,02	17,82,34	+15,32
पूरक	6,60,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	5,78,64			
		5,78,64	5,44,76	(-)33,88
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15,31,566 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15.32 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 6,60.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 33.88 लाख की कुल बचत हुई जबकि विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में आधिक्य निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	-----------------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

2013- मंत्रीपरिषद-

- 101- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-
01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों की परिलब्धियां-
योजनेतर

मूल	7,26.34			
पूरक	4,44.51	11,73.16	11,88.43	+15.27
पुनर्वि०	2.31			

₹ 15.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

- (v) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	-----------------	---------------------------------	-----------------------

**2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य
क्षेत्रों के प्रशासक-**

- 03- राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-
090- सचिवालय-
01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	3,28.49			
		2,83.69	2,83.61	(-)0.08
पुनर्वि०	(-) 44.80			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 44.80 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 103- पारिवारिक स्थापना-
01- राज्यपाल की पारिवारिक स्थापना-

योजनेतर

मूल	2,04.63			
		1,84.49	1,84.48	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)20.14			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 20.14 लाख की कमी जल, दूरभाष तथा विद्युत प्रभारों पर कम व्यय और कर्मचारियों द्वारा दौरो पर कम व्यय के कारण हुई।

108- यात्रा व्यय-

01- राज्यपाल तथा उनकी स्थापना
के लिए यात्रा व्यय-

योजनेतर

मूल 10.00

4.35

4.35

..

पुनर्वि० (-)5.65

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5.65 लाख की कमी कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरो पर कम व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

06- मरम्मतें-

योजनेतर

मूल 3.10

..

..

..

पुनर्वि० (-)3.10

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.10 लाख का समस्त विनियोजन मरम्मतों पर कम व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष

कुल
विनियोजन

वास्तविक
व्यय

आधिक्य (+)
बचत (-)

(₹ लाख में)

**2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ
राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-**

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

104- सत्कार भत्ता-

01- राज्यपाल के सत्कार भत्ते-

योजनेतर

मूल 2.00

12.65

12.65

..

पुनर्वि० 10.65

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (समाप्त)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 10.65 लाख का आवर्धन सत्कार भत्तों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

110- राजकीय वाहन तथा मोटर कार-

01- राज्यपाल के लिए मोटर कार खरीदना-

योजनेतर

मूल	0.02			
		26.30	26.30	..
पुनर्वि०	26.28			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 26.28 लाख का आवर्धन राज्यपाल के लिए नये वाहन खरीदने के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय-

03- विद्युत-

योजनेतर

मूल	3.50			
		7.29	7.29	..
पुनर्वि०	3.79			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.79 लाख का आवर्धन विद्युत बिल पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216- आवास तथा 4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,37,41,51		
	1,51,01,72	1,41,19,74	(-)9,81,98
पूरक	13,60,21		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			9,89,69
प्रभारित			
मूल	40,85,33		
	40,85,33	34,90,27	(-)5,95,06
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			5,93,96
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	7,95,01		
	57,08,17	57,08,18	+1
पूरक	49,13,16		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 531 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,81.98 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 13,60.21 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 9,89.69 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

05- ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (चरण -II)

योजनेतर

पूरक	5,22.09		
		2,38.38	2,53.34
पुनर्वि०	(-)2,83.71		14.96

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,83.71 लाख की कमी ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट पर कम व्यय के कारण हुई।

105- सिविल और सत्र न्यायालय-

01- नागरिक तथा सत्र न्यायालयों स्थापना-

योजनेतर

मूल	1,03,24.21		
		98,13.18	97,94.73
पुनर्वि०	(-) 5,11.03		(-)18.45

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,11.03 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता -

02- अन्य विधि अधिकारी -

योजनेतर

मूल	18,58.35		
		15,41.84	15,41.58
पुनर्वि०	(-) 3,16,51		(-)0.26

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,16.51 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि नये कार्यालयों के लिए फर्नीचर, नए वाहनों की खरीद तथा परामर्शदाता शुल्क भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मतें-

57- लोकायुक्त भवन का रखरखाव -

योजनेतर

(i) मूल 1.07

पुनर्वि० (-)1.07

86- हिमाचल प्रदेश राज्य न्यायायिक अकादमी
भवनों का रखरखाव-**योजनेतर**

(ii) मूल 1.07

पुनर्वि० (-)1.07

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में ₹ 2.14 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा मरम्मत कार्यों पर कोई भी व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -

105- विशेष जाँच आयोग-

04- हिमाचल प्रदेश राज्य
मानव अधिकार आयोग-**योजनेतर**

मूल 24.63

पुनर्वि० (-)24.63

₹ 24.63 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा कार्यालय की स्थापना न होने के कारण कम कर दिया गया ।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2014- न्याय प्रशासन-

108- दण्ड न्यायालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

01- गवाहों को यात्रा तथा भोजन राशि-

योजनेतर

मूल	74.39			
		89.35	89.35	..
पुनर्वि०	14.96			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.96 लाख का आवर्धन गवाहों की यात्रा तथा भोजन राशि पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता -

01- महाधिवक्ता-

योजनेतर

मूल	7,23.41			
पूरक	1,55.00	8,95.30	8,94.82	(-)0.48
पुनर्वि०	16.89			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.89 लाख का आवर्धन मुख्यतः पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत, दैनिक दिहाड़ी की दरों में वृद्धि और नगर-निगम कारों के भुगतान पर हुए व्यय के कारण हुआ।

116- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-

01- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-

योजनेतर

मूल	3,94.51			
पूरक	2,00.00	6,34.56	6,34.39	(-)0.17
पुनर्वि०	40.05			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.05 लाख का आवर्धन नए फर्नीचर तथा नए वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल, स्नेहक वाहनों की मरम्मत और लम्बित पड़े हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारों पर हुए व्यय के कारण हुआ जोकि कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने और चतुर्थ श्रेणी वर्ग कर्मचारियों की वर्दी के लिए कम पात्रता के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

800- अन्य व्यय -

02- हिमाचल प्रदेश राज्य विधि

सेवाएं प्राधिकरण-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

मूल	1,37,79			
पूरक	1,15.00	3,33.06	3,33.03	(-)0.03
पुनर्वि०	80.27			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.27 लाख का आवर्धन नए फर्नीचर व संगणकों की खरीद, कर्मचारियों को मानदेय भुगतान, पट्रोल, तेल, स्नेहक व वाहनों की मरम्मत और नगर-निगम सम्पत्ति कर के भुगतान पर हुए व्यय के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत के अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

04- पीडित क्षतिपूर्ति योजना -

योजनेतर

मूल	0.01			
		10.80	10.80	..
पुनर्वि०	10.79			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.79 लाख का आवर्धन पीडित क्षतिपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

2059- लोक निर्माण कार्य -

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव तथा मरम्मतें -

38- उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय भवनों का रख रखाव-

योजनेतर

मूल	31.19			
		32.33	45.58	+13.25
पुनर्वि०	1.14			

₹ 13.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्रित थे (जुलाई 2017)।

(v) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-

योजनेतर

मूल	37,26.60			
		32,25.75	32,25.22	(-)0.53
पुनर्वि०	(-) 5,00.85			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 5,00.85 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद, सेवा निवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के लिये कर्मचारियों की तैनाती और उच्च न्यायालय के डिजिटिकरण पर हुए अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2062- सर्तकता-

103- लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त-

01- लोकायुक्त-

योजनेतर

मूल	3,58.73			
		2,65.62	2,65.05	(-)0.57
पुनर्वि०	(-)93.11			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 93.11 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई -

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत-

01- कार्यालय भवन -

051- निर्माण

15- न्यायपालिका संरचना का उत्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	18.00			
		8,19.00	7,77.87	(-) 41.13
पूरक	8,01.00			

₹ 41.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2017) जबकि भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान ₹ 8,19.00 लाख था।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई -

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (समाप्त)

4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन -

051- निर्माण-

15- न्यायपालिका संरचना का उत्थान -

योजनागत

मूल	1,98.00			
		3,10.16	3,51.16	+41.00
पूरक	1,12.16			

₹ 41.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 4- सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय - सामाजिक सेवाएं, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय- आर्थिक सेवाएं तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,67,97,12			
		1,67,97,12	1,56,34,87	(-)11,62,25
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				12,02,86
प्रभारित				
मूल	8,32,61			
		10,46,53	9,24,21	(-)1,22,32
पूरक	2,13,92			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,19,88
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,00,00			
		6,67,50	6,67,50	..
पूरक	1,57,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 11,62.25 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 12,02.86 लाख का अभ्यर्पण सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,22.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 2,13.92 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	-----------------------

2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-

090- सचिवालय-

01- मुख्य सचिवालय-

योजनेतर

मूल	55,41.11			
		40,89.85	40,89.86	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)5,51.26			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,51.26 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि मुख्यतः नए संगणकों की खरीद, वेतन के लिए अनुदान जारी करने तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- राजस्व विभाग-

योजनेतर

मूल	5,38.84			
		4,82.21	4,82.21	..
पुनर्वि०	(-)56.63			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 56.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- गृह विभाग-

योजनेतर

(i) मूल	3,59.47			
		2,60.90	2,60.90	..
पुनर्वि०	(-)98.57			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

06- वित्त विभाग-

योजनेतर

(ii) मूल	6,57.09			
		5,88.67	5,88.66	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)68.42			

07- विधि विभाग-

योजनेतर

(iii) मूल	4,15,58			
		2,95.27	2,95.27	..
पुनर्वि०	(-)1,20.31			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,87.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

091- संलग्न कार्यालय-

01- आवासीय आयुक्त -

योजनेतर

मूल	2,33.49			
		2,02.57	2,02.38	(-)0.19
पुनर्वि०	(-)30.92			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत कर्मचारी वर्ग के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2075- विविध सामान्य सेवाएँ-

104- विविध सामान्य सेवाएँ -

01- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन
तथा पुरस्कार-
युद्ध जागीरों पर व्यय

योजनेतर

मूल	43.65			
		33.08	33.08	..
पुनर्वि०	(-)10.57			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.57 लाख की कमी युद्ध जागीरों से अदायगी के मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

800- अन्य व्यय-

09- अन्य विविध संगठनों को सहायता-

योजनेतर

मूल 5.44

4.24

4.24

..

पुनर्वि० (-)1.20

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.20 लाख की कमी सैनिक कल्याण के लिए सहायता मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- 65 वर्ष से अधिक उम्र क भूत पूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान-

योजनेतर

मूल 6,07.50

5,57.14

5,57.14

..

पुनर्वि० (-)50.36

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.36 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।

14- अन्य उद्देश्यों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं-

योजनेतर

मूल 17,00.00

15,92.62

15,92.62

..

पुनर्वि० (-)1,07.38

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.38 लाख की कमी हेलिकॉप्टर सेवाओं पर हुए कम व्यय के कारण हुई।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

800- अन्य व्यय-

04- सम्पदा प्रबंधन-

योजनेतर

मूल 88.19

53.43

53.27

(-)0.16

पुनर्वि० (-)34.76

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.76 लाख की कमी मुख्यतः

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	2,61.19			
		1,77.05	1,77.04	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)84.14			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 84.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

04- विशेष रोजगार कार्यालय-

योजनेतर

मूल	29.18			
		21.03	21.02	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)8.15			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सैनानी कल्याण
कोष-

योजनेतर

मूल	5,85.00			
		4,60.12	4,60.12	..
पुनर्वि०	(-)1,24.88			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24.88 लाख की कमी पेंशन मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

09- मृत स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार हेतु अनुग्रहित
अनुदान-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

मूल	4.00			
		2.80	2.80	..
पुनर्वि०	(-)1.20			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.20 लाख की कमी स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार पर कम व्यय के कारण हुई।				
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-				
090- सचिवालय				
01- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग -				
योजनेतर				
(i) मूल	3,15.79			
		2,68.33	2,68.33	..
पुनर्वि०	(-)47.46			
02- स्थानीय स्व-शासन सरकार विभाग-				
योजनेतर				
(ii) मूल	1,16.54			
		1,00.07	1,00.07	..
पुनर्वि०	(-)16.47			
03- शिक्षा विभाग-				
योजनेतर				
(ii) मूल	3,12.97			
		2,43.19	2,43.19	..
पुनर्वि०	(-)69.78			
04- भाषा, संस्कृति मामलों एवं कल्याण विभाग-				
योजनेतर				
(iv) मूल	1,62.47			
		83.29	83.29	..
पुनर्वि०	(-)79.18			
05- आवास विभाग-				
योजनेतर				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

(v) मूल	84.51			
		48.37	48.37	..
पुनर्वि०	(-)36.14			
06- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-				
योजनेतर				
(vi) मूल	1,27.82			
		64.51	64.51	..
पुनर्वि०	(-)63.31			
08- युवा सेवा एवं कल्याण विभाग-				
योजनेतर				
(vii) मूल	81.22			
		53.38	53.38	..
पुनर्वि०	(-)27.84			
3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-				
60- अन्य -				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग -				
योजनेतर				
(viii) मूल	2,28.94			
		2,14.25	2,10.65	(-)3.60
पुनर्वि०	(-)14.69			
02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग -				
योजनागत				
(xi) मूल	1,10.00			
		72.00	72.00	..
पुनर्वि०	(-)38.00			
उपरोक्त नौ मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,92.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरों के कारण हुए व्यय के आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ-				
090- सचिवालय-				

24
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

01- कृषि विभाग-					
योजनेतर					
(i) मूल	2,39.17				
		2,15.08	2,15.07	(-)0.01	
पुनर्वि०	(-)24.09				
02- उद्यान विभाग--					
योजनेतर					
(ii) मूल	1,17,72				
		1,04.84	1,04.84	..	
पुनर्वि०	(-)12.88				
04- पशुपालन विभाग--					
योजनेतर					
(iii) मूल	1,06.39				
		86.95	86.95	..	
पुनर्वि०	(-)19.44				
06- वन फर्म एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग-					
योजनेतर					
(iv) मूल	2,73.99				
		1,98.21	1,98.20	(-)0.01	
पुनर्वि०	(-)75.78				
07- उद्योग विभाग-					
योजनेतर					
(v) मूल	2,33.30				
		2,07.34	2,07.34	..	
पुनर्वि०	(-)25.96				
07- विज्ञान एवं तकनीकी विभाग-					
योजनेतर					
(vi) मूल	85.00				
		55.50	55.50	..	
पुनर्वि०	(-)29.50				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,87.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	-----------------------

2051- लोक सेवा आयोग-

103- कर्मचारी चयन आयोग-

01- हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ
सेवाएं चयन बोर्ड-

योजनेतर

मूल	4,33.32			
		6,01.17	6,01.17	..
पुनर्वि०	1,67.85			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,67.85 लाख का आवर्धन विभिन्न पदों के लिए परिक्षाओं के आयोजन और नए वाहनों की खरीद के कारण हुआ जोकि विज्ञापन एवं प्रभार पर हुए कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2059-लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत -

27- सचिवालय भवनों के रखरखाव
पर व्यय-

योजनेतर

मूल	19.85			
		1,94.13	1,94.12	(-) 0.01
पुनर्वि०	1,74.28			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.28 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश सचिवालय भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त (नई दिल्ली)
भवनों पर रखरखाव व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	6.42			
		1,06.42	1,06.42	..
पुनर्वि०	1,00.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन हिमाचल भवन, चण्डीगढ़ में सुविधाओं के रख रखाव/नवीकरण और उन्नयन पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 39- लोक सेवा आयोग के भवनों
का रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल	3.75			
		30.16	30.16	..
पुनर्वि०	26.41			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.41 लाख का आवर्धन भवनों के रखरखाव पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -

- 115- अतिथिग्रह, सरकारी हॉस्टल आदि-
01- अतिथि संगठन-

योजनेतर

मूल	72.85			
		1,46.93	1,45.58	(-).1.35
पुनर्वि०	74.08			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.08 लाख का आवर्धन बैठकों, सम्मेलनों तथा राजकीय अतिथियों के सत्कार पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 02- नई दिल्ली स्थित हिमाचल
भवन का प्रबन्धन-

योजनेतर

मूल	3,00.00			
		5,00,00	5,00,00	..
पुनर्वि०	2,00.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन हिमाचल सदन/भवन, नई दिल्ली की लंबित देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

2075-विविध सामान्य सेवाएँ-

800- अन्य व्यय-

13- सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संगठनों को सहायता--

योजनेतर

मूल	5.20			
		8.05	8.05	..
पुनर्वि०	2.85			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.85 लाख का आवर्धन गोरखा रेजिमेन्ट के स्थापना दिवस के आयोजन समारोह के लिए सहायता अनुदान अधिक जारी करने के कारण हुआ।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- रखरखाव एवं मरम्मत

01- अन्य रखरखाव व्यय-

योजनेतर

मूल	1,53.87	1,53.87	1,99.66	+45.79
-----	---------	---------	---------	--------

₹ 45.79 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- स्वतंत्रता सैनानी सम्मेलन संगठन -

योजनेतर

मूल	0.10			
		7.02	7.02	..
पुनर्वि०	6.92			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.92 लाख का आवर्धन राजकीय स्तर पर स्वतंत्रता सैनानी समारोह के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

23- हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड और

हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड-

योजनेतर

मूल	0.10			
		5.74	5.74	..
पुनर्वि०	5.73			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (समाप्त)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.73 लाख का आवर्धन नामित सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों के अधिक भुगतान के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	-----------------	---------------------------------	-----------------------

2051- लोक सेवा आयोग-

102- राज्य लोक सेवा आयोग-

01- राज्य लोक सेवा आयोग-

योजनेतर

मूल	8,32.61			
	2,13.92	9,26.65	9,24.21	(-)2.44
पुनर्वि०	(-)1,19.88			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 1,19.88 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भू-सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी तथा 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	6,32,46,71			
		7,26,48,37	6,42,12,54	(-)84,35,83
पूरक	94,01,66			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,01,99,85
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,00,00			
		10,87,54	8,03,10	(-)2,84,44
पूरक	87,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 84,35.83 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 94,01.66 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 1,01,99.85 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,84.44 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 87.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत प्रवर्ग में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2029- भू-राजस्व-

102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-

02- वन बन्दोबस्त तथा सीमाकंन-

योजनेतर

मूल	7,66.97			
		4,59.43	4,66.08	+6.65
पुनर्वि०	(-)3,07.54			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,07.54 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- बन्दोबस्त अधिकारी शिमला-

योजनेतर

मूल	24,59.30			
पूरक	0.01	13,84.17	1761.32	+3,77.15
पुनर्वि०	(-)10,75.14			

₹ 3,77.15 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा ₹ 10,75.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि परिषद शुल्क बिलों, नए वाहनों की खरीद तथा कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे करने पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई, अत्याधिक सिद्ध हुआ।
₹ 3,77.15 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जलाई 2017)।

04- बन्दोबस्त अधिकारी कांगड़ा-

योजनेतर

मूल	24,11.13			
पूरक	0.01	15,51.81	15,52.14	+0.33
पुनर्वि०	(-)8,59.33			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,59.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

103- भू-अभिलेख-

01- अधीक्षण-

योजनेतर

मूल	2,64,52			
पूरक	0.01	2,56.84	2,26.99	(-)29.85
पुनर्वि०	(-)7.69			

₹ 29.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.69 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पटवारी पद के लिए परीक्षा और साक्षात्कार के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई, जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 29.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

02- जिला स्थापना प्रभार-

योजनेतर

मूल	1,29,88.19			
		88,81.24	89,36.64	+55.40
पुनर्वि०	(-)41,06.95			

₹ 55.40 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41,06.95 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई, जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 55.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

04- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख

अभिकरणों का सुदृढीकरण जिला कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	25,80.93			
		16,04.42	16,04.61	+0.19
पुनर्वि०	(-)9,76,51			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,76,51 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि जल, विद्युत और दूरभाष बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

- 2053- जिला प्रशासन-**
093- जिला स्थापनाएं-
01- सामान्य स्थापना-

योजनेतर

मूल 1,34,36.30

93,91.34 1,08,17.93 (+)14,26.59

पुनर्वि० (-)40,44.96

₹ 14,26.59 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा ₹ 40,44.96 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों का कम नियमितिकरण होने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद और परिषद शुल्क बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई और अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 14,26.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 03- वक्फ न्यायाधिकरण पर व्यय-

योजनेतर

मूल 0.01

पूरक 37.14

28.32

16.83

(-)11.49

पुनर्वि० (-)8.83

₹ 11.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.83 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के कम नियमितिकरण और कर्मचारी वर्ग के कम दौरे करने के कारण हुई, जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 11.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 094- अन्य स्थापनाएं-

- 04- भूमि अधिग्रहण कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल 1,94.86

98.33

98.33

..

पुनर्वि० (-)96.53

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.53 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-**

- 02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि-

- 106- क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत और पुनः स्थापना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

01- सड़कों तथा पुलों की मरम्मत पर व्यय-

योजनेतर

मूल 2,47,99.71

60,43.45

60,43.45

..

पुनर्वि० (-)1,87,56.26

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,87,56.26 लाख की अत्याधिक कमी क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना पर कम व्यय के कारण हुई।

113- घरों की मरम्मत एवं पुनः स्थापन हेतु अनुदान-

01- घरों की मरम्मत और निर्माण पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक 5,60.00

5,60.00

5,39.99

(-)20.01

अनुपूरक अनुदान से प्राप्त ₹ 20.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2401- फसल, कृषि कर्म-

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

04- कृषि गणना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक 61.50

37.95

3.04

(-)34.90

पुनर्वि० (-)23.55

₹ 34.90 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 34.90 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2506- भूमि-सुधार

102- चकबन्दी-

02- जिला स्थापना-

योजनेतर

मूल 4,83.74

2,29.46

2,29.45

(-)1.01

पुनर्वि० (-)2,54.28

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,54.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

भरने के कारण और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- सिंचाई आँकड़ों की सुधार योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	51.60	32.92	3.08	(-)29.84
पुनर्वि०	(-)18.68			

₹ 29.84 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.68 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 32.72 लाख था।

₹ 29.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2029- भू-राजस्व-

103- भू-अभिलेख-

03- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख
अभिकरणों का सुदृढीकरण मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	1,23.93	4,59.41	4,60.17	+0.76
पुनर्वि०	3,35.48			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,35.48 लाख का आवर्धन पटवारियों के प्रशिक्षण अवधि के दौरान शिष्यवृत्ति पर अधिक व्यय, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्र नगर के लिये सुरक्षा टैंक के निर्माण पर व्यय तथा जल, विद्युत और दूरभाष बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-

02- स्टाम्प न्यायिकेतर-

101- स्टाम्पों की लागत-

01- केन्द्रीय भण्डार नासिक-

योजनेतर

मूल	1,66,00			
पूरक	10,86.73	22,62.07	22,93.85	+31.78
पुनर्वि०	10,09.34			

₹ 31.78 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,09.34 लाख का आवर्धन स्टाम्प और पंजीकरण पर अधिक व्यय के कारण हुआ, जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 31.78 लाख के अंतिम आधिक्य आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

03- पंजीकरण -

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01 पंजीकरण की योजना -

योजनेतर

(i) मूल	4.17			
		12.74	6.93	(-)5.81
पुनर्वि०	8.57			

2053- जिला प्रशासन-

094- अन्य स्थापनाएं-

01- उप मण्डलीय स्थापना-

योजनेतर

(ii) मूल	13,26.66			
		14,66.80	13,82.05	(-)84.75
पुनर्वि०	1,40.14			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 90.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,48.71 लाख का आवर्धन मुख्यतः महंगाई भते के बकाया की अदायगी के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 90.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

- 05- जिलाधीश कार्यालय की स्थापना पर व्यय
(राहत एवं पुनर्वास)-

योजनेतर

मूल	51.60			
		66.41	66.41	..
पुनर्वि०	14.81			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.81 लाख का आवर्धन मुख्यतः महंगाई भते के बकाया की अदायगी के कारण हुआ।

2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-

- 02- बाढ़, चक्रवात आदि-

- 101- आनुग्राहिक राहत-

- 01- नकद निर्वाह दान-

योजनेतर

मूल	0.01			
		30,69.08	30,68.98	(-)0.10
पुनर्वि०	30,69.07			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30,69.07 लाख का अत्याधिक आवर्धन नकद निर्वाह दान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 102- पेयजल आपूर्ति-

- 01- पेयजल पर व्यय

योजनेतर

मूल	0.01			
		1,20.00	1,20.00	..
पुनर्वि०	1,19.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,19.99 लाख का आवर्धन पेयजल योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 109- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी और मल निकासी कार्यों की मरम्मत एवं पुनःस्थापन-

- 01- पेयजल तथा मूल निकासी योजनाओं को हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

मूल	0.01			
		31,00.00	30,00.00	(-)1,00.00
पुनर्वि०	30,99.99			

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,99.99 लाख का अत्याधिक आवर्धन क्षतिग्रस्त जल और मल निकास योजनाओं की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-

01- अनुग्रहपूर्वक अनुदान-

योजनेतर

मूल	0.01			
		50.98.20	51,96.50	+ 98.30
पुनर्वि०	50,98.19			

₹ 98.30 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50,98.19 लाख का अत्याधिक आवर्धन शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 98.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

113- घरों की मरम्मत एवं पुनःस्थापन हेतु अनुदान-

01- घरों की मरम्मत/निर्माण पर व्यय-

योजनेतर

मूल	0.01			
		26,00.00	25,10.00	(-)90.00
पुनर्वि०	25,99.99			

₹ 90.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,99.99 लाख का आवर्धन घरों की मरम्मत एवं निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 90.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

116- किसानों को क्षतिग्रस्त नलकूपों, पंप

सेटो की मरम्मत हेतु सहायता -

01- नलकूपों तथा पम्पों को हुए नुकसान

की मरम्मत पर व्यय -

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	0.01			
		80.00	80.00	..
पुनर्वि०	79.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.99 लाख का आवर्धन नलकूपों तथा पर्मों आदि को हुए नुकसान की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

193- स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी संस्थानों को अनुदान-

01- स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-

योजनेतर

मूल	0.01			
		39,00.00	40,00.00	+1,00.00
पुनर्वि०	38,99.99			

₹ 1,00.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38,99.99 लाख का अत्याधिक आवर्धन स्थानीय निकाओं तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता हेतु अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,00.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-

101- रिजर्व फण्ड एवं जमा लेखे के लिए स्थानान्त्रण-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-

01- राज्य आपदा राहत कोष को स्थानान्त्रण/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-

योजनेतर

मूल	2,48,00.00			
		2,48,67.28	2,49,00.00	+32.72
पुनर्वि०	67.28			

₹ 32.72 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.28 लाख का आवर्धन राज्य आपदा राहत कोष के स्थानान्त्रण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 32.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

80- सामान्य-				
102- आपदा उन्मुख क्षेत्रों में योजनाओं का आकस्मिक प्रबन्धन-				
01- आपदा उन्मुख क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाओं पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनेतर				
पूरक	42.63			
		65.33	65.33	..
पुनर्वि०	22.70			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.70 लाख का आवर्धन प्राकृतिक आपदा आकस्मिक योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
05- क्षमता निर्माण-				
योजनेतर				
पूरक	0.01			
		8,56.55	8,56.55	..
पुनर्वि०	8,56.54			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,56.54 लाख का आवर्धन क्षमता निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2401- फसल कृषि कर्म-				
111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा साख्खिकी-				
04- कृषि गणना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनेतर				
(i) मूल	0.10			
		..	34.89	+34.89
पुनर्वि०	(-)0.10			
2702- लघु सिंचाई-				
80- सामान्य-				
800- अन्य व्यय-				
07- सिंचाई आंकड़ों की सुधार योजना-				

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

योजनेतर				
(ii)	मूल	0.06	..	24.66 +24.66
	पुनर्वि०	(-)0.06		

उपरोक्त दो मामलों में बिना किसी प्रावधान के ₹ 59.55 लाख का व्यय करने के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v)	दत्तमत प्रवर्ग में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051-निर्माण-

33- तहसील/उप-तहसील भवन

योजनेतर

मूल	5,00.00	5,00.00	2,15.56	(-)2,84.44
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 2,84.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

(iv) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना संख्या न० रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/2/2011 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से सहायता लेने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि का संगठन किया जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत दिलवा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार से निधि में क्रमशः 90 : 10 की औसत से अंशदान दिया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार से निधि हेतु अंशदान लोक लेखा में लेखा शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड तथा 122- राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अधीन अन्य प्राप्त घटकों से अलग पहचान बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया है। इसलिए यह फण्ड राज्य सरकार के सामान्य स्रोतों का हिस्सा नहीं है। निधि से किसी भी प्रकार का अप्रयुक्त अग्रिम शेष या अन्य कोई भी

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (समाप्त)

प्राधिकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। पदेन अध्यक्ष होने के नाते इस फण्ड का संचालन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा मुख्य सचिव के साथ किया जाता है।

कमेटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सिफारिश की गई राशि को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05- राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 101- रिजर्व फण्ड और जमा लेख का अंतरण राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड, 122- आपदा प्रबंधन निधि से स्थानान्तरण द्वारा इस फण्ड में 01 अप्रैल 2016 को ₹ 70.05 लाख अथ शेष लिया गया और ₹ 2,49,00.04 लाख (भारत सरकार से ₹ 2,23,20.00 लाख और राज्य सरकार से ₹ 25,80.04 लाख वर्ष के दौरान) क्रेडिट किए गए और इस प्रकार निधि योग ₹ 2,49,70.09 लाख कम हो गया। मार्च 2017 के अन्त में निधि में ₹ 94.60 लाख जमा रहे। (विवरण हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 15 में दर्शाया गया है) ₹ 2,48,75.48 लाख का डेबिट (भारत सरकार से ₹ 2,23,87.93 लाख और राज्य सरकार से ₹ 24,87.55 लाख) हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखों की विवरण संख्या 21 में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)।

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	59,86,29			
		62,00,34	60,16,06	(-)1,84,28
पूरक	2,14,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,78,18
प्रभारित				
मूल	..			
		80,50	..	(-)80,50
पूरक	80,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,50,00			
		1,50,00	1,50,00	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,84.28 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 2,14.05 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 2,78.18 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 80.50 लाख जोकि मार्च 2017 में अनुपूरक अनुदान से प्राप्त किया था अप्रयुक्त रहा, अनावश्यक सिद्ध हुआ और वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2039- राज्य उत्पाद शुल्क-

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-
01- जिला स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	5,29.90			
		4,89.56	4,89.62	+ 0.06
पुनर्वि०	(-)40.34			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.34 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।

2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य

कर तथा शुल्क-

- 104- संग्रहण प्रभार-माल तथा यात्रियों पर कर-
01- मुख्यालय स्थापना-

योजनेतर

मूल	5,71.49			
		5,28.82	5,28.80	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)42.67			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और कम व्यवसायिक सेवाओं को भाड़े पर लेने के कारण हुई जोकि कर्मचारी-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 02- जिला स्थापना-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

मूल	38,00.39			
		34,17.73	34,17.38	(-)0.35
पुनर्वि०	(-)3,82.66			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,82.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि किराया दर और कर बिलों पर हुए अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -

110- अन्य बीमा योजनाएं-

02- छोटे व्यापारियों के लिए दुर्घटना समूह बीमा -

योजनेतर

मूल	3,00.00			
		28.68	28.68	..
पुनर्वि०	(-)2,71.32			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,71.32 लाख की कमी योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शार्पो के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

2039- राज्य उत्पाद शुल्क -

102- अफीम इत्यादि का क्रय-

01- अफीम, भांग, गांजा इत्यादि का मूल्य-

योजनेतर

मूल	0.60			
		0.08	13.79	+13.71
पुनर्वि०	(-)0.52			

₹ 13.71 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 0.52 लाख की कमी अफीम, भांग और गांजा पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 13.71 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे। (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

104- मदिरा और स्पिरिट की खरीद-

01- हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ को सहायता-

योजनेतर

पुनर्वि०	1,00.00	1,00.00	1,00.00	..
----------	---------	---------	---------	----

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन वेतन और पेय पदार्थ के मूल-भूत ठांचे के विकास के लिये सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक बजट अनुमान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। बिना प्रावधान के निधियों का पुनर्विनियोजन अनुचित व हिमाचल प्रदेश बजट पुस्तिका (मैनुअल) के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर -

101- संग्रहण प्रभार

01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी -

योजनेतर

मूल	2,76.84			
		3,47.34	4,27.84	+80.50
पुनर्वि०	70.50			

₹ 80.50 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.50 लाख का आवर्धन वस्तु एवं सेवा कर के संशोधित राजस्व ढांचे पर अधिक व्यय और कांगड़ विमान पतन प्राधिकरण मशीनरी की प्रतिपूर्ति के कारण हुआ जाकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ, अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 80.50 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुवेशन-

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल आने पर कर

01- स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-

योजनेतर

(i) मूल	2,12.08			
		4,29.99	4,29.99	..
पूरक	2,17.91			

02- पंचायतों और ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान -

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

योजनेतर

मूल	2,87.92			
पूरक	2,14.05	5,72.90	5,72.90	..
पुनर्वि०	70.93			

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,88.84 लाख का आवर्धन क्षतिपूर्ति और सौंपे गए कार्य के लिए अधिक सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

(iv) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-			
101- संग्रहण प्रभार-			
01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी			
योजनेतर			
पूरक	80.50	80.50	..
			(-)80.50

₹ 80.50 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे। (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062- सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)।

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	9,17,88,64		
		10,92,66,22	(-)37,08,09
पूरक	1,74,77,58		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			37,13,44
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	54,87,00		
		56,19,74	(-)13,68,00
पूरक	1,32,74		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			13,68,00

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 37,08.09 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 1,74,77.58 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 37,13.44 का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 13,68.00 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 1,32.74 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2055- पुलिस-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
योजनेतर			
मूल	20,68.60		
	13,45.32	13,45.37	+ 0.05
पुनर्वि०	(-)7,23.28		
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,23.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
003- शिक्षा और प्रशिक्षण-			
01- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-			
योजनेतर			
मूल	14,09.90		
	12,61.28	12,61.27	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,48.62		
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,48.62 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि आहार, वस्त्र, परिषद शुल्क बिलों, कर्मचारी वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और नए वाहनों को खरीद पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-			
01- आपराधिक अन्वेषण-			
योजनेतर			
मूल	38,09.38		
	33,19.93	33,19.92	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)4,89.45		
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,89.45 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद, कर्मचारी वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पेशेवर सेवाओं को भाड़े पर लिए जाये से हुए अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

02- अन्य सरकारी संस्थानों के लिए पुलिस-

योजनेतर

मूल 31,68.16

28,25.94

28,25.94

..

पुनर्वि० (-)3,42.22

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,42.22 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- भारतीय रिजर्व वाहिनी-

योजनेतर

मूल 1,68,14.85

पूरक 50,00.00

2,13,49.85

2,13,49.84

(-)0.01

पुनर्वि० (-)4,65.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,65.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर हुए कम व्यय के कारण हुई जोकि मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय और गृह रक्षकों के बकाया भुगतान पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

109- जिला पुलिस-

01- जिला कार्यकारिणी बल-

योजनेतर

मूल 4,16,20.58

4,04,97.91

4,05,03.32

+5.41

पुनर्वि० (-)11,22.67

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,22.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, नए वाहनों की खरीद पर हुए कम व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई।

02- पंचायत चौकीदार/गृह रक्षकों पर व्यय-
(समन सेवाओं हेतु)-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

(i)	मूल	1,38.48			
	पूरक	3,43.27	4,69.79	4,69.79	..
	पुनर्वि०	(-)11.96			
03- पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु तैनात स्वैच्छिक गृह रक्षकों पर व्यय- योजनेतर					
(ii)	मूल	22,26.49			
	पूरक	64,51.05	84,98.12	84,98.12	..
	पुनर्वि०	(-)1,79.42			
111- रेलवे पुलिस- 01- अपराध पुलिस- योजनेतर					
(iii)	मूल	4,17.20			
	पुनर्वि०	(-)48.41	3,68.79	3,68.79	..
03- आदेश पुलिस- योजनेतर					
(iv)	मूल	1,67.24			
	पुनर्वि०	(-)29.06	1,38.18	1,38.17	(-)0.01
114- बेतार तथा कम्प्यूटर- 01- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग- योजनेतर					
(v)	मूल	22,13.66			
	पुनर्वि०	(-)4,20.86	17,92.80	17,92.79	(-)0.01
उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,89.71 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।					
115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण- 01- जिला कार्यकारिणी फोर्स- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनेतर					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

मूल	0.04			
पूरक	30.00	14.60	14.60	..
पुनर्वि०	(-)15.44			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.44 लाख की कमी नए वाहनों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 5,14.00 लाख था।

- 02- सुरक्षा संबंधी व्यय -
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनेतर

मूल	2,61.52			
		2,36.06	2,36.05	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)25.46			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.46 लाख की कमी मुख्यतः कर्मचारी वर्ग द्वारा दौरो पर कम व्यय करने के कारण हुई।

2056- जेल-

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-
01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

(i) मूल	1,63.74			
पूरक	0.15	1,20.82	1,20.81	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)43.07			

- 101- जेल-
02- जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण-

योजनेतर

(ii) मूल	2,41.74			
		1,92.36	1,92.36	..
पुनर्वि०	(-)49.38			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92.45 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2062- सतर्कता-

- 104- राज्य/संघ राज्य के सतर्कता आयोग-
01- राज्य सतर्कता तथा भ्रष्टाचार
निरोधी ब्यूरो -

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	24,02.15			
		21,60.55	21,60.64	+0.09
पुनर्वि०	(-)2,41.60			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,41.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जोकि दूरभाष, जल प्रभार, विद्युत बिलों, व्यवसायी सेवाओं को भाड़े पर लेने और नए वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

106- नागरिक सुरक्षा-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनेतर

(i)	मूल	38.36			
			20.65	20.64	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)17.71			

107- गृह रक्षक-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनेतर

(ii)	मूल	48.49			
			16.32	16.31	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)32.17			

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनेतर

(iii)	मूल	4,81.67			
			3,15.35	3,15.34	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1,66.32			

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

(iv)	मूल	17,69.82			
	पूरक	29,23.34	41,04.33	41,04.32	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)5,88.83			

03- प्रशिक्षण केंद्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनेतर

(v)	मूल	42.27			
			24.58	24.57	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)17.69			

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,22.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

108- अग्नि से संरक्षण तथा नियंत्रण-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	1,27.05				
			70.05	70.04	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)57.00				

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	2.00				
		
पुनर्वि०	(-)2.00				

₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2017 में मुख्यतः मशीनरी और उपकरणों पर हुए कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

2055- पुलिस-

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

01- राज्य रिजर्व पुलिस-

योजनेतर

मूल	57,53.38			
पूरक	5,00.00	68,02.09	68,02.09	..
पुनर्वि०	5,48.71			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,48.71 लाख का आवर्धन नए नियुक्त सिपाहियों के वेतन, आहार और वर्दी पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण

02- सुरक्षा संबंधित व्यय-

योजनेतर

मूल	23.88			
पूरक	3,30.00	3,79.23	3,79.23	..
पुनर्वि०	25.35			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.35 लाख का आवर्धन पुलिस बल को मानदेय पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 5,14.00 लाख था।

2056- जेल-

101- जेल -

01- जेल की स्थापना-

योजनेतर

मूल	22,36.10			
		25,15.41	25,15.41	..
पुनर्वि०	2,79.31			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,79.31 लाख का आवर्धन मुख्यतः दूरभाष, जल और विद्युत बिलों, आहार, वर्दी, कर्मचारी वर्ग द्वारा दौरो पर व्यय और गृह रक्षकों को बकाया भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

102- जेल उत्पाद-

01- जेल उद्योग -

योजनेतर

मूल	73.24			
		95.46	95.45	(-)0.01
पुनर्वि०	22.22			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.22 लाख का आवर्धन गृह रक्षकों को बकाया भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव एवं मरम्मत-

20- जेल विभाग के रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल 41.39

65.36

65.36

..

पुनर्वि० 23.97

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.97 लाख का आवर्धन जेल विभाग के भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

31- पुलिस विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल 1,23.85

1,86.44

1,86.43

(-)0.01

पुनर्वि० 62.59

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.59 लाख का आवर्धन पुलिस विभाग के भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

41- सर्तकता एवं फोरेंसिक प्रयोगशाला के भवनों का रख रखाव-

योजनेतर

(i) मूल 4.73

7.73

7.73

..

पुनर्वि० 3.00

62- सर्तकता विभाग एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के भवनों का रख रखाव-

योजनेतर

(ii) मूल 3.54

19.62

19.62

..

पुनर्वि० 16.08

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.08 लाख का आवर्धन भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -

106- नागरिक सुरक्षा -

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	3.90			
		10.83	10.83	..
पुनर्वि०	6.93			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.93 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन की दरों में वृद्धि के कारण हुआ।

107- गृह रक्षक-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	2,01.43			
पूरक	0.55	2,64.75	2,64.75	..
पुनर्वि०	62.77			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.77 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

03- प्रशिक्षण केंद्र-

योजनेतर

मूल	2,09.74			
		4,30.25	4,30.25	..
पुनर्वि०	2,20.51			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,20.51 लाख का आवर्धन गृह रक्षकों को बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

108- अग्नि के संरक्षण तथा नियन्त्रण-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (क्रमशः)

मूल	24,07.50			
पूरक	5,42.42	31,89.24	31,89.23	(-)0.01
पुनर्वि०	2,39.32			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,39.32 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद, गृह रक्षकों को बकाया भुगतान तथा दूरभाष, जल प्रभार और विद्युत बिलों पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2216- आवास-

06- पुलिस आवास-

053- रख रखाव एवं मरम्मत-

02- राज्य फोरेसिक प्रयोगशाला के
आवासीय भवनों का रखरखाव-**योजनेतर**

(i)	मूल	0.01			
			2.01	2.01	..
	पुनर्वि०	2.00			

07- अन्य आवास-

053- रख रखाव एवं मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

योजनेतर

(ii)	मूल	1.51			
			9.78	9.78	..
	पुनर्वि०	8.27			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.27 लाख का आवर्धन भवनों की मरम्मत और रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2250- अन्य सामाजिक सेवाए -

800- अन्य व्यय-

02- धार्मिक संस्थाओं को सहायता-

योजनेतर

	मूल	0.50			
			3.07	3.07	..
	पुनर्वि०	2.57			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -7 (समाप्त)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.57 लाख का आवर्धन धार्मिक संस्थानों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-

211- पुलिस आवास

03- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण-

योजनागत

(i) मूल 3,68.00

पुनर्वि० (-)3,68.00

08- पुलिस थानों का निर्माण

और नवीनीकरण-

योजनेतर

(ii) मूल 10,00.00

पुनर्वि० (-)10,00.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 13,68.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2017 में पुलिस आवास भवनों जीर्णोद्धार पर कोई व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 शिक्षा

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	52,62,90,86			
		52,62,90,99	43,97,95,25	(-)8,64,95,74
पूरक	13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				8,74,36,53
प्रभारित				
मूल	..			
		1,60	1,60	..
पूरक	1,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	82,18,63			
		1,16,86,36	1,16,30,50	(-)55,86
पूरक	34,67,73			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				55,86

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,64,95.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 8,74,36.53 मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 8,74,36.53 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 55.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 34,67.73 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

(i)	मूल	16,39.08			
			15,41.84	15,41.87	+0.03
	पुनर्वि०	(-)97.24			

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

01- शिक्षा पर व्यय-

योजनेतर

(ii)	मूल	13,47,91.84			
			11,82,76.04	11,82,76.03	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1,65,15.80			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,66,13.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- माध्यमिक विद्यालय-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

मूल	12,54,46.89			
		7,82,66.44	7,82,66.51	+0.07

पुनर्वि० (-)4,71,80.45

मार्च 2017 में अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,71,80.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, सम्पत्ति कर बिलों की कम प्राप्ति और छात्रवृत्ति के लिए कम विधार्थियों की पात्रता के कारण हुई जोकि माध्यमिक विद्यालयों के लिये सामानों की खरीद पर व्यय और कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सहायता-
03- निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों की शुल्क की प्रतिपूर्ति-

योजनागत

मूल 84.00

पुनर्वि० (-)84.00

मार्च 2017 में ₹ 84.00 लाख का समस्त प्रावधान सहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

- 104- निरीक्षण-
01- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

योजनेतर

मूल 20,63.96

पुनर्वि० (-)6,86.28

13,77,.68 13,77.67 (-)0.01

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,86.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दूरभाष, जल प्रभारों और बिजली बिलों पर व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 111- सर्व शिक्षा अभियान-
01- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायता अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

मूल	2,36,92.00			
		85,72.54	85,72.54	..

पुनर्वि० (-)1,51,19.46

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,51,19.46 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी कम प्राप्त होने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 1,28,25.46 लाख था।

योजनागत

मूल	26,32.00			
		9.52	9,52.50	+9,42.98

पुनर्वि० (-)26,22.48

₹ 9,42.98 लाख के अन्तिम अधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 26,22.48 लाख की अत्याधिक कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी कम प्राप्त होने के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 9,42.98 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतिक्रित थे (जुलाई 2017)।

- 800- अन्य व्यय-
01- उपाहारमाध्याहन योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	65,87.00			
		54,59.26	54,59.26	..

पुनर्वि० (-)11,27.74

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,27.74 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद, मानदेय और सामग्री की दुलाई पर कम व्यय के कारण हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 80,28.63 लाख था।

योजनागत

मूल	3,37.00			
		3,05.56	3,05.56	..

पुनर्वि० (-)31.44

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 31.44 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद व मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई।

- 02- माध्यमिक शिक्षा-
001- निदेशन और प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

01- निदेशालय-
योजनेतर

मूल	15,11.38			
		13,52.34	13,52.33	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,59.04			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,59.04 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण, दूरभाष, जल प्रभार और बिजली बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि सम्पति कर बिल, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक खर्च के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

101- निरीक्षण-

01- निरीक्षणालय-
योजनेतर

मूल	12,84.65			
		10,78.32	10,78.30	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)2,06.33			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,06.33 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दूरभाष, जल प्रभार और विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- अल्पसंख्यकों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

मूल	28.00			
	
पुनर्वि०	(-)28.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 28.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण कम कर दिया गया।

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

01- उच्चतर पाठशालाएं-

योजनेतर

मूल	14,28,79.71			
पूरक	0.01	14,27,29.94	14,27,27.64	(-)2.30
पुनर्वि०	(-)1,49.78			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,49.78 लाख की कमी, छात्रवृत्ति के लिये कम विद्यार्थियों की पात्रता और कर्मचारियों के लिये कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन के कारण हुई जोकि अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों एवं सम्पत्ति कर बिलों की प्राप्ति, दूरभाष, जल और विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

05- सूचना एवं संचार तकनीकी कार्यक्रम-

योजनागत

(i)	मूल	6,58.00			
			1,11.41	1,11.41	..
	पुनर्वि०	(-)5,46.59			

06- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii)	मूल	1,18,46.00			
			1,16,76.72	1,16,76.72	..
	पुनर्वि०	(-)1,69.28			

योजनागत

(iii)	मूल	13,16.00			
			9,98.52	9,98.52	..
	पुनर्वि०	(-)3,17.48			

10- उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iv)	मूल	49,36.00			
			41,74.81	41,74.81	..
	पुनर्वि०	(-)7,61.19			

योजनागत

(v)	मूल	16,45.00			
			3,08.27	3,08.27	..
	पुनर्वि०	(-)13,36.73			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,61.19 लाख की कमी भारत सरकार से समतुल्य अनुदान के रूप में केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण हुई

- 14- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए
अंतर्वेशित शिक्षा पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1,16.00			
पूरक	0.01	50.59	50.59	..
पुनर्वि०	(-)65.42			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.42 लाख की कमी, विकलांगों के लिए अंतर्वेशित शिक्षा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अधिक निधियों के जारी करने के आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 16- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	13,33.00			
		1,80.00	1,80.00	..
पुनर्वि०	(-)11,53.00			

योजनागत

(ii) मूल	4,44.00			
		60.00	60.00	..
पुनर्वि०	(-)3,84.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 के अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15,37.00 लाख की कमी भारत सरकार से कम केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त होने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 12,72.40 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

- 20- स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता
अनुदान-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

मूल	5,00.00			
		3,86.47	3,86.47	..
पुनर्वि०	(-)1,13.53			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 1,13.53 लाख की कमी अभिभावक-शिक्षक संघ के अन्तर्गत रखे गये कर्मचारियों पर कम व्यय करने के कारण हुई।				
21- मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना-				
योजनेतर				
मूल	3,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)3,00.00			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण कम कर दिया गया।				
800- अन्य व्यय-				
01- अभिभावक-शिक्षक संघ को				
सहायकता अनुदान-				
योजनागत				
मूल	1,59.00			
		1,35.59	1,35.59	..
पुनर्वि०	(-)23.41			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.41 लाख की कमी अभिभावक-शिक्षक संघ के अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों के रूपान्तरण के कारण हुई।				
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
103- राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-				
01- राजकीय महाविद्यालय-				
योजनेतर				
मूल	2,44,40.35			
		2,10,00.73	2,10,00.95	+0.22
पुनर्वि०	(-)34,39.62			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34,39.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण, छात्रवृत्ति पर कम व्यय के कारण और दैनिक वेतन भोगियों को कम लगाए जाने के कारण हुई जोकि दूरभाष, जल और विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

02-	प्रशिक्षण महाविद्यालय- योजनेतर				
	मूल	4,89.53			
			2,38.46	2,38.45	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)2,51.07			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,51.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

07-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत				
(i)	मूल	59,23.00			
			39,06.00	39,06.00	..
	पुनर्वि०	(-)20,17.00			
	योजनागत				
(ii)	मूल	6,58.00			
			4,34.00	4,34.00	..
	पुनर्वि०	(-)2,24.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22,41.00 लाख की कमी भारत सरकार से समतुल्य अनुदान के रूप में कम हिस्सेदारी प्राप्त होने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 50,40.00 लाख थी।

04- प्रौढ़ शिक्षा-

103- ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम-

05- साक्षर भारत योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i)	मूल	54.00			
		
	पुनर्वि०	(-)54.00			
	योजनागत				
(ii)	मूल	18.00			
		
	पुनर्वि०	(-)18.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 72.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण कम कर दिया गया।

05- भाषा विकास-				
103- संस्कृत शिक्षा-				
01- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-				
योजनेतर				
(i) मूल	5,13.45			
		4,30.97	4,30.95	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)82.48			

80- सामान्य-				
004- अनुसंधान-				
02- तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम- केन्द्रीय योजना				
योजनागत				
(ii) मूल	14.00			
		9.91	9.90	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)4.09			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 86.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

107- व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति- केन्द्रीय योजना				
योजनागत				
मूल	29.00			
	
पुनर्वि०	(-)29.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 29.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण कम कर दिया गया।

08- अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-				
---	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	2,10.00			
		20.00	20.00	..
पुनर्वि०	(-)1,90.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,90.00 लाख की कमी छात्रवृत्ति के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के कम विद्यार्थियों की पात्रता और भारत सरकार से समतुल्य अनुदान के रूप में कम हिस्सेदारी प्राप्त होने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 4,78.00 लाख था।

15- प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना-

योजनागत

(i) मूल	1,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

21- अल्पसंख्यकों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

(ii) मूल	61.00			
	
पुनर्वि०	(-)61.00			

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा मार्च 2017 में ₹ 1,61.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण कम कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

01- राष्ट्रीय कैडेट कोर की सामान्य स्थापना-

योजनेतर

मूल	6,43.64			
		4,32.69	4,32.67	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)2.10.95			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,10.95 लाख की कमी रिक्त पदों को

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

न भरने के कारण हुई जाकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर अधिक व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

08- सैनिक स्कूल के लिए व्यय-

योजनेतर

मूल	70.98			
		60.00	60.00	..
पुनर्वि०	(-)10.98			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.98 लाख की कमी छात्रवृत्ति के लिये कम विद्यार्थियों की पात्रता के कारण हुई जोकि सैनिक स्कूलों की खास मरम्मत के लिए जारी किए गए अनुदान के आधिक्य के अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

17- शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
सोलन समिति-

योजनेतर

मूल	2,83.36			
		2,24.72	2,24.73	+0.01
पुनर्वि०	(-)58.64			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2205- कला एवं संस्कृति-

105- सार्वजनिक पुस्तकालय-

01- राज्य व जिला पुस्तकालय-

योजनेतर

मूल	4,68.82			
		3,70.16	3,70.15	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)98.66			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 98.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों को कम लगाए जाने के कारण हुई।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

- 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-
277- शिक्षा-
06- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को
छात्रवृत्ति-
केन्द्रीय योजना
योजनागत

मूल	1,21.00			
		1.05	1.05	..
पुनर्वि०	(-)1,19.95			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,19.95 लाख की कमी भारत सरकार से समतुल्य अनुदान के रूप में कम हिस्सेदारी प्राप्त होने के कारण हुई।

- (iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)		

- 2202- सामान्य शिक्षा-
01- प्रारम्भिक शिक्षा-
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-
01- शिक्षा पर व्यय-

योजनागत

पूरक	0.01			
		1,79.40	1,79.40	..
पुनर्वि०	1,79.39			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,79.39 लाख का आवर्धन हुआ जिसके कारणों का ब्यौरा नहीं दिया गया।

- 03- माध्यमिक विद्यालय-

योजनागत

मूल	31,06.00			
पूरक	0.01	50,68.39	50,68.40	+0.01
पुनर्वि०	(-)19,62.38			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,62.38 लाख का आवर्धन वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ और ₹ 16,90.00 लाख के कारणों का ब्यौरा नहीं दिया गया।

12- महात्मा गाँधी वर्दी योजना-

योजनागत

मूल	11,52.00			
		21,51.99	21,51.99	..
पुनर्वि०	9,99.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,99.99 लाख का आवर्धन विद्यार्थियों की वर्दी खरीद पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ।

102- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-

01- गैर सरकारी प्राथमिक पाठशाला -

योजनेतर

पूरक	0.01			
		40.47	40.47	..
पुनर्वि०	40.46			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.46 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिये अधिक विद्यार्थियों की पात्रता के कारण हुआ।

02- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय-

योजनेतर

पूरक	0.01			
		3,26.55	3,26.55	..
पुनर्वि०	3,26.54			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,26.54 लाख का आवर्धन गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के वेतन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

104- परीक्षण-

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

योजनेतर

मूल	37,22.00			
		38,30.30	38,30.30	..
पुनर्वि०	1,08.30			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.30 लाख का आवर्धन दूरभाष, जल प्रभार विद्युत बिलों पर अधिक व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों के न भरने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

107- शिक्षक प्रशिक्षण-

04- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पर
व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 8,68.00

10,59.56

10,59.56

..

पुनर्वि० 1,91.56

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,91.56 लाख का आवर्धन हुआ जिसके निश्चित/ठीक कारणों का ब्यौरा नहीं दिया गया।

योजनागत

मूल 97.00

2,48.82

2,48.82

..

पुनर्वि० 1,51.82

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,51.82 लाख का आवर्धन हुआ जिसके निश्चित/सही कारणों का ब्यौरा सूचित नहीं किया गया जाकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों की कम प्राप्ति से हुई बचत के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

800- अन्य व्यय-

05- अभिभावक-शिक्षक संघ के
अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा
को सहायता अनुदान-

योजनागत

मूल 5,79.00

6,37.86

6,37.86

..

पुनर्वि० 58.86

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.86 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के वेतन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

06- विद्यालय प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

मूल	3,95.00			
		6,61.53	6,61.53	..

पुनर्वि० 2,66.53

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,66.53 लाख का आवर्धन विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्मचारियों के वेतन के लिये अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

- 02- माध्यमिक शिक्षा-
109- सरकारी माध्यमिक विद्यालय-
01- माध्यमिक विद्यालय-

योजनागत

मूल	17,96.38			
		20,69.18	20,69.17	(-)0.01

पुनर्वि० 2,72.80

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,72.80 लाख का आवर्धन दूरभाष, जल प्रभारों और विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि वस्तुओं की खरीद और छात्रवृत्ति के लिये कम विद्यार्थियों की पात्रता के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 05- सूचना एवं संचार तकनीकी कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1974.00			
पूरक	0.01	24,02.66	24,02.66	..
पुनर्वि०	4,28.65			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,28.65 लाख का आवर्धन विद्यालयों में सूचना एवं संचार विषय का कार्यान्वयन करने के कारण हुआ जोकि भारत सरकार से समतुल्य अनुदान के रूप में केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से हुई बचत के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 14- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए
अंतर्वेशित शिक्षा पर व्यय-

योजनागत

पूरक	0.01			
		11.22	11.22	..

पुनर्वि० 11.21

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.21 लाख का आवर्धन भारत सरकार

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

द्वारा अंतर्वेशित शिक्षा के लिए अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

22- मुख्य मंत्री वर्दी योजना-
योजनागत

पूरक	0.01			
		10,88.08	10,88.04	(-)0.04
पुनर्वि०	10,88.07			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,88.07 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री वर्दी योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सहायता-
01- गैर सरकार माध्यमिक विद्यालय-
योजनेतर

(i) मूल	0.01			
		9,51.01	9,51.00	(-)0.01
पुनर्वि०	9,51.00			

योजनागत

(ii) पूरक	0.01			
		3,45.37	3,45.37	..
पुनर्वि०	3,45.36			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,96.36 लाख का आवर्धन गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

02- निजी संस्थानों के निरीक्षण पर व्यय-

योजनेतर

मूल	25.00			
		1,45.00	1,45.00	..
पुनर्वि०	1,20.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.00 लाख का आवर्धन निजी संस्थानों के निरीक्षण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

102- विश्वविद्यालयों को सहायता-

01- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8- (क्रमशः)

योजनागत

मूल	58,57.00			
		61,17.00	61,17.00	..
पुनर्वि०	2,60.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,60.00 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के वेतन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

- 103- राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-
08- ललित कला महाविद्यालय की स्थापना-

योजनेतर

मूल	44.78			
		1,15.59	1,15.57	(-)0.02
पुनर्वि०	70.81			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.81 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान करने के कारण हुआ जोकि कार्यालय सामग्री पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतलित हुआ।

- 104- गैर-सरकारी कालेजों तथा संस्थानों को
सहायता-
निजी विद्यालयों को सहायता-

योजनागत

मूल	13,48.00			
		17,98.00	17,98.00	..
पुनर्वि०	4,50.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,50.00 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के वेतन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

- 80- सामान्य-
107- छात्रवृत्तियां-
15- कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-

योजनेतर

मूल	2,00.00			
		3,50.00	3,50.00	..
पुनर्वि०	1,50.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख का आवर्धन कल्पना चावला

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (क्रमशः)

छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अधिक विद्यार्थियों की पात्रता के कारण हुआ।

19- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना-

योजनेतर

पूरक	0.01			
		1,78.35	1,78.35	..
पुनर्वि०	1,78.34			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,78.34 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए अधिक विद्यार्थियों की पात्रता के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

11- खेलकूद संस्थाओं को सहायता अनुदान-

योजनागत

पूरक	0.01			
		1,00.00	1,00.00	..
पुनर्वि०	99.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन पूंजी सम्पत्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

16- स्कूली शिक्षा हेतु पर्यावरण अभिविन्यास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	5.00			
		9.81	9.81	..
पुनर्वि०	4.81			

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

101- विकलांगों का कल्याण-

01- विकलांग बच्चों का कल्याण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल	24.00			
		36.06	36.06	..
पुनर्वि०	12.06			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.87 लाख का

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -8 (समाप्त)

आवर्धन महँगाई भते के भुगतान के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दतमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शार्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
202- माध्यमिक शिक्षा-			
05- सामान्य क्षेत्र के शिक्षित रूप से पिछड़े खण्डों में महिला छात्रवास का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजनागत			
(i) पूरक	6.33		
		3.96	3.96
पुनर्वि०	(-)2.37		..
योजनगत			
(ii) मूल	54.62		
		1.14	1.14
पुनर्वि०	(-)53.48		..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.85 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,18,39,36			
		16,18,39,84	13,22,49,44	(-)2,95,90,40
पूरक	48			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,96,29,30
प्रभारित				
मूल	..			
		8,59	8,59	..
पूरक	8,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	53,26,50			
		2,60,77,09	2,57,84,23	(-)2,92,86
पूरक	2,07,50,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,91,00

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,95,90.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में ₹ 2,96,29.30 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,92.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि में मार्च 2017 में ₹ 2,07,50.59 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ पाश्चात्य
चिकित्सा पद्धति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

मूल	27,24.36			
पूरक	0.02	19,64.11	19,64.10	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)7,60.27			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,60.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, तथा बाह्य स्रोत कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि विज्ञापन एवं प्रचार के द्वारा जन चेतना पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजनागत

मूल	1.00			
पुनर्वि०	(-)1.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

02- जिला स्थापना-

योजनेतर

मूल	20,59.45			
पुनर्वि०	(-)8,58.66	12,00.79	12,00.79	..

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,58.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बाह्य स्रोत कर्मचारियों की कम तैनाती तथा दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

04- निदेशालय दंत स्वास्थ्य सेवाएं-
योजनेतर

मूल	1,32.14			
		88.90	88.90	..
पुनर्वि०	(-)43.24			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.24 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

109- विद्यालय स्वास्थ्य योजना-
01- विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं-

योजनेतर				
मूल	37.20			
		26.91	26.91	..
पुनर्वि०	(-)10.29			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.29 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने और मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय के कारण हुई।

110- अस्पताल और औषधालय-
03- शहरी स्वास्थ्य-

योजनेतर				
मूल	2,10,40.20			
		1,62,91.83	1,62,91.81	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)47,48.37			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47,48.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, पानी, विद्युत बिलों पर कम व्यय, रोगी कल्याण समिति के लिए कम अनुदान जारी करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दांवों की कम प्राप्ति कर्मचारी वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित न करने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक तैनाती, सामग्री की अधिक खरीद तथा बाह्य स्रोत कर्मचारियों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजनागत

मूल	47,15.00			
		35,48.66	35,48.66	..
पुनर्वि०	(-)11,66.34			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,66.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सामग्री, आपूर्ति एवं रखरखाव, दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय और रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों का सरकारी अनुबंध में परिवर्तन करने के कारण हुई जोकि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए नए वाहनों की खरीद पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 08- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए
एक मुश्त प्रावधान-

योजनागत

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-
अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-

- 01- निदेशालय-

योजनेतर

मूल 3,90.83

3,53.34

3,55.10

+1.76

पुनर्वि० (-)37.49

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत से कर्मचारियों की अधिक तैनाती से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 02- जिला स्थापना-

योजनेतर

मूल 78,23.84

53,31.37

53,53.20

+21.83

पुनर्वि० (-)24,92.47

₹ 21.83 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24,92.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

₹ 21.83 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-

योजनेतर

मूल 9,36.13

7,13.68

7,14.40

+0.72

पुनर्वि० (-)2,22.45

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,22.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दरों में हुई वृद्धि से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- आयुर्वेदिक फार्मसी-

योजनेतर

मूल 4,80.05

पूरक 0.01

3,83.33

3,85.93

+2.60

पुनर्वि० (-)96.73

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.73 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक तैनाती से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ

पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

योजनेतर

मूल 3,30,83.73

2,76,33.07

2,76,33.08

+0.01

पुनर्वि० (-)54,50.66

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54,50.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, जल, विद्युत बिलों पर कम व्यय, रोगी कल्याण समिति के लिए कम अनुदान जारी करने, बाह्य स्रोत से कम कर्मचारियों की नियुक्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि, किराया एवं कर शुल्कों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजनागत

मूल 54,05.00

39,23.95

39,23.95

..

पुनर्वि० (-)14,81.05

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,81.05 लाख की कमी मशीनरी व उपकरणों, दूरभाष, जल, विद्युत बिल, मशीनरी एवं लिफ्ट के रख-रखाव, रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों का सरकारी अनुबन्ध में परिवर्तन तथा सामग्री और आपूर्ति की कम खरीद के कारण हुई।

05- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मुश्त प्रावधान -

योजनागत

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ
अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-

योजनेतर

मूल 3,11.93

1,86.85

1,86.82

(-)0.03

पुनर्वि० (-)1,25.08

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

योजनेतर

मूल 96,67.28

69,94.95

69,97.99

+3.04

पुनर्वि० (-)26,72.33

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26,72.33 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दरों में हुई वृद्धि से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

103- यूनानी-

01- यूनानी औषधालय-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मूल	45.85			
		23.85	23.85	..
पुनर्वि०	(-)22.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक महाविद्यालय-

योजनेतर

मूल	14,03.88			
		12,62.77	12,63.06	+0.29
पुनर्वि०	(-)1,41.11			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41.11 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति तथा जैव चिकित्सा कचरे पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- भारतीय दवाईयों की प्रणाली में अनुसंधान-

योजनेतर

(i) मूल	64.40			
		26.56	26.55	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)37.84			

105- पाश्चातय चिकित्सा पद्धति -

03- विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण-

योजनेतर

(ii) मूल	3,91.69			
		2,78.79	2,78.77	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)1,12.90			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मूल	13,64.62			
		12,69.21	12,69.02	(-)0.19
पुनर्वि०	(-)95.41			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, जल, विद्युत बिल, किराया दर एवं कर बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि तथा बाह्य स्रोत से अधिक कर्मचारियों की तैनाती से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
07- राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का उन्नयन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
योजनागत				
(ii) मूल	3,29.00			
	
पुनर्वि	(-)3,29.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,30.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
08- प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- II -				
योजनागत				
मूल	99.00			
		62.40	62.39	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)36.60			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.60 लाख की कमी प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना पर कम व्यय के कारण हुई।				
10- हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-				
योजनागत				
मूल	20,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)20,00.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा में ₹ 20,00.00 लाख का समसत प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने और योजना में परिवर्तन के कारण कम कर दिया गया।

06- लोक स्वास्थ्य-

101- रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-

02- क्षय रोग अस्पताल-

योजनेतर

मूल	8,59.14			
		6,63.35	6,63.35	..
पुनर्वि०	(-)1,95.79			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,95.79 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 15,72.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल	2,00.00			
		1,37.80	1,37.80	..
पुनर्वि०	(-)62.20			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.20 लाख की कमी दवाइयों, खुराक राशि और वर्दी की कम खरीद के कारण हुई।

07- कुष्ठ रोग अस्पताल-

योजनेतर

मूल	6,46.40			
		3,02.59	3,02.57	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)3,43.81			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,43.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	25.00			
		4.43	4.43	..
पुनर्वि०	(-)20.57			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.57 लाख की कमी दूरभाष, जल और विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

08- गलमाला उपचार-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मूल	21.59			
		16.51	16.51	..
पुनर्वि०	(-)5.08			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
10- राष्ट्रीय अंधापन नियन्त्रण कार्यक्रम-				
योजनेतर				
(i) मूल	6.00			
	
पुनर्वि०	(-) 6.00			
21- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम -				
केन्द्रीय योजना				
योजनागत				
(ii) मूल	14,99.00			
	
पुनर्वि०	(-)14,99.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 14,99.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
योजनागत				
मूल	1,80.00			
		1,11.20	1,11.20	..
पुनर्वि०	(-) 68.80			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.80 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय एवं दवाईयों की कम खरीद के कारण हुई।				
107- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं-				
01- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालों पर व्यय -				
योजनेतर				
मूल	2,17.14			
पूरक	0.01	1,64.48	1,64.49	+0.01
पुनर्वि०	(-)52.67			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

200- अन्य तंत्र-

01- मुख्यमन्त्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना-

योजनेतर

मूल	2,00.00			
		1,50.00	1,50.00	..
पुनर्वि०	(-)50.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

2211- परिवार कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- राज्य मुख्यालय-

योजनेतर

मूल	95.20			
		6.64	6.64	..
पुनर्वि०	(-)88.56			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

02- जिला मुख्यालय-

योजनेतर

मूल	6,96.60			
		3,76.57	3,76.58	+0.01
पुनर्वि०	(-)3,20.03			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,20.03 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

योजनागत

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

003- प्रशिक्षण-

- 01- सहायक उपचारिका/दाई तथा महिला स्वास्थ्य आंगतुक पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण इत्यादि-केन्द्रीय योजना

योजनागत

(i) मूल 2,00.00

1,85.67

1,85.67

..

पुनर्वि० (-)14.33

योजनेतर

(ii) मूल 1,77.40

1,27.93

1,27.93

..

पुनर्वि० (-)49.47

101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ-

- 01- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र - केन्द्रीयगत योजना

योजनागत

(iii) मूल 22,00.00

21,66.93

21,66.93

..

पुनर्वि० (-)33.07

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.87 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनेतर

मूल 68,68.30

67,12.30

67,12.28

(-)0.02

पुनर्वि० (-)1,56.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,56.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, वाहनों की मरम्मत, दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

102- शहरी परिवार कल्याण
सेवाएँ-

01- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण
केन्द्र-
केन्द्रीयगत योजन
योजनागत

मूल	3,00.00			
		2,77.22	2,77.22	..
पुनर्वि०	(-)22.78			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।
योजनेतर

मूल	13,45.81			
		9,19.90	9,19.94	+0.04
पुनर्वि०	(-)4,25.91			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,25.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय -

01- इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-
योजनेतर

मूल	48.69			
	
पुनर्वि०	(-)48.69			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.69 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया।

योजनागत

मूल	1,00.00			
		59.75	59.75	..
पुनर्वि०	(-)40.25			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.25 लाख की कमी इस योजना पर कम व्यय होने के कारण हुई।

03- कन्या भ्रूण हत्या के सूचक को प्रोत्साहन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

योजनागत

मूल 2.00

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न हाने के कारण कम कर दिया गया।

04- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
के अन्तर्गत प्रावधान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 1,83,61.00

1,04,35.12

1,04,35.12

..

पुनर्वि० (-) 79,25.88

योजनागत

(ii) मूल 20,40.00

15,29.00

15,29.00

..

पुनर्वि० (-) 5,11.00

04- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iii) मूल 15,99.00

10,49.95

10,49.95

..

पुनर्वि० (-) 5,49.05

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 89,85.93 लाख की कमी भारत सरकार से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 2,12,63.67 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

06- मातृ सेवा योजना-

योजनागत

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

07- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 3,62.00

पुनर्वि० (-)3,62.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,63.00 लाख समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

50- आयुर्वेद विभाग के भवनों का रखरखाव-

योजनेतर

(i) मूल 0.01

1,50.01

1,50.01

..

पुनर्वि० 1,50.00

52- इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

के भवनों का रखरखाव-

योजनेतर

(ii) मूल 1,81.00

2,31.00

2,31.00

..

पुनर्वि० 50.00

54- दंत विभागों के भवनों का

रखरखाव-

योजनेतर

(iii) मूल 0.01

1.50

1.50

..

पुनर्वि० 1.49

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

55- डॉ० राजेंद्र प्रसाद चिकित्सालय महाविद्यालय
के भवनों का रख-रखाव-

योजनागत

(iv) मूल	1,45.00			
		1,95.00	1,95.00	..
पुनर्वि०	50.00			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,51.49 लाख का आवर्धन भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-

पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- जिला स्थापना-

योजनेतर

मूल	1.00			
पूरक	0.02	38.48	38.48	..
पुनर्वि०	37.46			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.46 लाख का आवर्धन स्पेशलिटीज में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को शुल्क जमा कराने और स्पेशलिटीज में प्रथम वर्ष के डिप्लोमेट छात्रों को छात्रवृत्ति देने के कारण हुआ।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

07- जैव चिकित्सा अपशिष्ट-

योजनेतर

मूल	64.17			
		89.36	89.26	(-)0.10
पुनर्वि०	25.19			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.19 लाख का आवर्धन जैन चिकित्सा अपशिष्ट पर लंबित देनदारियों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि सामग्री, आपूर्ति, मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं-

01- दन्त क्लीनिक (शहरी)-

योजनेतर

मूल	26,43.61			
		28,64.48	28,74.60	+10.12
पुनर्वि०	2,20.87			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

₹ 10.12 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,20.87 लाख का आवर्धन बकाया मंहगाई भत्ते के भुगतान और दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि के कारण हुआ जोकि रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों के सरकारी अनुबन्ध में परिवर्तन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण
तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

05- राष्ट्रीय आयुष मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	0.50			
पूरक	0.03	1,88.12	2,06.48	+18.36
पुनर्वि०	1,87.59			

₹ 18.36 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,87.59 लाख का अत्याधिक आवर्धन भारत सरकार से सहायता अनुदान की अधिक प्राप्ति और दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जबकि भारत सरकार से ₹ 6,14.21 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 18.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

योजनागत

पूरक	0.02			
		25.12	6.76	(-)18.36
पुनर्वि०	25.10			

₹ 18.36 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.10 लाख का आवर्धन भारत सरकार से सहायता अनुदान की अधिक प्राप्ति और राष्ट्रीय आयुष मिशन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 18.36 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- इंदिरा गांधी चिकित्सा
महाविद्यालय शिमला-

योजनेतर

मूल	1,38,27.07			
		1,42,12.19	1,42,12.06	(-)0.13
पुनर्वि०	3,85.12			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,85.12 लाख का आवर्धन बकाया मंहगाई भत्ते के भुगतान, किराया शुल्क एवं करों की अधिक प्राप्ति, स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन पर अधिक व्यय, दैनिक मजदूरी की दरों में वृद्धि तथा बाह्य स्रोत कर्मचारियों को परिश्रमिक देने के कारण हुआ।

योजनागत

मूल	10,16.00			
		12,67.45	12,67.45	..
पुनर्वि०	2,51.45			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,51.45 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि मशीनरी व उपकरणों की खरीद पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

04- दंत चिकित्सा महाविद्यालय-

योजनागत

मूल	1,01.00			
		1,68.07	1,68.07	..
पुनर्वि०	67.07			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.07 लाख का आवर्धन छात्रवृत्तियों तथा शिष्यवृत्तियों पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

05- निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान-

योजनेतर

मूल	1,61.85			
पूरक	0.01	1,12.54	3,24.44	+2,11.90
पुनर्वि०	(-)49.32			

₹ 2,11.90 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.32 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, अन्य शुल्कों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दांवों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि विज्ञापन, प्रचार, दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई और अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 2,11.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

06- डा० राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा-

योजनेतर

मूल	69,04.32			
		77,80.64	77,81.24	+0.60
पुनर्वि०	8,76.32			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,76.32 लाख का आवर्धन बकाया मंहगाई भत्ते का भुगतान, दूरभाष, जल, विद्युत बिलों, सामग्री आपूर्ति बिलों पर अधिक व्यय, दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि, और रोगी कल्याण समिति के लिए अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ जोकि बाह्य स्रोत कर्मचारियों की कम तैनाती से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

योजनागत

मूल	4,51.00			
		4,75.26	4,75.27	+0.01
पुनर्वि०	24.26			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.26 लाख का आवर्धन मशीनरी एवं उपकरणों के रखरखाव तथा कम्प्यूटरीकरण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

12- डॉ० यशवंत सिंह परमार राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय नाहन-
योजनेतर

पूरक	0.14			
		16,50.19	14,38.27	(-) 2,11.92
पुनर्वि०	16,50.05			

₹ 2,11.92 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,50.05 लाख का अत्याधिक आवर्धन नए स्थापित महाविद्यालय पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,11.92 लाख की अत्याधिक अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

14- पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-
योजनेतर

(i) पूरक	0.07			
		22.09	21.05	(-)1.04
पुनर्वि०	22.02			

15- लाल बहादुर शास्त्री राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय एवं
अस्पताल नेर चौक-
योजनेतर

(ii) पूरक	0.10			
		1,36.52	1,36.54	+0.02
पुनर्वि०	1,36.42			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,58.44 लाख का अत्याधिक आवर्धन नए स्थापित महाविद्यालयों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 16- राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर स्थित सरकारी
चिकित्सालयों में आघात देखभाल
सुविधायों हेतु क्षमता विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

पूरक	0.02			
		6,07.50	6,07.50	..
पुनर्वि०	6,07.48			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,07.48 लाख का अत्याधिक आवर्धन नए आघात केन्द्र की स्थापना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 06- लोक स्वास्थ्य-

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-

- 01- स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन-

योजनेतर

मूल	61.99			
		1,13.19	1,12.86	(-)0.33
पुनर्वि०	51.20			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.20 लाख का आवर्धन बकाया मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

- 04- औषध प्रशासन और खाद्य सुरक्षा-

योजनेतर

मूल	1,24.38			
		1,59.21	1,59.22	+0.01
पुनर्वि०	34.83			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.83 लाख का आवर्धन बकाया मंहगाई भत्ते के भुगतान और दूरभाष, जल, एवं विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि किराया एवं कर शुल्कों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 101- रोगों का रोकथाम तथा नियन्त्रण-

- 23- अभिघात केंद्रों पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

पूरक	0.02			
		11,01.60	11,01.60	..
पुनर्वि०	11,01.58			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,01.58 लाख का अत्याधिक आवर्धन नए अभिधात केन्द्रों की स्थापना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
200- अन्य प्रणालियां-				
02- हिमाचल प्रदेश वैश्विक				
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-				
योजनेतर				
पूरक	0.01			
		50.00	50.00	..
पुनर्वि०	49.99			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.99 लाख का आवर्धन योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2211- परिवार कल्याण-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
02- जिला मुख्यालय-				
केन्द्रीय योजना				
योजनागत				
मूल	1,20.00			
		1,48.23	1,48.23	..
पुनर्वि०	28.23			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.23 लाख का आवर्धन बकाया मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।				
800- अन्य व्यय-				
05- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-				
योजनागत				
मूल	9,28.00			
		11,28.00	11,28.00	..
पुनर्वि०	2,00.00			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (क्रमशः)

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यत निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
पर पूंजीगत परिव्यय-			
<i>02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i>			
110- अस्पताल और औषधालय-			
01- ग्रामीण स्वास्थ्य			
योजनागत			
मूल	20,00.00		
पूरक	8,09.33	27,94.33	27,94.33 ..
पुनर्वि०	(-)15.00		
मार्च 2017 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी ग्रामीण स्वास्थ्य अस्पतालों एवं औषधालयों पर कम व्यय के कारण हुई।			
<i>03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण</i>			
<i>तथा अनुसंधान-</i>			
101- आयुर्वेदा-			
02- आयुष संस्थानों का उन्नयन-			
योजनागत			
मूल	1.00		
पुनर्वि०	1.00
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।			
03- राष्ट्रीय आयुष मिशन-			
योजनागत			
मूल	1.27		
पुनर्वि०	1.00	2.27	.. (-)2.27

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 9- (समाप्त)

₹ 2.27 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यान्वयन के लिए अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकी समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

₹ 2.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

05- नाहन में चिकित्सा महाविद्यालय
का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	92,00.00			
		89,27.00	89,26.92	(-)0.08
पुनर्वि०	(-)2,73.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,73.00 लाख की कमी निर्माण कार्य पर कम व्यय के कारण हुई । जबकि भारत सरकार से ₹ 1,23,00.00 लाख का अनुदान पर हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	27,94,29,62			
		28,04,77,49	27,90,89,19	(-)13,88,30
पूरक	10,47,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4,27,94,68
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	8,75,86,56			
		9,95,25,68	11,03,25,63	+1,07,99,95
पूरक	1,19,39,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				22,89,99
प्रभारित				
मूल	..			
		69,99,44	38,20,95	(-)31,78,49
पूरक	69,99,44			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)
टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,07,99,94,918 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 13,88.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 10,47.87 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 4,27,94.68 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,07,99.95 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 1,19,39.12 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 22,89.99 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (iv) उपरोक्त राजस्व और पूंजीगत प्रवर्ग के दोनों मामले बेहतर बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करते हैं।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 31,78.49 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 69,99.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ जबकि वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

योजनेतर

- | | | | | | |
|-----|----------|-------------|----------|----------|---------|
| (i) | मूल | 22,46.38 | | | |
| | | | 14,30.11 | 14,27.33 | (-)2.78 |
| | पुनर्वि0 | (-) 8,16.27 | | | |

03- डिजाईन-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

(ii)	मूल	4,58.34			
			3,99.18	3,98.03	(-)1.15
	पुनर्वि०	(-)59.16			
04-	वास्तुकला-				
	योजनेतर				

(iii)	मूल	2,69.01			
			1,75.00	1,75.09	+0.09
	पुनर्वि०	(-)94.01			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,69.44 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

052- मशीनरी तथा उपस्कर-
02- मरम्मतें तथा भार ढुलाई इत्यादि-
योजनेतर

मूल	42.23	42.23	18.46	(-)23.77
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 23.77 लाख की अंतिम बचत के लिए कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

053- रखरखाव तथा मरम्मत -
03- निष्पादन-
योजनेतर

मूल	1,29,06.43			
		94,08.81	93,88.23	(-)20.58
पुनर्वि०	(-)34,97.62			

₹ 20.58 लाख की अंतिम बचत दृष्टि में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34,97.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दूरभाष, जल और विद्युत बिलों पर हुए कम व्यय के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान पर व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई, अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.58 लाख की अंतिम बचत के लिए कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

04- गैर आवासीय भवनों के
रखरखाव पर व्यय-
योजनेतर

मूल	31,29.48			
		30,60.00	19,86.02	(-)10,73.98
पुनर्वि०	(-)69.48			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

₹ 10,73.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.48 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 10,73.98 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

05- स्थाई स्थापना में बदले
गए कामगार-

योजनेतर

मूल	88,46.39			
		82,42.15	82,31.07	(-)11.08
पुनर्वि०	(-)6,04.24			

₹ 11.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,04.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान पर व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई, अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 11.08 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

06- वसूलियों के समायोजन हेतु
रखरखाव का प्रावधान-

योजनेतर

मूल	88,46.39	88,46.39	65,24.55	(-)23,21.84
-----	----------	----------	----------	-------------

₹ 23,21.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत तथा रख-रखाव-

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल	12,95.59			
		12,51.90	11,82.08	(-)69.82
पुनर्वि०	(-)43.69			

₹ 69.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.69 लाख की कमी साधारण पूल आवास के रख रखाव पर कम खर्च करने के कारण हुई जो अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

₹ 69.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

3054- सड़क तथा सेतु-

01- राष्ट्रीय राजमार्ग-

337- सड़क निर्माण कार्य-

01- राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव-

योजनेतर

मूल	5,00.00	5,00.00	3,39.61	(-)1,60.39
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 1,60.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

03- राजकीय उच्च मार्ग-

103- रखरखाव तथा मरम्मत-

04- अन्य रखरखाव व्यय मशीनरी

तथा उपकरण-

योजनेतर

मूल	4,08.16			
		2,65.02	2,27.20	(-)37.82

पुनर्वि0 (-)1,43.14

₹ 37.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.14 लाख की कमी मशीनरी के रखरखाव तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय के कारण हुई जो अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 37.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

05- अन्य रखरखाव व्यय-सेतु-

योजनेतर

मूल	12,29.09			
		9,49.55	8,26.83	(-)1,22.72

पुनर्वि0 (-)2,79.54

₹ 1,22.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,79.54 लाख की कमी सेतुओं के रख-रखाव पर कम व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,22.72 लाख का अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

08- सड़क के रखरखाव

पर व्यय-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

(i)	मूल	17,77.60			
			17,77.59	16,93.61	(-)83.98
	पुनर्वि०	(-)0.01			

09- सड़क के रखरखाव
पर व्यय-

योजनागत

(ii)	मूल	6,83.70			
			6,83.69	6,50.87	(-)32.82
	पुनर्वि०	(-)0.01			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,16.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

10- निष्पादन-
योजनेतर

मूल	1,65,27.88				
		1,13,08.16	1,12,75.71		(-)32.45
पुनर्वि०	(-) 52,19.72				

₹ 32.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52,19.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई जोकि कर्मचारी वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

11- वसूलियों के समायोजन हेतु
रखरखाव प्रावधान-

योजनेतर

मूल	2,28,76.40				
		2,07,30.88	1,56,47.61		(-)50,83.27
पुनर्वि०	(-)21,45.52				

₹ 50,83.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21,45.52 लाख की कमी रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 50,83.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

13- स्थाई स्थापना में बदले गए

कामगार-सेतु-

योजनेतर

(i) मूल	61,76.44			
		59,49.68	59,47.56	(-)2.12
पुनर्वि०	(-)2,26.76			

14- कार्य भारित कर्मचारियों को नियमित

स्थापना सड़क निर्माण में परिवर्तित

करना-

योजनेतर

(ii) मूल	1,09,64.72			
		90,15.33	90,12.23	(-)3.10
पुनर्वि०	(-)19,49.39			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21,76.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

105- रखरखाव तथा मरम्मत-

03-सड़कों के रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल	56,06.56			
		22,00.00	22,17.00	+17.00
पुनर्वि०	(-)34,06.56			

₹ 17.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34,06.56 लाख की कमी सड़कों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई, जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

05- लोक निर्माण विभाग कार्यशाला

नाहन फाउण्डरी-

योजनेतर

मूल	3,76.63			
		33.50	29.85	(-) 3.65
पुनर्वि०	(-)3,43.13			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,43.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

06- वसूलियों के समायोजन हेतु
रख-रखाव प्रावधान-

योजनेतर

मूल	6,04,82.88			
		4,86,50.96	4,12,89.51	(-)73,61.45
पुनर्वि०	(-)1,18,31.92			

₹ 73,61.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹1,18,31.92 लाख की अत्याधिक कमी वसूलियों के समायोजन पर कम व्यय के कारण हुई।

₹ 73,61.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

07- स्थाई स्थापना में बदले कामगार-
सड़क निर्माण कार्य-

योजनेतर

(i) मूल	6,04,82.88			
		4,86,50.96	4,86,43.93	(-)7.03
पुनर्वि०	(-)1,18,31.92			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18,31.92 लाख की अत्याधिक कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-
01- निदेशन और पर्यवेक्षण-

योजनेतर

मूल	56,40.11			
		39,35.03	39,20.52	(-)14.51
पुनर्वि०	(-)17,05.08			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17,05.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

05- वास्तुकार-

योजनेतर

मूल	5,55.38			
		4,18.81	4,18.80	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,36.57			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,36.57 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर हुए कम व्यय के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

03- विधानसभा भवन शिमला/धर्मशाला-

योजनागत

मूल 5.00

55.00

53.66

(-)1.34

पुनर्वि0 50.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन की मरम्मत और रखरखाव पर हुए व्यय के कारण हुआ।

799- उच्चत -

01- स्टॉक-

योजनेतर

(i) मूल 90,00.00 90,00.00 4,34,56.41 +3,44,56.41

02- स्टॉक निर्माण-

योजनेतर

(ii) मूल 40,00.00 40,00.00 53,42.82 +13,42.82

03- विभिन्न लोक निर्माण

विभाग पेशगियां-

योजनेतर

(iii) मूल 50,00.00 50,00.00 2,77,00.46 +2,27,00.46

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5,84,99.69 लाख के अत्याधिक अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतिक्रित थे (जुलाई 2017)।

3054- सड़क तथा सेतु-

03- राजकीय राजमार्ग-

103- रख-रखाव और मरम्मत-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

06- अन्य रख रखाव व्यय
सड़क निर्माण कार्य-

योजनेतर

मूल 31,45.03

31,85.02 32,43.56 +58.54

पुनर्वि० 39.99

₹ 58.54 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.99 लाख का आवर्धन सड़कों के रख-रखाव पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 58.54 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

योजनागत

मूल 4,30.00

4,30.00 5,21.35 +91.35

₹ 91.35 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2017)।

12- स्थाई स्थापना में बदले गए
कामगार मशीनरी एवं उपस्कर-

योजनेतर

मूल 57,35.24

57,65.87 57,64.55 (-)1.32

पुनर्वि० 30.63

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.63 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ते की बकाया राशि के भुगतान के कारण हुआ।

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

105- रखरखाव तथा मरम्मत-

02- अन्य रख रखाव व्यय
सड़क निर्माण कार्य-

योजनेतर

मूल 1,59,90.98

1,74,77.53 1,66,54.82 (-)8,22.71

पुनर्वि० 14,86.55

₹ 8,22.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,86.55 लाख का आवर्धन विभिन्न जिला सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के कार्यों पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ, अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 8,22.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	7,33.14			
पूरक	9,84.89	17,20.14	17,80.54	+60.40
पुनर्वि०	2.11			

₹ 60.40 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ: --

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सरकारी रिहायशी भवन-			
106- साधारण पूल आवास-			
01- विभिन्न जिलों में रिहायशी भवनों का निर्माण-			
योजनागत			
(i) मूल	16,52.00		
		16,77.00	17,51.74
			+74.74
पूरक	25.00		
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
03- राज्य राजमार्ग-			
101- सेतू-			
01- सेतु का निर्माण			
योजनागत			
(ii) मूल	1,90.00		
		13,80.00	20,25.68
			+ 6,45.68
पूरक	11,90.00		
337- सड़क निर्माण कार्य-			
03- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत सड़क निर्माण-			
योजनागत			
(iii) मूल	2,20,01.00	2,20,01.00	2,25,02.32
			+5,01.32

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

योजनेतर

(iv)	मूल	22,00.00			
			21,98.02	30,15.01	+8,16.99
	पुनर्वि०	(-).1.98			

06- प्रतिपूरक पौधारोपण (वन भूमि की लागत और शुद्ध वर्तमान मूल्य का भुगतान)-

योजनेतर

(v)	मूल	5,00.00			
			10,00.00	10,64.93	+63.93
	पूरक	5,00.00			

09- प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम कोष एवं प्रशासनिक व्यय निधि-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(vi)	मूल	1,18,46.00	1,18,46.00	3,35,07.00	+2,16,61.00
------	-----	------------	------------	------------	-------------

योजनागत

(vii)	मूल	13,16.00	13,16.00	37,22.43	+24,06.43
-------	-----	----------	----------	----------	-----------

उपरोक्त सात मामलों में ₹ 2,61,71.09 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 3,96,61.00 लाख था।

15- मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान (सड़कें एवं पुल)-

योजनागत

	मूल	1.00			
			..	24,46.44	+24,46.44
	पुनर्वि०.	(-).1.00			

बिना बजट प्रावधान के ₹ 24,46.44 लाख का अत्याधिक व्यय हुआ जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

(ix) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:--

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पूल आवास-

01- विभिन्न जिलों में आवासीय भवनों का निर्माण-

योजनेतर

(i) मूल	18,48.00	18,48.00	17,71.62	(-)76.38
---------	----------	----------	----------	----------

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

03- राज्य राजमार्ग-

101- सेतु-

01- सेतु का निर्माण

योजनेतर

(ii) मूल	25,00.00	25,00.00	18,54.71	(-)6,45.29
----------	----------	----------	----------	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 7,21.67 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

337- सड़क निर्माण कार्य-

04- केन्द्रीय सड़क निधि के

अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 19,74.00

पूरक 45,00.00

पुनर्वि0 (-)22,86.00

41,88.00

43,23.55

+1,35.55

₹ 1,35.55 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22,86.00 लाख की कमी वन भूमि के भुगतान की अदायगी न के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,35.55 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

06- विश्व बैंक राज्य सड़कें-

योजनागत

मूल	2,49,50.00	2,49,50.00	1,00,00.00	(-)1,49,50.00
-----	------------	------------	------------	---------------

₹ 1,49,50.00 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

(x) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	------------------------------	-----------------------

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर
पूंजीगत परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

योजनेतर

पूरक	35,38.07	35,38.07	27,41.50	(-)7,96.57
------	----------	----------	----------	------------

₹ 7,96.57 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

15- मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान

(सड़कें एवं पुल)-

योजनागत

पूरक	23,72.62	23,72.62	..	(-)23,72.62
------	----------	----------	----	-------------

मार्च 2017 में अनुपूरक अनुदान से प्राप्त ₹ 23,72.62 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (क्रमशः)

(xi) उच्चंत लेन देन-

इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में लघु-शीर्ष 'उच्चंत' के अंतर्गत लेखांकित किए गए ₹ 7,64,99.68 लाख (₹ 7,64,99.68 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में शून्य व्यय) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतरिम लेन देनों को समायोजन के लिए है जिनके संबन्ध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड हैं:-

- (1) स्टॉक
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(1) स्टॉक:- इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

(2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम:- यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ में डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

(3) कार्यशाला उच्चंत:- इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (समाप्त)

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2016-17 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को अथ शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2017 को अन्त शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग (₹ लाख में)				
2059- लोक निर्माण कार्य				
80- सामान्य				
799- उच्चंत				
01- स्टॉक	(-)2,11,76.25	4,34,56.41	3,91,40.50	(-)1,68,60.34*
02- स्टॉक विनिर्माण	+9,17.98	53,42.82	45,64.07	+16,95.73
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+4,30,79.64	2,77,00.46	3,43,97.67	+3,63,82.43
04- कार्यशाला उच्चंत	+0.07	0.00	0.00	+0.07
कुल	+2,28,21.44	7,64,99.69	7,81,02.24	+2,12,18.89
कुल राजस्व प्रवर्ग	+2,28,21.44	7,64,99.69	7,81,02.24	+2,12,18.89
पूंजीगत प्रवर्ग				
5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय				
03- राज्य उच्च मार्ग				
799- उच्चंत				
01- स्टॉक	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्टॉक विनिर्माण	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला उच्चंत	(-)1,99.52	0.00	0.00	(-)1,99.52*
कुल पूंजीगत प्रवर्ग	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-) 2,54.40*
कुल जोड़	+2,25,67.04	7,64,99.69	7,81,02.24	+2,09,64.49

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- कृषि

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु पालन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	3,51,38,26		
	3,59,44,06	3,32,40,35	(-)27,03,71
पूरक	8,05,80		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			27,01,09
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	56,82,36		
	59,82,36	59,78,29	(-)4,07
पूरक	3,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			4,07

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 27,03.71 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 8,05.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक्य (+) बचत (-)
शीर्ष			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

2401- फसल कृषि-कर्म-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

(i) मूल 13,08.05

8,57.72

8,57.72

..

पुनर्वि0 (-)4,50.33

02- जिला एवं क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग -

योजनेतर

(ii) मूल 23,95.60

16,77.39

16,77.16

(-)0.23

पुनर्वि0 (-)7,18.21

103- बीज -

01- बीजों का वितरण -

योजनेतर

(iii) मूल 11,57.15

10,37.59

10,37.51

(-)0.08

पुनर्वि0 (-)1,19.56

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,88.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारी वर्ग द्वारा यात्रा व्यय के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल 3,03.00

2,90.84

2,90.83

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)12.16

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.16 लाख की कमी पेट्रोल, तेल, स्नेहक, तथा मरम्मत पर हुए कम व्यय, सामग्री की कम खरीद और विद्युत, जल तथा दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

104- कृषि फार्म -

03- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना -

योजनेतर

मूल 25,00.00

6,57.21

6,57.21

..

पुनर्वि0 (-) 18,42.79

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,42.79 लाख की कमी कृषकों के समूह/संस्था और एकल कृषक द्वारा उच्च तकनीक सौर बाड़ मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।

105- खाद तथा उर्वरक -

02- उर्वरकों का वितरण -

योजनेतर

मूल 13.76

9.95 9.93 (-)0.02

पुनर्वि० (-) 3.81

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.81 लाख की कमी पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई ।

योजनागत

मूल 2,96.00

2,07.62 2,07.62 ..

पुनर्वि० (-)88.38

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.38 लाख की कमी उपदान के मामलों की कम प्राप्ति, विद्युत, जल, दूरभाष बिलों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई ।

04- मृदा विज्ञान और रसायन -

योजनेतर

(i) मूल 4,56.33

3,67.12 3,66.78 (-)0.34

पुनर्वि० (-)89.21

07- गुण नियंत्रक प्राप्तिओं का विकास
(उर्वरक नियंत्रक प्रयोगशाला) -

योजनेतर

(ii) मूल 75.88

54.07 54.07 ..

पुनर्वि० (-)21.81

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.02 लाख कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

25- सामान्य विस्तार गतिविधियाँ-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	24,04.97			
		18,94.20	18,93.19	(-)1.01
पुनर्वि०	(-)5,10.77			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,10.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, मरम्मत पर कम व्यय तथा यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल	2,45.00			
		2,26.77	2,25.76	(-)1.01
पुनर्वि०	(-)18.23			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.23 लाख की कमी पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मतों पर कम व्यय तथा बाह्य स्रोतों से कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण हुई।

113- कृषि इंजीनियरिंग (आभियांत्रिकी) -

01- कृषि उपकरण तथा संयंत्र -

योजनेतर

मूल	1,07,72			
		64.18	64.18	..
पुनर्वि०	(-)43.54			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

115- छोटे/उपांतक किसानों तथा

कृषि श्रम की योजना -

01- मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर-

मजदूर जीवन सुरक्षा योजना -

योजनागत

मूल	50.00			
		8.30	8.30	..
पुनर्वि०	(-)41.70			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.70 लाख की कमी लाभार्थियों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

119- बागवानी और वनस्पति फसलें -

59- वनस्पति पौध उत्पादन के

लिए उत्कृष्टता केंद्र -

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

योजनागत

मूल 1,00.00

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2017 में ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान किसानों से कोई मांग न मिलने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया ।

800- अन्य व्यय -

13- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

मूल 21,68.00

9,72.23

9,72.22

(-)1.01

पुनर्वि० (-)11,95.77

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,95.77 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई।

योजनागत

मूल 2,41.00

1,07.76

1,07.76

..

पुनर्वि० (-)1,33.24

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,33.24 लाख की कमी योजना सीमा में कमी के कारण हुई।

15- स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 11,85.00

5,88.98

5,88.98

..

पुनर्वि० (-)5,96.02

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,96.02 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 6,82.55 लाख था।

योजनागत

मूल 1,32.00

59.43

59.43

..

पुनर्वि० (-)72.57

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72.57 लाख की कमी योजना सीमा में कमी के कारण हुई ।

2402- मृदा तथा जल संरक्षण-

101- मृदा सर्वेक्षण और प्रशिक्षण-

01- कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण (कृषि विभाग)-

योजनेतर

मूल	2,10.64			
		1,78.76	1,78.75	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)31.88			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.88 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

102- मृदा संरक्षण -

01- कृषि भूमि भू-संरक्षण (कृषि विभाग)-

योजनेतर

मूल	18,41.14			
		15,47.29	15,46.49	(-)0.80
पुनर्वि०	(-)2,93.85			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,93.85 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अधिक तैनाती से हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

03- भू-संरक्षण अनुसंधान निरूपन केन्द्र की स्थापना (कृषि विभाग)-

योजनेतर

(i) मूल	50.35			
		39.02	39.01	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)11.33			

04- नदी घाटी परियोजना में भू-संरक्षण (कृषि विभाग)-

योजनेतर

(ii) मूल	1,78,55			
		1,20.58	1,20.58	..
पुनर्वि०	(-)57.97			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

2407- बागान-

01- चाय-

800- अन्य व्यय -

01- हिमाचल प्रदेश में चाय विकास -

योजनेतर

(iii) मूल	1,58.82			
		93.32	93.31	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)65.50			

उपरोक्त तीन मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

2810- नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा-

01- जैव ऊर्जा -

103- बायोमास -

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना -

योजनागत

मूल	20.00			
		4.28	4.28	..
पुनर्वि०	(-)15.72			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.72 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा उपदान दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।

योजनेतर

मूल	4,81.87			
		3,86.71	3,86.71	..
पुनर्वि०	(-)95.16			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.16 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और पेट्रोल, तेल स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर हुए कम व्यय के कारण हुई ।

सुधार पर्ची संख्या 650 दिनांक 15-09-2008 के अनुसार उपरोक्त उप मुख्य शीर्ष 01- जैव ऊर्जा को हटा दिया गया है। लघु शीर्ष 103 को बायोमास के स्थान पर 103-शहरी, औद्योगिक एवं व्यावसाहिक उपयोग के लिए नवीकरणीय उर्जा के रूप में पढा जाए।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अधीन हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

2401- फसल कृषि कर्म-

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

27- विस्तार और प्रौद्योगिकी

पर राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय प्रयोजित योजना

योजनागत

मूल 11,85.00

पूरक 28.87 13,13.31 13,13.31 ..

पुनर्वि० 99.44

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.44 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण हुआ।

110- फसल बीमा -

01- फसल बीमा योजना -

योजनागत

मूल 2,25.00

3,03.00 3,03.00 ..

पुनर्वि० 78.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.00 लाख का आवर्धन किसानों से दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय -

16- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 9,48.00

12,72.84 12,72.84 ..

पुनर्वि० 3,24.84

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,24.84 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 15,83.68 लाख था।

योजनागत

मूल 1,05.00

1,41.33 1,41.33 ..

पुनर्वि० 36.33

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.33 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से के जारी होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

2402- मृदा तथा जल संरक्षण -

800- अन्य व्यय-

04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 59.00

5,68.00

5,68.00

..

पुनर्वि० 5,09.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,09.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण हुआ जो कि योजना सीमा में कमी के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

योजनागत

मूल 7.00

63.11

63.11

..

पुनर्वि० 56.11

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.11 लाख का आवर्धन योजना सीमा में वृद्धि के कारण हुआ।

2403- पशुपालन -

107- चारा तथा चारागाह विकास -

05- उत्तम चारा उत्पादन योजना -

योजनागत

(i) मूल 4,00.00

5,50.00

5,50.00

..

पुनर्वि० 1,50.00

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

01- फसल कृषि कर्म-

004 - अनुसंधान -

02- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान-

योजनागत

(ii) मूल 30,01.00

पूरक 7,76.93

65,01.00

65,01.00

..

पुनर्वि० 27,23.07

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28,37.07 लाख का आवर्धन योजना सीमा में वृद्धि और आर्थिक दायित्व को पूरा करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 - उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ वास्तविक व्यय (₹ हजार में)		आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,09,83,29			
		2,58,07,78	2,40,85,35	(-)17,22,43
पूरक	48,24,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				17,25,87

पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत

मूल	14,21,55			
		14,28,42	14,28,07	(-)35
पूरक	6,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				35

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 17,22.43 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 48,24.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ और ₹ 17,25.87 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -12 (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2401- फसल कृषि-कर्म-			
119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-			
01- निदेशालय-			
योजनेतर			
मूल	9,59.05		
	8,64.20	8,63.60	(-)0.60
पुनर्वि०	(-)94.85		
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 94.85 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जो कि नए वाहनों की खरीद पर हुए अधिक्य में अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
योजनागत			
मूल	2.00		

पुनर्वि०	(-)2.00		
मार्च 2017 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान रिक्त पदों को न भरने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।			
02- जिला तथा अधीनस्थ कर्मचारी-			
योजनेतर			
मूल	26,07.80		
	20,07.37	20,08.37	(-)1.07
पुनर्वि०	(-)6,00.43		
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,00.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और बाह्य स्रोत कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण हुई।			
09- मधुमक्खी पालन योजना-			
योजनेतर			
मूल	2,62.96		
	2,28.99	2,29.38	+0.39
पुनर्वि०	(-)33.97		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -12 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.97 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने कारण हुई।

10- पुष्प कृषि विकास-
योजनेतर

मूल	1,33.75				
		99.64	99.53		(-)0.11
पुनर्वि०	(-)34.11				

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.11 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने और और बाह्य स्रोत कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण हुई।

11- राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं की
स्थापना तथा रखरखाव -
योजनेतर

मूल	7,83.06				
		6,39.49	6,37.32		(-)2.17
पुनर्वि०	(-)1,43.57				

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.57 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने और और बाह्य स्रोत के कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण हुई।

योजनागत

मूल	75.00				
		58.59	58.64		+0.05
पुनर्वि०	(-)16.41				

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.41 लाख की कमी सामग्री, मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

15- खुम्ब खेती परियोजना-
योजनेतर

मूल	2,33.23				
		2,02.43	2,02.80		+0.37
पुनर्वि०	(-)30.80				

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.80 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने और और बाह्य स्रोत के कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -12 (क्रमशः)

19- प्रशिक्षण तथा विस्तार-

योजनेतर

मूल 21,36.06

19,60.08

19,60.69

+0.61

पुनर्वि० (-)1,75.98

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,75.98 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों और यात्रा-खर्च दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

22- विपणन और गुणवत्ता नियन्त्रण-

योजनागत

मूल 7,90.00

7,38.38

7,38.42

+0.04

पुनर्वि० (-)51.62

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.62 लाख की कमी लाभार्थियों से उपदान मामलों की कम प्राप्ति और सर्वेक्षण न करने के कारण हुई।

26- फल प्रसंस्करण योजना-

योजनेतर

मूल 5,64.87

4,90.92

4,92.59

+1.67

पुनर्वि० (-)73.95

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73.95 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण हुई जो कि मौसमी तथा कार्यात्मक कार्यों पर अधिक व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

51- सेवा तथा आम की फसल के लिए

मौसम आधारित फसल बीमा-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 6,58.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)6,58.00

मार्च 2017 में ₹ 6,58.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -12 (क्रमशः)

योजनेतर					
(ii) मूल	50.00				
		
पुनर्वि०	(-)50.00				
53- उत्तरी पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के लिए उद्यान मिशन के अंतर्गत संरक्षित खेती योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजनागत					
(iii) मूल	7,37.00				
		
पुनर्वि०	(-)7,37.00				
योजनागत					
(iv) मूल	1,84.00				
		
पुनर्वि०	(-)1,84.00				

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2017 में ₹ 16,29.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना बंद करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

56- उधान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजनागत					
(i) मूल	21,06.00				
	0.01	18,35.00	18,35.00		..
पुनर्वि०	(-)2,71.01				
योजनागत					
(ii) मूल	5,26.00				
	0.02	4,26.98	4,26.98		..
पुनर्वि०	(-)99.04				

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,70.00 लाख की कमी निधियों के आबंटन को योजनागत से योजनेतर में परिवर्तित करने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 24,49.04 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -12 (क्रमशः)

58- खेत जल प्रबन्धन कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 1,32.00

पुनर्वि० (-)1,32.00

योजनागत

(ii) मूल 33.00

पुनर्वि० (-)33.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में ₹ 1,65.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना बंद करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-
शीर्ष कुल विनियोजन वास्तविक आधिक्य (+)
व्यय बचत (-)
(₹ लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

05- उद्यान विकास-

योजनेतर

मूल 8,23.51

13,58.63

13,59.16

+0.53

पुनर्वि० (-)5,35.12

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,35.12 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा उपदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि शिवरों, संगोष्ठियों के कम आयोजन, रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

50- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -12 (समाप्त)

मूल	6,22.001			
		6,65.91	6,65.91	..
पुनर्वि०	43.91			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.91 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ।

51- सेब तथा आम की फसल के लिए
मौसम आधारित फसल योजना-
योजनागत

(i) मूल	3,29.00			
		5,98.45	5,98.45	..
पुनर्वि०	2,69.45			

57- उधान विकास परियोजना
योजनागत

(ii) मूल	2,50.00			
पूरक	17,58.08	27,50.005	27,50.00	..
पुनर्वि०	7,41.92			

उरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,11.37 लाख का आवर्धन योजना सीमा में वृद्धि होने के कारण हुआ।

62- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

मूल	0.01			
		94.00	94.00	..
पुनर्वि०	93.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -13-सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	22,61,32,75			
		24,10,35,78	25,98,64,58	+1,88,28,80
पूरक	1,49,03,03			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				
प्रभारित				
मूल	..			
		64,97	64,97	..
पूरक	64,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,39,30,83			
		5,83,45,30	3,97,73,49	(-)1,85,71,81
पूरक	44,14,47			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017) 1,85,58,06				

135
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,88,28,80,059 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,88,28.80 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 1,49,03.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जोकि सही बजट बनाने और व्यय पर बेहतर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता को इंगित करता है।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,85,71.81 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 44,14.47 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावयक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ: -

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति -

101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-

02- विभिन्न जिलों में शहरी
जल आपूर्ति योजनाओं का
रखरखाव और मरम्मत-

योजनेतर

मूल 1,97,44,57

2,83,67.33 2,81,19.10 (-)2,48.23

पुनर्वि0 86,22,76

₹ 2,48.23 लाख के अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 86,22,76 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने, बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान और शहरी जलापूर्ति योजनाओं के ऊर्जा प्रभारों के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 2,48.23 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

04- वसूलियों का समायोजन के हेतु
रखरखाव मे प्रावधान-

136
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	45,24,57			
		76,90.20	74,05.62	(-)2,84.58
पुनर्वि०	31,65.63			

₹ 2,84.58 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31,65.63 लाख का आवर्धन शहरी जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव एवं मरम्मत पर वसूलियों के समायोजन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,84.58 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-
13- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-

योजनेतर

मूल	23,08.78			
		48,08.78	47,21.06	(-)87.72
पुनर्वि०	25,00.00			

₹ 87.72 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,00.00 लाख का आवर्धन विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 87.72 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 799- उच्चंत-
01- उच्चंत स्टॉक पर व्यय -

योजनागत

(i) मूल	51,75.00			
		1,02,15.97	1,78,67.32	+76,51.35
पुनर्वि०	50,40.97			

- 03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(ii) मूल	47,15.00			
		1,12,42.86	2,51,04.44	+1,38,61.58
पुनर्वि०	65,27.86			

137
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,15,12.93 लाख के सारभूत अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15,68.83 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,15,12.93 लाख के सारभूत अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जलाई 2017)।

- 02- मलजल तथा स्वच्छता-
105- स्वच्छताए सेवाएं-
02- रखरखाव और मरम्मत-

योजनेतर

मूल	49.50			
		94.89	92.45	(-)2.44
पुनर्वि०	45.39			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.39 लाख का आवर्धन सफाई प्लांट के उर्जा प्रभारों पर व्यय के कारण हुआ।

2700- मुख्य सिंचाई-

- 01- शाह नहर परियोजना-
101- रखरखाव तथा मरम्मत-
01- अन्य रखरखाव व्यय-

योजनेतर

मूल	1,53.66			
		5,21.07	5,20.25	(-)0.82
पुनर्वि०	3,67.41			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,67.41 लाख का आवर्धन सिंचाई योजनाओं के उर्जा प्रभारों के भुगतान और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2701- मध्यम सिंचाई -

- 12- बल्ह घाटी परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-
101- रखरखाव तथा मरम्मतें -
01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

(i) मूल	62.65			
		11,48.20	11,48.20	..
पुनर्वि०	10,85.55			

138
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

13- भभौर साहिब परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

101- रखरखाव तथा मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

योजनेतर

(ii) मूल	2,30.10			
		2,61.41	2,61.41	..
पुनर्वि०	31.31			

15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

101- रखरखाव तथा मरम्मत -

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

(iii) मूल	28.30			
		12,57.73	12,57.88	+0.15
पुनर्वि०	12,29.43			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23,46.29 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के ऊर्जा प्रभारों के भुगतान के कारण हुआ।

799- उच्चंत-

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

मूल	1.50			
		5.93	5.93	..
पुनर्वि०	4.43			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.43 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

16- बहाव सिंचाई योजना सिधाता (गैर वाणिज्यिक)-

101- रखरखाव तथा मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

योजनेतर

मूल	30.10			
		2,45.35	2,45.35	(-)0.01
पुनर्वि०	2,15.25			

139
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,15.25 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के ऊर्जा प्रभारों के भुगतान के कारण हुआ।

20- फीना सिंह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

799- उच्चंत-

01- स्टॉक-

योजनागत

मूल	2,00.00	2,00.00	8,89.43	+6,89.43
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 6,89.43 लाख के अत्याधिक अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2702- लघु सिंचाई-

01- सतही जल-

799- उच्चंत-

01- स्टॉक-

योजनागत

मूल	15,00.00			
		17,19.00	17,16.97	+2.03

पुनर्वि०	2,19.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.00 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

मूल	3,00.00			
		3,64.88	3,81.55	+16.67

पुनर्वि०	64.88			
----------	-------	--	--	--

₹ 16.67 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.88 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

140
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

मूल	51,56.35			
		76,10.35	76,10.30	(-)0.05

पुनर्वि० 24,54.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24,54.00 लाख का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने और बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत, दूरभाष, जल और विद्युत बिलों पर कम व्यय और यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

07- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-
योजनेतर

मूल	7,21.14			
		11,91.99	11,72.60	(-)19.39

पुनर्वि० 4,70.85

₹ 19.39 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,70.85 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-

01- बाढ़ नियंत्रण-

799- उच्चंत -

01- स्टॉक-

योजनागत

(i) मूल	3,45.00			
		59,27.71	59,27.72	+0.01

पुनर्वि० 55,82.71

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(ii) मूल	69.00			
		2,72.44	2,72.44	..

पुनर्वि० 2,03.44

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57,86.15 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

141
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

(v) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति -

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

योजनेतर

मूल	37,37.42			
		25,61.26	25,61.24	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)11,76.16			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,76.16 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों पर कम व्यय तथा छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति के लिए आवेदनों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- निष्पादन -

योजनेतर

मूल	1,18,84.91			
		93,88.26	93,54.36	(-)33.90
पुनर्वि०	(-)24,96.65			

₹ 33.90 लाख के अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24,96.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.90 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

005- सर्वेक्षण एवं अन्वेषण-

01- सर्वेक्षण एवं अन्वेषण इकाइयाँ-

योजनेतर

मूल	6,87.45			
		1,74.05	1,74.02	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)5,13.40			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,13.40 लाख की कमी रिक्त पदों के न

142
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

भरने के कारण हुई।

- 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम -
05- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के
वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-

योजनेतर

मूल	20,52.75	20,52.75	20,13.13	(-)39.62
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 39.62 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम -
03- ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के
रखरखाव रखा मरम्मत-

योजनेतर

मूल	6,53,93.32			
पूरक	95,49.96	6,28,01.57	6,08,86.33	(-)19,15.24
पुनर्वि०	(-)1,21,41.71			

₹ 19,15.24 लाख के अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21,41.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के ऊर्जा प्रभारों के भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 19,15.24 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 12- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव में
प्रावधान -

योजनेतर

मूल	4,39,19.44			
		3,10,12.53	3,12,97.82	+2,85.29
पुनर्वि०	(-)1,29,06.91			

₹ 2,85.29 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,29,06.91 लाख की कमी ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के रखरखाव एवं मरम्मत पर वसूलियों के समायोजन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 2,85.29 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

- 14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

143
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	24,14.49			
		9,06.97	8,89.07	(-)17.90
पुनर्वि०	(-)15,07.52			

योजनागत

(ii) मूल	2,68.68			
		96.73	1,00.21	+3.48
पुनर्वि०	(-)1,71.95			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,79.47 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां जारी होने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 83,24.30 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

2700- मुख्य सिंचाई-

01- शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	17,01.86			
		7,93.99	6,90.03	(-)1,03.96
पुनर्वि०	(-)9.07.87			

₹ 1,03.96 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.07.87 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,03.96 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

799- उच्चंत -

01- स्टाक -

योजनागत

(i) मूल	2,53.00	2,53.00	0.76	(-)2,52.24
---------	---------	---------	------	------------

02- स्टाक निर्माण-

योजनागत

144
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

(ii) मूल	1,84.00	1,84.00	29.93	(-)1,54.07
----------	---------	---------	-------	------------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(iii) मूल	1,32.25	1,32.25	20.97	(-)1,11.28
-----------	---------	---------	-------	------------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5,17.59 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2701- माध्यम सिंचाई-

11- गिरी वाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	52.02			
		29.82	28.85	(-)0.97

पुनर्वि0 (-)22.20

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.20 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

799- उच्चंत -

01- स्टॉक-

योजनागत

(i) मूल	3.00	3.00	..	(-)3.00
---------	------	------	----	---------

02- स्टॉक निर्माण-

योजनागत

(ii) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
----------	------	------	----	---------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(iii) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----------	------	------	----	---------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5.00 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

145
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

12- बल्ह घाटी परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,49.05			
		65.15	64.37	(-)0.78
पुनर्वि०	(-)83.90			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.90 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

799- उच्चंत-

01- स्टॉक

योजनागत

(i) मूल	3.00	3.00	..	(-)3.00
---------	------	------	----	---------

02- स्टॉक निर्माण-

योजनागत

(ii) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
----------	------	------	----	---------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(iii) मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
-----------	------	------	----	---------

15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना

(गैर वाणिज्यिक)-

001-निदेशन तथा प्रशासन -

01- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

(iv) मूल	2,66.13			
		2,65.29	44.21	(-)2,21.08
पुनर्वि०	(-)0.84			

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 2,27.08 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

146
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

799- उच्चंत-

01- स्टॉक-

योजनागत

(i) मूल 20.00

..

पुनर्वि0 (-)20.00

मार्च 2017 में ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

16- बहाव सिंचाई योजना सिद्धाता
(गैर-वाणिज्यिक)-

001-निदेशन तथा प्रशासन -

01- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल 2,60.41

2,27.10

2,26.22

(-)0.88

पुनर्वि0 (-)33.31

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.31 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

799- उच्चंत-

02- स्टॉक निर्माण-

योजनागत

(i) मूल 15.00

15.00

1.75

(-)13.25

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(ii) मूल 35.00

35.00

25.63

(-)9.37

20- फिना सिंह नहर परियोजना
(गैर-वाणिज्यिक)-

799- उच्चंत-

02- स्टॉक निर्माण-

147
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

योजनागत				
(iii) मूल	50.00	50.00	16.61	(-)33.39

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत				
(iv) मूल	32.00	32.00	..	(-)32.00

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 88.01 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

21- हल्ली सुरंग बटौता नदौन
मध्यम सिंचाई परियोजना
(गैर-वाणिज्यिक)-

799- उच्चंत-

01- स्टॉक -

योजनागत				
(i) मूल	50.00			
पुनर्वि०	(-)50.00

02- स्टॉक निर्माण-

योजनागत				
(ii) मूल	10.00			
पुनर्वि०	(-)10.00

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत				
(iii) मूल	4.50
पुनर्वि०	(-)4.50			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 64.50 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

2702- लघु सिंचाई-

01- सतही जल-

148
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

799- उच्चंत -

02- स्टॉक विनिर्माण-

योजनागत

मूल	4,00.00			
		1,42.94	1,44.44	+1.50
पुनर्वि०	(-)2,57.06			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,57.06 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

03- रखरखाव-

102- उठाऊ सिंचाई योजनाएं-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

योजनेतर

मूल	53,44.15			
पूरक	53,53.07	1,06,97.21	1,06,06.12	(-)91.09
पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 91.09 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित
कार्य प्रभारी कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	2,00,68.89			
		1,76,88.64	1,76,87.97	(-)0.67
पुनर्वि०	(-)23,80.25			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23,80.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव
प्रावधान-

योजनेतर

मूल	2,00,68.89			
		1,70,64.57	1,70,64.57	..
पुनर्वि०	(-)30,04.32			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30,04.32 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन के कारण हुई।

2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-

01- बाढ़ नियंत्रण

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन -

योजनेतर

मूल 4,76.68

3,15.02

3,14.82

(-)0.20

पुनर्वि० (-)1,61.66

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,61.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों पर कम व्यय करने के कारण हुई।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-------------------------------	-----------------------

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर
पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति -

102- ग्रामीण जलापूर्ति -

23- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 86,61,51

30,82.97

30,80.77

(-)2.20

पुनर्वि० (-)55,78.54

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55,78.54 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण हुई।

योजनागत

मूल 9,62.32

पूरक 30,00.00

38,42.56

38,46.58

+4.02

पुनर्वि० (-)1,19.76

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,19.76 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां जारी होने तथा उसके समरूप राज्य हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि मशीनरी की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

20- फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

02- अन्य व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 17,78.00

.. ..

पुनर्वि० (-)17,78.00

₹ 17,78.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2017 में भारत सरकार से निधियां जारी न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 15,40.00

11,55.00 11,54.66 (-)0.34

पुनर्वि० (-)3,85.00

योजनागत

(ii) मूल 1,97.00

1,47.75 1,47.75 ..

पुनर्वि० (-)49.25

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,34.25 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने एवं राज्य की समरूप हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

23- कोंसिल झरेरा मंडप परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -

800- अन्य व्यय-

151
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

01-	कोंसिल झरेरा मंडप परियोजना पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(i)	मूल	59.00			
		
	पुनर्वि०	(-)59.00			
	योजनागत				
(ii)	मूल	7.00			
		
	पुनर्वि०	(-)7.00			
24-	पारछू खड्ड परियोजना पर वर्षा				
	जल संग्रहण (गैर वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	पारछू खड्ड के बाएं और दाएं किनारों पर वर्षा जल				
	संग्रहण संरचना का निर्माण-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(iii)	मूल	59.00			
		
	पुनर्वि०	(-)59.00			
	योजनागत				
(iv)	मूल	7.00			
		
	पुनर्वि०	(-)7.00			
25-	सुक्काहर मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	सुकाहर, जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई				
	परियोजना का निर्माण-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(v)	मूल	59.00			
		
	पुनर्वि०	(-)59.00			

152
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

योजनागत

(vi) मूल 7.00

..

पुनर्वि० (-)7.00

26- मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी (गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

01- जिला कुल्लु में मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(vii) मूल 59.00

..

पुनर्वि० (-)59.00

योजनागत

(viii) मूल 7.00

..

पुनर्वि० (-)7.00

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

06- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)
के विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ix) मूल 44,42.00

..

पुनर्वि० (-)44,42.00

योजनागत

(x) मूल 5,61.00

..

पुनर्वि० (-)5,61.00

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

07- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत विभिन्न
जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

(xi) मूल 29,62.00

..

पुनर्वि० (-)29,62.00

योजनागत

(xii) मूल 3,74.00

..

पुनर्वि० (-)3,74.00

800- अन्य व्यय-

14- जल विज्ञान परियोजना-

योजनागत

(xiii) मूल 4,00.00

..

पुनर्वि० (-)4,00.00

उपरोक्त तेरह मामलों में ₹ 90,03.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2017 में भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने और राज्य की समरूप हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर

पूँजीगत परिव्यय-

313- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र
विकास -

01- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र
विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

(i) मूल 19,74.00

2,49.00

2,50.00

+1.00

पुनर्वि० (-)17,25.00

योजनागत

154
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

(ii) मूल	22,44.00			
		20,48.50	20,48.77	+0.27

पुनर्वि० (-)1,95.50

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,20.50 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने और राज्य की समरूप हिस्सेदारी अप्रयुक्त होने के कारण हुई।

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

09- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत जाहू खड्ड से

बम तक सीर खड्ड का तटीयकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

(i) मूल 15.00

पुनर्वि० (-)15.00

योजनागत

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

10- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत जिला

मंडी तथा हमीरपुर में बर्षवाड से जाहू तक

सीर खड्ड का तटीयकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iii) मूल 38.00

पुनर्वि० (-)38.00

योजनागत

(iv) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

155
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

- 11- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुंकरबाटा
का तटीयकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(v) मूल 15.00

..

पुनर्वि० (-)15.00

योजनागत

(vi) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

- 12- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय चरण में पंजाब
सीमा की तरफ स्वाँ खड्ड का तटीयकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(vii) मूल 7,90.00

..

पुनर्वि० (-)7,90.00

उपरोक्त सात मामलों में ₹ 8,61.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2017 में भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने और राज्य की समस्त हिस्सेदारी अप्रयुक्त होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

योजनागत

मूल 2,24.00

1,90.46 1,90.45 (-)0.01

पुनर्वि० (-)33.54

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.54 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई।

- 13- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत दौलतपुर से गगरेट पुल
तक स्वाँ तथा इसकी चार सहायक नदियों का तटीयकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

विनियोग लेखे

156
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

(i)	मूल	5,24.00			
	पुनर्वि०	(-)5,24.00
14-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत जिला उजा में लुंखरी खड्ड का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(ii)	मूल	7.00			
	पुनर्वि०	(-)7.00
	योजनागत				
(iii)	मूल	0.50			
	पुनर्वि०	(-)0.50
15-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत तहसील इंदोरा में छौंछ खड्ड में बाढ़ संरक्षण कार्य- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(iv)	मूल	10,09.00			
	पुनर्वि०	(-)10,09.00
	योजनागत				
(v)	मूल	2,94.00			
	पुनर्वि०	(-)2,94.00
16-	जिला कुल्लू में पलचान से औट का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(vi)	मूल	75.00			
	पुनर्वि०	(-)75.00
	योजनागत				

विनियोग लेखे

157
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

(vii) मूल	0.50			
	
पुनर्वि०	(-)0.50			
17- जिला शिमला में पब्वर नदी का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(viii) मूल	15,19.00			
	
पुनर्वि०	(-)15,19.00			
योजनागत				
(ix) मूल	4,49.00			
	
पुनर्वि०	(-)4,49.00			
18- ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों का तहसील नदौन, जिला हमीरपुर और ज्वालामुखी तथा रक्कड़, जिला कांगड़ा में तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(x) मूल	7.00			
	
पुनर्वि०	(-)7.00			
योजनागत				
(xi) मूल	0.50			
	
पुनर्वि०	(-)0.50			
19- जिला कांगड़ा में जबेर और गरेली खड्ड का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(xii) मूल	7.00			
	
पुनर्वि०	(-)7.00			

विनियोग लेखे

158
अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

योजनागत

(xiii) मूल 0.50

पुनर्वि० (-)0.50

उपरोक्त तेरह मामलों में ₹ 38,93.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने और राज्य की समरूप हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

**4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर
पूंजीगत परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

102- ग्रामीण जलापूर्ति-

16- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-

योजनागत

मूल 58,61.00

पूरक 14,14.47 90,72.00 90,73.73 +1.73

पुनर्वि० 17,96.53

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,96.53 लाख का आवर्धन विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण कार्य के निष्पादन में वृद्धि के कारण हुआ।

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

20- फिना सिंह नहर परियोजना
(गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

02- अन्य व्यय-

योजनागत

(i) मूल 2,24.00

12,24.00 12,24.26 +0.26

पुनर्वि० 10,00.00

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या -13 (क्रमशः)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

04- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास
बैंक के अर्न्तगत विभिन्न जिलों
में बहाव सिंचाई योजना-

योजनागत

(ii) मूल	10,00.00			
		10,50.00	10,50.93	+0.93
पुनर्वि०	50.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,50.00 लाख का आवर्धन योजना सीमा में वृद्धि के कारण हुआ।

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियंत्रण -

800- अन्य व्यय-

13- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत दौलतपुर से गगरेट पुल तक
स्वाँ और इसकी सहायक नदियों (iv) का तटीयकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	17,83.00			
		40,00.00	40,03.15	+3.15
पुनर्वि०	22,17.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22,17.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण हुआ।

160
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 13 - (क्रमशः)

(viii) उच्चंत लेन-देन

- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 5,30,60.15 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 5,30,60.15 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये है।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़के, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा नं0- (viii) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों सहित नीचे दिया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2017 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
राजस्व प्रवर्ग				
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	(-)13,88.30	1,78,67.85	1,58,53.85	+6,25.17
02- स्टॉक विनिर्माण-	+15,64.53	4,75.59	3,60.01	+16,80.11
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+4,61,23.88	2,51,04.43	2,63,28.15	+4,49,00.16
कुल योग 2215	+4,63,00.11	4,34,47.34	4,25,42.01	+4,72,05.44
2700- मुख्य सिंचाई-				
01- शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	+5,35.57	0.76	0.00	+5,36.33
02- स्टॉक विनिर्माण	(-)35.32	29.93	0.00	(-)5.39*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-)30.44	20.96	0.96	(-)10.44*
कुल योग 2700	+4,69.81	51.65	0.96	+5,20.50

161
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 13 - (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2017 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
2701- मध्यम सिंचाई-				
01- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	(-)3.96	0.00	0.00	(-)3.96
02- स्टॉक विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+35.11	0.00	0.00	+35.11
कुल योग-01	+22.74	0.00	0.00	+22.74
15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	0.00	0.00	0.54	(-)0.54*
02- स्टॉक विनिर्माण-	0.00	4.36	7.46	(-)3.10*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	0.00	5.93	0.00	+5.93
कुल-15	0.00	10.29	8.00	+2.29
16- सिधाता बहाव सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	0.00	89.86	87.77	+2.09
02- स्टॉक विनिर्माण-	0.00	1.75	0.00	+1.75
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	0.00	25.63	29.56	(-)3.93*
कुल-16	0.00	1,17.24	1,17.33	(-)0.09
20- फीना सिंह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	0.00	8,89.43	4.86	+8,84.57
02- स्टॉक विनिर्माण-	0.00	16.61	10.65	+5.96
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल-20	0.00	9,06.04	15.51	+8,90.53

162
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 13 - (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2017 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्टॉक-	+1,85.80	0.00	0.00	+1,85.80
02- स्टॉक विनिर्माण-	(-) 26.20	0.00	0.00	(-) 26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,24.24	0.00	0.00	+1,24.24
कुल-80	+2,83.84	0.00	0.00	+2,83.84
कुल 2701	+3,06.58	10,33.60	1,40.84	+11,99.34
2702- लघु सिंचाई-				
01- सतही जल-				
799- उच्चत-				
01- स्टॉक-	(-)3,09.61	17,16.97	14,42.94	(-)35.58*
02- स्टॉक विनिर्माण-	+30.87	1,44.44	1,00.14	+75.17
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+58.15	3,81.55	2,90.96	+1,48.74
कुल 01-	(-)2,20.59	22,42.96	18,34.04	+1,88.33
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्टॉक-	(-) 6,28.73	0.00	0.00	(-)6,28.73*
02- स्टॉक विनिर्माण-	+5,53.79	0.00	0.00	+5,53.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+3,15.57	0.00	0.00	+3,15.57
कुल 80-	+2,40.63	0.00	0.00	+2,40.63
कुल 2702-	+20.04	22,42.96	18,34.04	+4,28.96
2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़. नियंत्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्टॉक-	+47,97.97	59,27.72	49,98.22	+57,27.47
02- स्टॉक विनिर्माण-	+2,92.42	83.94	21.55	+3,54.81
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+75.69	2,72.94	1,72.88	+1,75.75
कुल 2711-	+51,66.08	62,84.60	51,92.65	+62,58.03
कुल राजस्व प्रवर्ग	+5,22,62.62	5,30,60.15	4,97,10.50	+5,56,12.27

163
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 13 - (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2017 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	
		(₹ लाख में)			
पूंजीगत प्रवर्ग					
4215-	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	जलापूर्ति-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक	+30.71	0.00	0.00	+30.71
कुल	+30.71	0.00	0.00	0.00	+30.71
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-	+38.42	0.00	0.00	+38.42
02-	स्टॉक विनिर्माण-	+37.54	0.00	0.00	+37.54
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+96.89	0.00	0.00	+96.89
कुल 4700	+1,72.85	0.00	0.00	0.00	+1,72.85
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02-	स्टॉक विनिर्माण	+10.82	0.00	0.00	+10.82
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+13.54	0.00	0.00	+13.54
कुल 01-	+24.21	0.00	0.00	0.00	+24.21
15-	चंगर क्षेत्र परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-	+83.49	0.00	0.00	+83.49
02-	स्टॉक विनिर्माण-	+2.98	0.00	0.00	+2.98
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
कुल-15	+83.75	0.00	0.00	0.00	+83.75

164
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 13 - (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2017 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
16- सिधाता बहाव सिंचाई योजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	+68.54	0.00	0.00	+68.54
02- स्टॉक विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+32.91	0.00	0.00	+32.91
कुल-16	86.74	0.00	0.00	+86.74
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	(-)1,32.94	0.00	0.00	(-)1,32.94*
02- स्टॉक विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,55.24	0.00	0.00	+1,55.24
कुल-योग 80	+21.47	0.00	0.00	+21.47
कुल- 4701	+2,16.17	0.00	0.00	+2,16.17
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	(-)6,08.15	0.00	0.00	(-)6,08.15*
02- स्टॉक विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+5,64.43	0.00	0.00	+5,64.43
कुल 4702	(-)56.44	0.00	0.00	(-)56.44*
4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- बाढ़ नियन्त्रण				
799- उच्चंत-				
01- स्टॉक-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्टॉक विनिर्माण-	+9.98	0.00	0.00	+9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+27.88	0.00	0.00	+27.88
कुल 4702	+29.09	0.00	0.00	+29.09
कुल पूंजीगत प्रवर्ग	+3,92.38	0.00	0.00	+3,92.38
कुल मांग	+5,26,55.00	5,30,60.15	4,97,10.50	+5,60,04.65

टिप्पणी: * ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,13,76,91			
		3,19,68,00	2,84,5,002	(-)35,17,98
पूरक	5,91,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				35,26,94
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,84,09			
		5,66,09	5,56,45	(-)9,64
पूरक	1,82,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,06

टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 35,17.98 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 5,91.09 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 35,26.94 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

2403- पशु पालन-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय स्थापना-

योजनेतर

(i) मूल	5,72.77			
		3,60.97	3,60.97	..
पुनर्वि०	(-)2,11.80			

02- क्षेत्रीय स्थापना-

योजनेतर

(ii) मूल	1,38.95			
		95.89	95.91	+0.02
पुनर्वि०	(-)43.06			

03- जिला स्थापना-

योजनेतर

(iii) मूल	10,61.59			
		8,61.42	8,60.48	(-)0.94
पुनर्वि०	(-)2,00.17			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,55.03 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- पशु चिकित्सा सेवाएं और

पशु स्वास्थ्य-

01- अस्पताल तथा औषधालय-

योजनेतर

मूल	2,15,63.13			
		1,90,33.17	1,90,37.12	+3.95
पुनर्वि०	(-)25,29.96			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25,29.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधिक दावों की प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की अधिक तैनाती के कारण और मशीनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

10- पशु रोग का नियन्त्रण-

योजनागत

मूल	1,82.38			
		13.64	13.64	..
पुनर्वि०	(-)1,68.74			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण के द्वारा ₹ 1,68.74 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई।

12- ब्रूसीलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	7.96			
		2.50	2.50	..
पुनर्वि०	(-)5.46			

मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5.46 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल	7.96			
	
पुनर्वि०	(-)7.96			

मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7.96 लाख का समस्त प्रावधान क्षेत्र अधिकारियों द्वारा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

13- पशुओं की महामारी-

मूल	12.58			
		0.19	1.22	+1.03
पुनर्वि०	(-)12.39			

मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 12.39 लाख की कमी हिस्सेदारी के तरीकों में बदलाव और यात्राओं पर कम व्यय के कारण हुई।

103- कुक्कुट विकास-

02- केन्द्रीय तथा जिला मुर्गीपालन फार्म-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

योजनेतर					
(i)	मूल	3,72.54			
			2,78.04	2,78.04	..
	पुनर्वि०	(-)94.50			
104-	भेड़ तथा ऊन विकास-				
04-	भेड़ प्रजनन फार्म केन्द्र-				
योजनेतर					
(ii)	मूल	3,96.67			
			3,52.81	3,51.23	(-)1.58
	पुनर्वि०	(-)43.86			
106-	अन्य पशुधन विकास -				
01-	घोड़ा तथा खच्चर प्रजनन स्कीम-				
योजनेतर					
(iii)	मूल	3.03			
			1.53	1.53	..
	पुनर्वि०	(-)1.50			
107-	चारा तथा चारागाह विकास-				
01-	चारा और चारागाह का विकास-				
योजनेतर					
(iv)	मूल	27.31			
			16.26	16.26	..
	पुनर्वि०	(-)11.05			
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.91 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
800-	अन्य व्यय-				
01-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत					
	मूल	12,14.00			
			12,02.44	12,02.44	..
	पुनर्वि०	(-)11.56			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 11.56 लाख की कमी योजना सलाहकार द्वारा योजना को पुनः निर्धारित करने के कारण हुई।

2404- डेरी विकास-

001- निदेशालय और प्रशासन-

01- मुख्यालय स्थापना-

योजनेतर

मूल	60.90			
		34.87	34.87	..
पुनर्वि०	(-)26.03			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

191- सहकारी और अन्य निकायों को सहायता-

02- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संगठान को अनुदान-

योजनेतर

मूल	1,00.01			
		63.88	63.88	..
पुनर्वि	(-)36.13			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.13 लाख की कमी विपरण शुल्क की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- एकीकृत डेयरी विकास परियोजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

मूल	1.00			
पुनर्वि	(-)1.00			

मार्च 2017 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियाँ न जारी करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया है।

04- सहकारी दुग्ध सभा को अनुदान -

योजनेतर

मूल	3,00.00			
पुनर्वि	(-)3,00.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

मार्च 2017 में ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान पूर्ण परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया है।

2405- मत्स्य पालन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय स्तरीय-

योजनेतर

(i) मूल	1,65.35			
		1,24.89	1,24.88	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)40.46			

02- जिला स्तर-

योजनेतर

(ii) मूल	10,66.45			
		9,00.39	9,00.29	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,66.06			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,06.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि मजदूरी की बढी दर से भुगतान के कारण हुए आधिक्य से आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई।

101- अंतर्देशीय मछली पालन-

02- जलाशय मत्स्य पालन, प्रबन्ध तथा विकास-

योजनेतर

मूल	17.82			
		11.48	11.51	+0.03
पुनर्वि०	(-)6.34			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.34 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	1,18.27			
		94.21	94.19	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)24.06			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.06 लाख की कमी वाहनों की कम मरम्मत, टेलिफोन तथा बिजली के बिलों पर कम व्यय, मत्स्य बीज की कम खरीद और दौरे पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

03- मत्स्य क्रीड़ा का विकास एवं रखरखाव-

योजनागत

मूल	1,07.60			
		76.95	76.95	..
पुनर्वि०	(-)30.65			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.65 लाख की कमी ट्राउट खाद्य घटक की कम खरीद और कर्मचारियों के कम दौरे के कारण हुई।

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण -

03- जलचर पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना -
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	3.00			
	
पुनर्वि०	(-)3.00			

योजनागत

(ii) मूल	4.25			
	
पुनर्वि०	(-)4.25			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में ₹ 7.25 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना में बदलाव के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

02- मछुवारों का कल्याण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	30.00			
	
पुनर्वि०	(-)30.00			

योजनागत

(ii) मूल	25.00			
	
पुनर्वि०	(-)25.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

03- मछुवारा दुर्घटना बीमा योजना-
योजनागत

(iii) मूल 1.50

पुनर्वि० (-)1.50

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में ₹ 56.50 लाख का समस्त प्रावधान योजना के बन्द होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

(iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2403- पशु पालन-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय स्थापना-

योजनागत

मूल 10.00

20.19

20.20

+0.01

पुनर्वि० 10.19

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.19 लाख का आवर्धन उप-मंडलीय पशु-चिकित्सा अस्पताल थियोग के कृषि विभाग भवन में स्थानान्तरण के कारण हुआ।

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

10- पशु रोग का नियन्त्रण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 1,82.40

1,94.06

1,94.06

..

पुनर्वि० 11.66

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.66 लाख का आवर्धन पशु रोग के टीकों की खरीद के कारण हुआ।

11- राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

योजनागत

मूल	0.01			
		4.99	5.00	+0.01
पुनर्वि०	4.98			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.98 लाख का आवर्धन अधिक कार्यालय सामग्री की खरीद के कारण हुआ।

- 13- पशुओं की महामारी-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	12.60			
		26.30	25.26	(-)1.04
पुनर्वि०	13.70			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.70 लाख का आवर्धन अधिक मशीनरी वस्तुओं की खरीद तथा बिजली, पानी और टेलिफोन प्रभारों के भुगतान के कारण हुआ।

- 102- पशु तथा भैंस विकास-
13- पशु गणना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	0.01			
		9.99	9.99	..
पुनर्वि०	9.98			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.98 लाख का आवर्धन पशु गणना कराने के कारण हुआ जबकि भारत सरकार द्वारा ₹ 72.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

- 106- अन्य पशुधन विकास-
02- खरगोश प्रजनन योजना

योजनागत

मूल	2.00			
		6.38	6.38	..
पुनर्वि०	4.38			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.38 लाख का आवर्धन अधिक खरगोश खाद्य सामग्री के कारण हुआ।

- 09- छोटे जानवरों और खरगोशों का एकीकृत विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पुनर्वि०	16.45	16.45	16.46	+0.01
----------	-------	-------	-------	-------

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.45 लाख का आवर्धन बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान के प्राचार पर अधिक व्यय के कारण हुआ। निधियों को मूल/ अनुपूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश के बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

- 109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-
02- पशु चिकित्सा परिषद को सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	5.00			
		10.00	10.00	..
पुनर्वि०	5.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियों को जारी करने के कारण हुआ।

- 113- प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-
01- सांख्यिकी इकाई-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	55.00			
		66.34	65.42	(-)0.92
पुनर्वि०	11.34			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.34 लाख का आवर्धन वेतन और महँगाई भते का भुगतान करने और दौरे पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 800- अन्य व्यय-
02- राष्ट्रीय पशुधन मिशन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) योजनागत

मूल	0.01			
पूरक	0.03	1,33.16	1,33.16	..
पुनर्वि०	1,33.12			

(ii) योजनागत

मूल	0.01			
	0.01	32.69	32.69	..
पुनर्वि०	32.67			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.79 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियों को जारी करने के कारण हुआ।

2405- मछली पालन-

101- अन्तर्देशीय मछली पालन -

07- (नीली क्रान्ति) एकीकृत मत्स्य पालन

प्रबंध एवं विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	5,91.01			
		7,61.32	7,61.32	..
पुनर्वि०	1,70.30			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,70.30 लाख का आवर्धन जलाशय के लिए मछली बीजों की अधिक खरीद, अधिक सब्सिडी मामलों की प्राप्ति और नीली क्रान्ति पर सेमिनार आयोजन के कारण हुआ।

योजनागत

पूरक	0.03			
		74.93	74.93	..
पुनर्वि०	74.90			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.90 लाख का आवर्धन मछली बीजों के भंडारण और मछुआरों को राहत राशि पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(समाप्त)

800- अन्य व्यय-

04- आदर्श मछुवा गाँव का विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	31.00			
		40.50	40.50	..
पुनर्वि०	9.50			

योजनागत

(ii) मूल	30.20			
		40.50	40.50	..
पुनर्वि०	10.30			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.80 लाख का आवर्धन आदर्श मछुवा गाँव के विकास योजना के अन्तर्गत अधिक सब्सिडी मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	83,14,55		
		83,14,80	(-)28,39,75
पूरक	25		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			28,95,93
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,04,11,00		
		2,73,27,00	(-)18,95,21
पूरक	69,16,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			18,95,33

टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 28,39.75 लाख की पूर्ण बचत हुई, मार्च 2017 में ₹ 28,95.93 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 18,95.21 लाख की पूर्ण बचत हुई, मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 69,16.00 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 18,95.33 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ जोकि बेहतर बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2202-सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

01- शिक्षा पर व्यय-

योजनेतर

(i) मूल	81.97			
		65.71	65.71	..
पुनर्वि०	(-)16.26			

03- माध्यमिक विद्यालय-

योजनेतर

(ii) मूल	1,12.48			
		69.07	69.07	..
पुनर्वि०	(-)43.41			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 59.67 लाख की कमी मुख्य रूप से सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

योजनागत

मूल	5,80.00			
	
पुनर्वि०	(-)5,80.00			

मार्च 2017 में ₹ 5,80,00 लाख का समस्त प्रावधान रिक्त पदों को न भरने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

01- उपाहारमाध्याह्न योजना-

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

मूल	3,00.00			
		2,76.59	2,76.59	..
पुनर्वि०	(-)23.41			

मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 23.41 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

05- अभिभावक/शिक्षक संघ के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अनुदान-

योजनागत

मूल	20.00			
		14.75	14.75	..
पुनर्वि०	(-)5.25			

मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5.25 लाख की कमी अभिभावक-शिक्षक संघ को सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति -

101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

योजनेतर

(i) मूल	13,33.19			
		9,21.29	9,20.98	(-)0.31
पुनर्वि०	(-)4,11.90			

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

योजनेतर

(ii) मूल	4,59.12			
		2,51.57	2,51.25	(-)0.32
पुनर्वि०	(-)2,07.55			

104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

(iii) मूल	1,93.74			
		66.79	66.76	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)1,26.95			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹,7,46.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

110- अस्पताल तथा औषधालय

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

योजनेतर

(i) मूल	5.25			
		2.84	2.84	..
पुनर्वि०	(-)2.41			

800- अन्य व्यय-

04- क्षय-प्रतिरोध दवाओं की खरीद -

योजनेतर

(ii) मूल	2.44			
		1.44	1.44	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.41 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

02-- आयुर्वेदिक औषधालय-

योजनेतर

(i) मूल	11,33.19			
		9,34.96	9.38.46	+3.50
पुनर्वि०	(-)1,98.23			

06- लोक स्वास्थ्य-

101- रोगों की रोकथाम निवारण तथा नियन्त्रण -

13- बहुउद्देशीय श्रमिक योजना (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

योजनेतर

(ii) मूल	1,51.50			
		91.67	91.66	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)59.83			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,58.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

2851- ग्राम और लघु उद्योग

102- लघु उद्योग

05- लघु उद्योगों को उपदान -

योजनेतर

मूल	5.00			
		0.94	0.94	..
पुनर्वि०	(-)4.06			

मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.06 लाख की कमी कम उपदान देने के कारण हुई।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

101- नीति आयोग-

01- मुख्यालय-

योजनागत

मूल	4,27.16			
		2,86.55	2,86.55	..
पुनर्वि०	(-)1,40.61			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,40.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पानी, विद्युत और दूरभाष बिल पर कम व्यय, व्यावसायिक और विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय, संगोष्ठियों और बैठकों पर कम व्यय और पेट्रोल, तेल और स्नेहकों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- मुल्यांकन-

योजनागत

मूल	1,47.57			
		1,17.24	1,17.48	+0.24
पुनर्वि०	(-)30.33			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

03- क्षेत्रीय और जिला योजना

की स्थापना-

योजनागत

मूल 4,72.51

3,50.60

3,50.68

0.08

पुनर्वि० (-)1,21.91

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

08- परियोजना-I व्यवस्थापना तथा

लोक वित्त कक्ष की स्थापना-

योजनागत

मूल 49.40

36.66

36.66

..

पुनर्वि० (-)12.74

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

09- 20 सूत्री कार्यक्रम-

योजनागत

मूल 54.75

पूरक 0.25

13.01

13.51

+0.50

पुनर्वि० (-)41.99

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, संगोष्ठियों, बैठकों और मनोरंजन पर कम व्यय के कारण हुई।

19- कौशल विकास परिषद-

योजनागत

मूल 4,00.00

पुनर्वि० (-)4,00.00

मार्च 2017 में ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

20- राज्य नवप्रवर्तन निधि-

योजनागत

मूल	1,10.00			
		16.63	16.63	..
पुनर्वि०	(-)93.37			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 93.37 लाख की कमी विकास कार्यों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

21- असमानताएं मिटाने हेतु

मानव विकास-

योजनागत

मूल	1,28.10			
		67.90	67.90	..
पुनर्वि०	(-)60.20			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60.20 लाख की कमी संगोष्ठी और बैठकों पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

22- हिमाचल प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम-

योजनेतर

मूल	5,00.00			
		2,50.00	2,50.00	..
पुनर्वि०	(-)2,50.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.00 लाख की कमी कौशल विकास कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें -

22- विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण -

योजनागत

मूल 2,00.00

1,50.00

2,00.00

+50.00

पुनर्वि० (-)50.00

₹ 50.00 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी उपदान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 50.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाख में)

**4202- शिक्षा, खेलकूद, कला और
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सामान्य शिक्षा-

202- प्रारम्भिक शिक्षा-

07- भवनों का निर्माण-

योजनागत

(i) मूल 5,00.00

4,65.55

4,65.55

..

पुनर्वि० (-)34.55

202- माध्यमिक शिक्षा-

06- भवनों का निर्माण-

योजनागत

(ii) मूल 4,50.00

4,35.43

4,35.43

..

पुनर्वि० (-)14.57

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-

103- प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र
(निर्माण कार्य)-

योजनागत

(iii) मूल 5,00.00

161.87

161.87

..

पुनर्वि० (-) 3,38.13

03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेदा-

01- आयुर्वेद (निर्माण कार्य)-

योजनागत

(iv) मूल 55.00

18.80

18.80

..

पुनर्वि० (-)36.20

**4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत
परिव्यय-**

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

03- भवन-

योजनागत

(v) मूल 60.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)60.00

800- अन्य व्यय-

01- भवन-

योजनागत

(vi) मूल 30.00

8.72

8.72

..

पुनर्वि० (-)21.28

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य-

01- भवन

योजनागत

(vii) मूल	20.00			
		8.37	8.36	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)11.63			

4406- वानिकी और वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

800- अन्य व्यय-

02- वानिकी-

योजनागत

(viii) मूल	60.00			
		35.78	35.80	+0.02
पुनर्वि०	(-)24.22			

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

102- लघु उद्योग-

09- ग्राम तथा लघु उद्योग-

योजनागत

(ix) मूल	30.00			
	
पुनर्वि०	(-)30.00			

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय -

02- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

योजनेतर

(x) मूल	18,07.00			
	
पुनर्वि०	(-)18,07.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (क्रमशः)

योजनागत

(xi)	मूल	49,93.00			
	पूरक	15,39.00	65,09.75	65,09.75	..
	पुनर्वि०	(-)22.25			

03- स्थानीय जिला नियोजन/विकास में जन सहयोग-

योजनागत

(xii)	मूल	17,63.00			
	पूरक	3,18.00	20,15.02	20,15.02	..
	पुनर्वि०	(-)65.98			

उपरोक्त बारह मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24,65.71 लाख की कमी निर्माण कार्य पर कम व्यय के कारण हुई ।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलपूर्ति -

102- ग्रामीण जलापूर्ति-

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं-

योजनागत

(i)	मूल	8,80.00			
			9,14.61	9,14.61	..
	पुनर्वि०	34.61			

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय -

01- कृषि-

योजनागत

(ii)	मूल	40.00			
			77.94	77.94	..
	पुनर्वि०	37.94			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - (समाप्त)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

- 101- सतही जल-
01- विभिन्न जिलों में उठाऊ
सिंचाई परियोजनाएं-

योजनागत

(iii)	मूल	25.00			
			33.34	33.34	..
	पुनर्वि०	8.34			

5054- सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

- 04- जिला तथा अन्य सड़कें-
800- अन्य व्यय-
06- पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें-

योजनागत

(iv)	मूल	23,00.00			
			27,89.49	27,89.49	..
	पुनर्वि०	4,89.49			

उपरोक्त चार मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,70.38 लाख का आवर्धन भवन निर्माण कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 16- वन और वन्य जीवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी और वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,54,47,74			
		4,54,47,76	3,96,97,85	(-)57,49,91
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				58,12,70
प्रभारित				
मूल	..			
		44,14	67,01	+22,87
पूरक	44,14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	8,40,00			
		8,40,02	5,34,63	(-)3,05,39
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां और अभ्युक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 22,87,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 57,49.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 58,12.70 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन प्रावधान में ₹ 22.87 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 44.14 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2402- मृदा तथा जल संरक्षण-			
102- मृदा संरक्षण-			
12- संरक्षित वनरोपण भू-संरक्षण तथा प्रदर्शन (वन विभाग) - योजनेतर			
(i) मूल	12,45.67		
पुनर्वि०	(-)3,37.91	9,07.77	9,07.60 (-)0.17
109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-			
20- भू-संरक्षण प्रशिक्षण (वन विभाग)- योजनेतर			
(ii) मूल	39.78		
पुनर्वि०	(-)28.06	11.72	11.72 ..
2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-			
01- वानिकी-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
योजनेतर			
(iii) मूल	12,51.51		
पुनर्वि०	(-)2,20.43	10,31.08	10,31.08 ..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

02- परिमण्डल/मण्डल स्थापना-
योजनेतर

(iv) मूल	3,21,18.76			
		2,39,08.05	2,39,08.04	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)82,10.71			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 87,97.11 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	7,50.00			
		7,10.20	7,08.46	(-)1.74
पुनर्वि०	(-)39.80			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.80 लाख की कमी विद्युत, जल, दूरभाष बिलों, पेट्रोल, तेल व स्नेहकों पर हुए कम व्यय और परिषद शुल्क भुगतान में कमी के कारण हुई।

101- वन संरक्षण, विकास और पुर्नउत्पादन-
01- वनों की चकबन्दी तथा
सीमांकन-

योजनेतर

मूल	14.88			
		5.89	5.89	..
पुनर्वि०	(-)8.99			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.99 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल	40.00			
		20.00	20.00	..
पुनर्वि०	(-)20.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

03- एकीकृत वन संरक्षण योजना-

योजनागत

मूल	36.00			
		22.67	22.67	..
पुनर्वि०	(-)13.33			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.33 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

08- हिमाचल प्रदेश के वनों की परिस्थिति
के लिए जलवायु बचाव परियोजना-

योजनागत

मूल	26,32.00			
		11,15.03	11,85.63	+70.60
पुनर्वि०	(-)15,16.97			

₹ 70.60 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,16.97 लाख की कमी लाभार्थियों से कम दावों की प्राप्ति, परिषद शुल्क का कम भुगतान, पेट्रोल, तेल व स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत पर हुए कम व्यय, कार्य का कम निष्पादन और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकी अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 70.60 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

102- सामाजिक और फार्म वानिकी-

07- पौधारोपण तथा नर्सरी का रख-रखाव-

योजनेतर

मूल	206.83			
		1,70.48	1,70.48	..
पुनर्वि०	(-)36.35			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.35 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों को कम लगाने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

33- उद्यानों के एकीकृत विकास हेतु अभियान -राष्ट्रीय

बाँस योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

(i) मूल	1,80.00			
		15.75	15.75	..
पुनर्वि०	(-)1,64.26			

योजनागत

(ii) मूल	45.00			
		1.29	1.24	(-)0.05
पुनर्वि०	(-)43.71			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,07.97 लाख की कमी वित्त पोषण प्रणाली में बदलाव के कारण हुई।

34- राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय वनरोपण-

कार्यक्रम का क्रियान्वयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1,92.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,92.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,92.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से संस्वीकृति न मिलने के कारण और संगोष्ठियों एवं शिविरों के कम आयोजन के कारण कम कर कर गया।

105- वन उत्पाद -

02- उपभोक्ताओं और खरीदारों द्वारा
वनों से प्राप्त इमारती लकड़ी और
अन्य उत्पाद को हटाना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

योजनेतर

मूल	23.83			
		21.65	21.65	..
पुनर्वि०	(-)2.18			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.18 लाख की कमी संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि मजदूरी दरों में वृद्धि से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

800- अन्य व्यय-

06- नई वानिकी योजना (सांझी वन योजना)-

योजनागत

मूल	25.00			
		16.14	16.14	..
पुनर्वि०	(-)8.87			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.87 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों को कम लगाने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

110- वन्य जीवन संरक्षण-

01- वन्य प्राणी-

योजनेतर

मूल	11,74.60			
		8,80.26	8,77.71	(-)2.55
पुनर्वि०	(-)2,94.34			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,94.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

10- राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता-

योजनागत

मूल	46.00			
		9.07	9.07	..
पुनर्वि०	(-)36.94			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.94 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों को कम लगाने, संगोष्ठियों के कम आयोजन, कार्य का कम निष्पादन और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

111- प्राणी उद्यान

01- हिमालयी प्राणी उद्यान और पक्षी
विहार का विकास

योजनेतर

मूल	1,92.18			
		1,43.79	1,44.28	+0.49
पुनर्वि०	(-)48.39			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2402- मृदा तथा जल संरक्षण-

102- मृदा संरक्षण-

12- संरक्षित वनरोपण भू-संरक्षण तथा
प्रदर्शन (वन विभाग)-

योजनागत

मूल	5,62.00			
		7,10.92	7,11.86	+0.94
पुनर्वि०	1,48.92			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,48.92 लाख का आवर्धन मजदूरी दरों में वृद्धि और सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

2406- वानिकी और वन्य प्राणी-

01- वानिकी-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

070- संचार तभा भवन-

01- भवनों, सड़कों और रास्तों का रखरखाव-

योजनागत

मूल 3,40.00

4,76.86

4,76.86

..

पुनर्वि० 1,36.86

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,36.86 लाख का आवर्धन इमारतों और सड़कों की अधिक मरम्मत के कारण हुआ।

102- सामाजिक और फार्म वानिकी-

28- हंस कैचमेंट-

योजनागत

मूल 75.00

5,86.09

5,86.24

+0.15

पुनर्वि० 5,11.09

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,11.09 लाख का आवर्धन मजदूरी दर, किराया दर, कर, विद्युत, जल एवं दूरभाष बिलों की दरों में वृद्धि के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

30- विश्व बैंक सहायता प्राप्त मध्य हिमालयन

जलागम विकास योजना-

योजनागत

मूल 14,96.00

59,12.25

59,11.89

(-)0.36

पुनर्वि० 44,16.25

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44,16.25 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, भारतीय वन्य सेवा अधिकारियों को महंगाई भते एवं संशोधित वेतन के भुगतान, सामग्री की अधिक खरीद, रख-रखाव कार्यों का अधिक निष्पादन, संगोष्ठियों का अधिक आयोजन तथा लाभार्थियों से अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

35- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत

कृषि-वानिकी अभियान (मिशन)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

योजनागत

(i) पूरक	0.01			
		78.99	78.28	(-)0.71
पुनर्वि०	78.98			

योजनागत

(ii) पूरक	0.01			
		8.78	8.54	(-)0.24
पुनर्वि०	8.77			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.75 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, मजदूरी दर में वृद्धि और सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

105- वन उत्पाद-

03- प्रवाहित काष्ठ तथा समपृहित वनोत्पाद-

योजनेतर

मूल	16,42			
		24.42	24.42	..
पुनर्वि०	8.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि के कारण हुआ।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव परिक्षण-

10- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों
के विकास लिए सहायता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पुनर्वि०	83.14	83.14	83.14	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.14 लाख का आवर्धन अधिक दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लगाने, मजदूरी दर में वृद्धि, अधिक कार्य का निष्पादन और अधिक संगोष्ठियों एवं शिविरों के आयोजन के कारण हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था और हिमाचल प्रदेश की बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(क्रमशः)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

06- वानिकी-

004- अनुसंधान-

03- विभागीय वानिकी अनुसंधान योजना-

योजनागत

मूल 4.00

10.02

10.02

..

पुनर्वि० 6.02

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.02 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2406- वानिकी और वन्य प्राणी-

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना

योजनागत

पूरक 42.70

42.70

65.57

+22.87

अनुपूरक विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹ 22.87 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4406- वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिवयय-

01- वानिकी-

070- संचार और भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 16 -(समाप्त)

02- भवन

योजनागत

मूल	4,00.00			
		2,69.13	2,69.13	..
पुनर्वि०	(-)1,30.87			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.87 लाख की कमी निर्माण कार्य पर कम व्यय के कारण हुई।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

110- वन्यजीव-

10- राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास
के लिए सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1,84.00			
पूरक	0.01	8.55	8.55	..
पुनर्वि०	(-)1,75.46			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,75.46 लाख की सारभूत कमी बजट प्रावधान को गलती से बनाने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 17-निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण-कार्य तथा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	18,85,51			
		28,64,09	28,41,57	(-)22,52
पूरक	9,78,58			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				22,67

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 22.52 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 9,78.58 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 22.67 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2015- निर्वाचन-				
102- निर्वाचन अधिकारी-				
01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारी वर्ग -				
योजनेतर				
मूल	12,50.79			
		11,82.29	11,82.10	(-)0.19
पुनर्वि0	(-)68.50			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.50 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों पर कम व्यय और वाहनों की कम मुरम्मत के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 17 -(समाप्त)

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2015- निर्वाचन-

103- मतदाता सूची की तैयारी और मुद्रण-
01- सभा-

योजनेतर

मूल	4,02.97			
पूरक	3,93.59	8,62.17	8,62.21	+0.04
पुनर्वि०	65.62			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.62 लाख का आवर्धन बूथ स्तर के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को मानदेय और मतदाता-सूची के संशोधन पर लम्बित यात्रा भत्तो के भुगतान के कारण हुआ जो कि प्रचार पर हुए व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-पूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज)

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,08,22,08			
		1,08,22,09	99,76,05	(-)8,46,04
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				8,45,45
प्रभारित				
मूल	..			
		89	89	(-)1
पूरक	89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	48,35,01			
		56,40,16	56,39,56	(-)60
पूरक	8,05,15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				59

अभियुक्तियां

राजस्व प्रवर्ग

(i) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2057- पूर्ति तथा निपटान-			
101- क्रय-			
01- भंडार क्रय संगठन की स्थापना-			
योजनेतर			
(i) मूल	1,68.53		
	1,36.12	1,36.10	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)32.41		
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
योजनेतर			
(ii) मूल	74.37		
	23.38	23.36	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)50.99		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
102- लघु उद्योग-			
13- जिला उद्योग केन्द्र-			
योजनेतर			
मूल	16,26.92		
	13,40.94	13,40.79	(-)0.15
पुनर्वि०	(-)2,85.98		
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,85.98 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि नए वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
24- खाद्य विधायन हेतु			
राज्य मिशन-			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

योजनागत

मूल 8,29.00

8,06.34

8,06.34

..

पुनर्वि० (-)22.66

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.66 लाख की कमी लाभार्थियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

25- लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान-

योजनेतर

मूल 5,00.00

60.00

60.00

..

पुनर्वि० (-)4,40.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,40.00 लाख की कमी लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

103- हथकरघा उद्योग-

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 98.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)98.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 98.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण कम कर दिया गया।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उत्पादन उद्योग का विकास-

योजनेतर

मूल 6,87.72

4,74.28

4,74.22

(-)0.06

पुनर्वि० (-)2,13.44

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,13.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

मूल	3,97.84			
		3,02.57	3,02.53	(-)0.04
पुनर्वि०	(-)95.27			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल और स्नेहक पर कम व्यय के कारण हुई जो कि नए वाहनों और कार्यालय सामग्री की खरीद और विद्युत, दूरभाष तथा पानी के बिलों के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

800- अन्य व्यय-

02- निवेश योजना को बढ़ावा-

योजनगत

मूल	25.00			
		9.00	9.00	..
पुनर्वि०	(-)16.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.00 लाख की कमी संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई।

2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

102- खनिज खोज-

01- खनिज अन्वेषण कर्मचारी वर्ग और
अन्य गतिविधियाँ-

योजनेतर

मूल	10,13.79			
		7,49.38	7,49.19	(-)0.19
पुनर्वि०	(-)2,64.41			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,64.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मुरम्मत के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	21.00			
		6.10	6.09	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)14.90			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.90 लाख की कमी मशीनरी, उपकरणों और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

(ii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

10- औद्योगिक विकास एवं प्रशिक्षण-

योजनेतर

पूरक	0.01			
		1,00.00	1,00.00	..
पुनर्वि०	99.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख की आवर्धन अधिक संगोष्ठियों और बैठकों के आयोजन के कारण हुआ।

26- उष्मायन केन्द्र

योजनेतर

मूल	60.00			
		5,00.00	5,00.00	..
पुनर्वि०	4,40.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,40.00 लाख का आवर्धन नई स्टार्टअप (नया छोटा उद्यम) योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

103- हथकरघा उद्योग-

01- हथकरघा उद्योग का विकास

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-18 (समाप्त)

मूल	0.02			
		27.27	27.26	(-)0.01
पुनर्वि०	27.25			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.25 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक माँग के कारण हुआ।

- 105- खादी तथा ग्रामोद्योग-
01- खादी उद्योगों का विकास-

योजनेतर

मूल	3,00.00			
		4,43.07	4,43.07	..
पुनर्वि०	1,43.07			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.07 लाख का आवर्धन वेतन तथा महंगाई भत्ते बकाया का भुगतान करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	6,65,47,80			
		6,78,19,35	6,57,41,16	(-)20,78,19
पूरक	12,71,55			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				20,71,06
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	13,70,01			
		14,97,58	10,52,96	(-)4,44,62
पूरक	1,27,57			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4,44,62

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,78.19 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 12,71.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,44.62 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 1,27.57 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

(iii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
योजनेतर			
मूल	2,45.74		
		1,91.81	(-)2.02
पुनर्वि०	(-)53.93		
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.93 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने और पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।			
02- जिला कर्मचारी वर्ग -			
योजनेतर			
मूल	9,53.09		
		7,40.98	+1.02
पुनर्वि०	(-)2,12.11		
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,12.11 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी की दरों में वृद्धि तथा दैनिक दिहाड़ीदार कर्मचारियों को अधिक लगाने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- पिछड़ा वर्ग आयोग-			
योजनेतर			
मूल	1,13.74		
		84.49	84.49
पुनर्वि०	(-)29.25		..

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

102- आर्थिक विकास-

01- अन्य पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास-

योजनागत

मूल 2,99.00

1,21.35

1,17.35

(-)4.00

पुनर्वि० (-)1,77.65

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,77.65 लाख की कमी कम्प्यूटर प्रयोग डिप्लोमा कार्यक्रम के अन्तर्गत कम आवेदनों की प्राप्ति के कारण हुई।

02- गुज्जर, लवाणा, गद्दी के कल्याण

हेतू कल्याण बोर्ड-

योजनागत

मूल 12.00

5.88

5.88

..

पुनर्वि० (-)6.12

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.12 लाख की कमी विद्युत, दूरभाष तथा पानी के बिलों पर कम व्यय तथा संगोष्ठियों के कम आयोजनों के कारण हुई।

04- अल्पसंख्यकों का कल्याण-

800- अन्य व्यय -

01- अल्पसंख्यकों के लिए कॉर्प्स फण्ड-

योजनेतर

(i) मूल 2,00.00

22.08

22.08

..

पुनर्वि० (-)1,77.92

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुनर्वास-

202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-

02- कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास-

योजनेतर

(ii) मूल 1,29.95

1,11.62

1,11.62

..

पुनर्वि० (-)18.33

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,96.25 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

211
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

02- समाज कल्याण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

मूल	1,35.83			
		1,21.54	1,21.54	+0.01
पुनर्वि०	(-)14.29			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

101- विकलांगों का कल्याण-

03- विकलांगों का उत्थान -

योजनेतर

(i) मूल	1,21.68			
		1,00.77	1,00.77	..
पुनर्वि०	(-)20.91			

योजनागत

(ii) मूल	3,30.00			
पूरक	1.59	3,03.78	3,03.78	..
पुनर्वि०	(-)27.81			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, लाभार्थियों द्वारा कम माँग प्राप्त होने तथा विद्युत, दूरभाष और पानी के बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

06- विकलांगों के लिए प्रचलित

योजनाओं में समन्वय तथा

अतिरिक्त सहायता-

योजनेतर

मूल	5,00.00			
		4,00.35	4,00.35	..
पुनर्वि०	(-)99.65			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 99.65 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम दावे प्राप्त होने तथा संगोष्ठियों के कम आयोजनों के कारण हुई।

102- बाल कल्याण-

03- शिशु गृह-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

योजनागत

मूल	1,98.00			
		1,39.50	1,39.50	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)58.50			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.50 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संगोष्ठियों के कम आयोजनों, सामग्री की कम खरीद और विद्युत, दूरभाष तथा पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

05- एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-
केन्द्रीय प्रयोजित योजना

योजनागत

मूल	1,29,12.00			
पूरक	5,07.29	1,27,87.01	1,27,86.99	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)6,32.28			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,32.28 लाख की कमी संगोष्ठियों/बैठकों के कम आयोजन, कम मानदेय के भुगतान और विद्युत, दूरभाष तथा पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अधिक किराए, दर तथा करों के बिलों की प्राप्ति पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 2,61,83.91 लाख था।

योजनागत

मूल	14,35.00			
		12,76.64	12,76.65	+0.01
पुनर्वि०	(-)1,58.36			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,58.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, लाभार्थियों द्वारा कम मांग प्राप्त होने तथा मानदेय के कम भुगतान के कारण हुई जोकि किराया, दर तथा करों के बिलों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

11- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायकों को मानदेय-

योजनेतर

मूल	15,65.56			
		15,30.12	15,30.12	..
पुनर्वि०	(-)35.44			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.44 लाख की कमी मानदेय के कम भुगतान के कारण हुई।

213
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

20-	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
	मूल	90.00			
			69.63	69.63	..
	पुनर्वि०	(-)20.37			
	मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.37 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा कम माँग प्राप्त होने के कारण हुई।				
103-	महिला कल्याण-				
	01- राजकीय आवास-				
	योजनेतर				
	मूल	1,37.52			
			23.70	23.70	..
	पुनर्वि०	(-)1,13.82			
	मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.82 लाख की कमी मदर टैरेसा योजना के अन्तर्गत, कम आवेदन प्राप्ति व रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।				
	योजनागत				
	मूल	14,11.00			
			13,59.45	13,59.45	..
	पुनर्वि०	(-)51.55			
	मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.55 लाख की कमी मदर टैरेसा योजना के अन्तर्गत कम आवेदन प्राप्ति, कम संगोष्ठियों के आयोजन, सामग्री की कम खरीद तथा विद्युत, टेलीफोन तथा पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई ।				
07-	राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु पोषाहार योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
	मूल	10,26.00			
			9,64.98	9,64.98	..
	पुनर्वि०	(-)61.02			
	मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61.02 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री की कम खरीद तथा भारत सरकार द्वारा निधियों के कम जारी होने के कारण हुई।				
107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
	04- परिवार सहायता-				

214
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(i)	मूल	4,50.00			
			3,81.60	3,81.60	..
	पुनर्वि०	(-)68.40			
05-	किशोरी शक्ति योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(ii)	मूल	51.00			
			19.71	19.71	..
	पुनर्वि०	(-)31.29			
	योजनागत				
(iii)	मूल	6.00			
			2.19	2.19	..
	पुनर्वि०	(-)3.81			
200-	अन्य कार्यक्रम-				
01-	दक्षता को बढ़ावा देकर रोजगार, बाह्य स्रोत द्वारा रोजगार प्रतिभूति-				
	योजनागत				
(iv)	पूरक	38.00			
			28.91	28.91	..
	पुनर्वि०	(-)9.09			
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-				
02-	सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन-				
	योजनेतर				
(v)	मूल	1,32,35.49			
			1,31,50.67	1,31,50.67	..
	पुनर्वि०	(-)84.82			
02-	सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विधवा पेंशन-				
	योजनेतर				

215
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

(vi)	मूल	87,61.98			
			85,19.87	85,19.91	+0.04
	पुनर्वि०	(-)2,42.11			
03-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत				
(vii)	मूल	6,39.84			
			6,28.02	6,26.65	(-)1.37
	पुनर्वि०	(-)11.82			
04-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना-				
	योजनेतर				
(viii)	मूल	28,43.83			
			28,13.66	28,13.65	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)30.17			
	उपरोक्त आठ मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,81.51 लाख की कमी लाभार्थियों से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (ii) और (iii) में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 7,40.16 लाख था।				
104-	निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि -				
01-	जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि-				
	योजनेतर				
(i)	मूल	2,20.00			
			1,84.04	1,84.04	..
	पुनर्वि०	(-)35.96			
200-	अन्य कार्यक्रम-				
15-	बेकसूर मोटर दुर्घटना की प्रतिपूर्ति अदायगी-				
	योजनेतर				
(ii)	मूल	1,00.00			
			75.49	76.42	+0.93
	पुनर्वि०	(-) 24.51			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में ₹ 60.47 लाख का प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से कम माँग प्राप्त होने के कारण कम कर दिया गया।

- 24- सफाई कर्मचारियों तथा जल
उपचार संयंत्रों के कर्मचारियों
को जीवन बीमा कवर-

योजनेतर

मूल 50.00

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2017 में ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

- 800- अन्य व्यय-

- 06- वित्त विभाग के पास आरक्षित
निधि के पेंशनर-

योजनेतर

मूल 30,00.00

पुनर्वि० (-)30,00.00

मार्च 2017 में ₹ 30,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संरक्षित निधि को विभिन्न विभागों में वितरित करने के कारण पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित कर दिया गया।

- 68- सामान्य प्रशासनिक विभाग के पेंशनर-

योजनेतर

- (i) मूल 6.06

4.58

4.58

..

पुनर्वि० (-)1.48

- 77- ऊर्जा निदेशालय के पेंशनर-

योजनेतर

- (ii) मूल 1.21

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.21

- 80- मानवाधिकार आयोग के पेंशनर-

योजनेतर

- (iii) मूल 0.13

..

..

..

पुनर्वि० (-)0.13

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

82- शहरी विकास विभाग के पेंशनर-

योजनेतर

(iv) मूल	7.89			
		1.95	1.95	..
पुनर्वि०	(-)5.94			

89- राज्य सूचना आयोग के पेंशनर-

योजनेतर

(v) मूल	0.61			
		0.42	0.42	..
पुनर्वि०	(-)0.19			

90- स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विनियम
के पेंशनर-

योजनेतर

(vi) मूल	5.25			
		2.30	1.81	(-)0.49
पुनर्वि०	(-)2.95			

93- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
के पेंशनर-

योजनेतर

(vii) मूल	0.50			
		0.29	0.29	..
पुनर्वि०	(-)0.21			

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.11 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अधीन हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाख में)

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- मरम्मत तथा रखरखाव -

09- सामाजिक एवं महिला कल्याण विभाग
के रखरखाव पर व्यय -

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

योजनेतर

मूल	0.01			
		4.21	4.21	..
पुनर्वि०	4.20			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.20 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण -

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

01- सिविल सेवाओं कोचिंग हेतु सहायता-

योजनेतर

मूल	0.01			
		5.00	5.00	..
पुनर्वि०	4.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.99 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

102- बाल कल्याण-

03- शिशु गृह-

योजनेतर

मूल	3,05.76			
		3,52.47	3,52.47	..
पुनर्वि०	46.71			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.71 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग प्राप्त होने तथा दैनिक दिहाड़ीदारों को अधिक काम पर लगाने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

103- महिला कल्याण-

09- किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए

राजीव गांधी किशोरी शक्ति

योजना (सबला)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

219
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

पूरक	11.30			
		31.22	31.22	..

पुनर्वि० 19.92

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.92 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

योजनागत

पूरक	1.26			
		3.47	3.47	..

पुनर्वि० 2.21

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.21 लाख का आवर्धन व्यवसायिक दिशा निर्देशों से सम्बन्धित अधिक जागरूकता शिविरों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के कारण हुआ।

13- महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	33.00			
		48.84	48.84	..

पुनर्वि० 15.84

योजनागत

(ii) मूल	3.00			
		5.76	5.76	..

पुनर्वि० 2.76

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.60 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

105- सरकारी कर्मचारी बीमा योजना-

02- सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचक

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-

योजनेतर

मूल	1,90.57			
		2,03.74	2,03.74	..

पुनर्वि० 13.17

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.17 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

220
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

800- अन्य व्यय-					
03- सिंचाई और जन स्वास्थ्य					
विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(i)	मूल	2,12.23			
			4,95.32	4,95.14	(-)0.18
	पुनर्वि०	2,83.09			
04- आर्थिक और सांख्यिकी					
विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(ii)	मूल	12.13			
			25.12	25.12	..
	पुनर्वि०	12.99			
05- कोष तथा लेखा विभाग					
के पेंशनर-					
योजनेतर					
(iii)	मूल	30.31			
			66.27	66.24	(-)0.03
	पुनर्वि०	35.96			
07- मतस्य विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(iv)	मूल	6.06			
			16.01	16.01	..
	पुनर्वि०	9.95			
08- पर्यटन और नागर विमानन					
विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(v)	मूल	3.03			
			8.62	8.62	..
	पुनर्वि०	5.59			
09- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					

221
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

(vi)	मूल	10.31			
			17.35	17.32	(-)0.03
	पुनर्वि०	7.04			
10-	नगर और ग्राम योजना विभाग के पेंशनर-				
	योजनेतर				
(vii)	मूल	4.24			
			6.22	6.22	..
	पुनर्वि०	1.98			
11-	तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
	योजनेतर				
(viii)	मूल	26.68			
			50.16	50.16	..
	पुनर्वि०	23.48			
12-	कृषि विभाग के पेंशनर-				
	योजनेतर				
(ix)	मूल	72.76			
			1,86.54	1,86.54	..
	पुनर्वि०	1,13.78			
13-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पेंशनर-				
	योजनेतर				
(x)	मूल	8.48			
			14.48	14.48	..
	पुनर्वि०	6.00			
14-	उद्यान विभाग के पेंशनर-				
	योजनेतर				
(xi)	मूल	21.83			
			98.31	98.31	..
	पुनर्वि०	76.48			
15-	पशुपालन विभाग के पेंशनर-				
	योजनेतर				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

(xii)	मूल	72.76			
	पुनर्वि०	81.74	1,54.50	1,54.50	..
16-	उद्योग विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xiii)	मूल	19.40			
	पुनर्वि०	39.91	59.31	58.90	(-)0.41
17-	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xiv)	मूल	21.83			
	पुनर्वि०	54.20	76.03	76.03	..
18-	परिवहन विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xv)	मूल	42.44			
	पुनर्वि०	44.84	87.28	87.28	..
19-	उपभोक्ता फॉर्म के पेंशनर- योजनेतर				
(xvi)	मूल	0.13			
	पुनर्वि०	1.50	1.63	1.63	..
20-	जेल विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xvii)	मूल	7.28			
	पुनर्वि०	8.34	15.62	15.62	..
21-	गृह रक्षा विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xviii)	मूल	9.70			
	पुनर्वि०	12.97	22.67	22.67	..

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

22- सैनिक कल्याण विभाग के पेंशनर-हमीरपुर- योजनेतर					
(xix)	मूल	0.61			
			2.38	2.38	..
	पुनर्वि०	1.77			
23- लोक सम्पर्क विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xx)	मूल	18.19			
			40.75	40.75	..
	पुनर्वि०	22.56			
24- हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनर- योजनेतर					
(xxi)	मूल	1.21			
			5.21	5.21	..
	पुनर्वि०	4.00			
26- ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xxii)	मूल	54.57			
			88.35	88.63	+0.28
	पुनर्वि०	33.78			
27- सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xxiii)	मूल	1,21.27			
			1,96.49	1,95.85	(-)0.64
	पुनर्वि०	75.22			
28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पेंशनर- योजनेतर					
(xxiv)	मूल	1.82			
			8.80	8.84	+0.04
	पुनर्वि०	6.98			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

29- पंचायती राज के पेंशनर-					
योजनेतर					
(xxv)	मूल	24.25			
			46.56	46.56	..
	पुनर्वि०	22.31			
30- भाषा तथा संस्कृति विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(xxvi)	मूल	1.94			
			7.94	7.94	..
	पुनर्वि०	6.00			
31- पुलिस विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(xxvii)	मूल	1,81.91			
			4,58.67	4,58.34	(-)0.33
	पुनर्वि०	2,76.76			
33- माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(xxviii)	मूल	4,54.78			
			8,64.04	8,64.04	..
	पुनर्वि०	4,09.26			
34- आयुर्वेद विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(xxix)	मूल	24.25			
			1,41.03	1,41.03	..
	पुनर्वि०	1,16.78			
35- स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-					
योजनेतर					
(xxx)	मूल	2,13.04			
			3,79.44	3,79.57	+0.13
	पुनर्वि०	1,66.40			
36- निर्वाचन विभाग के पेंशनर-					

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

योजनेतर				
(xxxix) मूल	4.00			
		10.89	10.89	..
पुनर्वि०	6.89			
37- राज्यपाल सचिवालय के पेंशनर-				
योजनेतर				
(xxxix) मूल	4.24			
		5.74	5.72	(-)0.02
पुनर्वि०	1.50			
38- उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायलयों के पेंशनर-				
योजनेतर				
(xxxix) मूल	54.57			
		84.56	84.41	(-)0.15
पुनर्वि०	29.99			
39- लोक सेवा आयोग के पेंशनर-				
योजनेतर				
(xxxix) मूल	4.85			
		10.83	10.83	..
पुनर्वि०	5.98			
40- भू-अभिलेख के पेंशनर-				
योजनेतर				
(xxxix) मूल	43.05			
		65.67	65.67	..
पुनर्वि०	22.62			
43- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पेंशनर-				
योजनेतर				
(xxxix) मूल	1.21			
		4.46	4.46	..
पुनर्वि०	3.25			
46- बन्दोबस्त अधिकारी धर्मशाला के पेंशनर-				
योजनेतर				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

(xxxvii) मूल	6.06			
		17.27	17.27	..
पुनर्वि०	11.21			
47- अग्नि शमन सेवा विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xxxviii) मूल	3.63			
		23.32	23.32	..
पुनर्वि०	19.69			
49- कर एवं कराधान विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xxxix) मूल	24.25			
		45.03	45.03	..
पुनर्वि०	20.78			
50- सहकारिता विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xl) मूल	42.44			
		83.22	83.22	..
पुनर्वि०	40.78			
51- चिकित्सा शिक्षा विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xli) मूल	37.59			
		48.94	48.93	(-)0.01
पुनर्वि०	11.35			
53- आतिथ्या स्थान के पेंशनर- योजनेतर				
(xlii) मूल	1.82			
		2.57	2.57	..
पुनर्वि०	0.75			
54- संपदा अधिकारी के पेंशनर- योजनेतर				
(xlili) मूल	0.61			
		0.81	0.81	..
पुनर्वि०	0.20			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

58-	आपदा प्रबंधन सेल के पेंशनर- योजनेतर				
(XLiv)	मूल	0.61			
			1.60	1.60	..
	पुनर्वि०	0.99			
59-	लोकायुक्त के पेंशनर- योजनेतर				
(XLV)	मूल	0.61			
			1.61	1.61	..
	पुनर्वि०	1.00			
60-	महाधिवक्ता के पेंशनर- योजनेतर				
(XLvi)	मूल	1.21			
			5.21	5.21	..
	पुनर्वि०	4.00			
61-	पर्वतारोहण संस्थान मनाली के पेंशनर- योजनेतर				
(XLvii)	मूल	0.24			
			2.74	2.74	..
	पुनर्वि०	2.50			
62-	खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(XLviii)	मूल	0.97			
			1.97	1.96	(-)0.01
	पुनर्वि०	1.00			
63-	जनजातीय विकास के पेंशनर- योजनेतर				
(XLix)	मूल	0.24			
			1.94	1.94	..
	पुनर्वि०	1.70			
64-	राहत एवं पुनर्वास विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(XLX)	मूल	0.13			
			0.41	0.41	..
	पुनर्वि०	0.28			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

65-	बंदोबस्त अधिकारी शिमला के पेंशनर- योजनेतर				
(Li)	मूल	6.06			
			15.76	15.76	..
	पुनर्वि०	9.70			
66-	लघु बचत संगठन के पेंशनर- योजनेतर				
(Lii)	मूल	0.61			
			1.11	1.11	..
	पुनर्वि०	0.50			
67-	योजना विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(Liii)	मूल	1.21			
			10.98	10.98	..
	पुनर्वि०	9.77			
69-	राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी व्यूरों के पेंशनर- योजनेतर				
(Liv)	मूल	14.55			
			24.54	24.54	..
	पुनर्वि०	9.99			
70-	राज्य निर्वाचन आयोग के पेंशनर- योजनेतर				
(LV)	मूल	0.37			
			1.19	1.19	..
	पुनर्वि०	0.82			
71-	वन विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(Lvi)	मूल	1,81.91			
			3,67.27	3,67.27	..
	पुनर्वि०	1,85.36			
73-	प्राथमिक शिक्षा विभाग के पेंशनर- योजनेतर				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

(Lvii) मूल	4,00.20				
पूरक	96.90	13,54.94	13,54.93	(-)0.01	
पुनर्वि०	8,57.84				

78- लोक निर्माण विभाग के पेंशनर-
योजनेतर

(Lviii) मूल	2,18.29				
पूरक	2,27.60	5,45.55	5,45.55	..	
पुनर्वि०	99.66				

81- न्यायिक अकादमी के पेंशनर-
योजनेतर

(Lix) मूल	0.61				
पुनर्वि०	0.60	1.21	1.21	..	

83- राजस्व विभाग के पेंशनर-
योजनेतर

(Lx) मूल	77.37				
पुनर्वि०	74.15	1,51.52	1,51.52	..	

86- महिला एवं शिशु विकास विभाग
के पेंशनर-
योजनेतर

(Lxi) मूल	6.06				
पुनर्वि०	23.08	29.14	29.14	..	

92- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण
के पेंशनर-
योजनेतर

(Lxii) मूल	1.05				
पुनर्वि०	1.48	2.53	2.53	..	

उपरोक्त बासठ मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34,21.07 लाख का आवर्धन पेंशनरों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-			
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
01- भवनों का निर्माण-			
योजनागत			
मूल	1,32.00		
		1,18.91	1,18.91
पूरक	(-)13.09		..
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.09 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।			
03- अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजनागत			
(i) मूल	36.00		
	
पुनर्वि०	(-)36.00		..
योजनागत			
(ii) मूल	1.00		
	
पुनर्वि०	(-)1.00		..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में ₹ 37.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।			
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-			
02- सामाजिक कल्याण-			
800- अन्य व्यय-			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(समाप्त)

01- भवनों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	5,40.00			
		1,62.00	1,62.00	..
पुनर्वि०	(-)3,78.00			

योजनागत

(ii) मूल	3,10.00			
पूरक	1,00.00	3,97.40	3,97.40	..
पुनर्वि०	(-)12.60			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,90.60 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

01- एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-

योजनागत

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2017 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

232
विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 20 - ग्रामीण विकास

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,18,40,58			
		12,18,40,65	10,96,79,15	(-)1,21,61,50
पूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,21,38,31
प्रभारित				
मूल	..			
		7.43	6,78	(-)65
पूरक	7,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,84,00			
		3,84,00	3,84,00	..
पूरक	2,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,21,61.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, ₹ 1,21,38.31 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

233
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2216- आवास-			
03- ग्रामीण आवास-			
102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-			
01- इन्दिरा आवास योजना-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजनागत			
(i) मूल	23,69.00		
	9,57.85	9,57.85	..
पुनर्वि०	(-)14,11.15		
योजनागत			
(ii) मूल	2,63.00		

पुनर्वि०	(-)2,63.00		
02- राजीव गांधी आवास योजना			
योजनेतर			
(iii) मूल	8,70.00		

पुनर्वि०	(-)8,70.00		

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 25,44.15 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 32,53.82 लाख था।

2230- श्रम तथा रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

01- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्र-

योजनेतर

234
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 -(क्रमशः)

(i) मूल	1,67.19			
		1,17.72	1,17.32	(-)0.40
पुनर्वि०	(-)49.47			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

- 06- स्वरोजगार कार्यक्रम-
- 101- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार याजना-
- 03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	10,37.00			
		4,31.00	4,31.00	..
पुनर्वि०	(-)6,05.90			

- 05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना-
- केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल	5,92.00			
		47.40	47.40	..
पुनर्वि०	(-)5,44,60			

योजनागत

(iii) मूल	46.20			
		5.27	5.27	..
पुनर्वि०	(-)40.93			

235
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 -(क्रमशः)

06- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत				
आजीविका कौशल योजना-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(iv)	मूल	2,96.00		
		
	पुनर्वि०	(-)2,96.00		..
योजनागत				
(v)	मूल	32.00		
		
	पुनर्वि०	(-)32.00		..
800- अन्य व्यय-				
04- एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम -				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(vi)	मूल	65,81.00		
			25,25.00	25,25.00
				..
	पुनर्वि०	(-)40,56.00		
योजनागत				
(vii)	मूल	6,58.00		
			2,80.56	2,80.56
				..
	पुनर्वि०	(-)3,77.44		
उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में				
₹ 59,52.87 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई जबकि क्रम संख्या				
(ii) में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 7,23.71 लाख था।				
06- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
योजनागत				
	पूरक	0.01		
			38.33	..
	पुनर्वि०	38.32		(-)38.33

236
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 -(क्रमशः)

₹ 38.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.32 लाख का आवर्धन योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अवास्तविक सिद्ध हुआ।

₹ 38.33 लाख के व्यय न होने के करने के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2017)।

2505- ग्राम रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-

06- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)-

योजनागत

(i)- मूल	39,49.00			
		32,45.65	32,45.65	..
पुनर्वि०	(-)7,03.35			

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल	3,55,37.00			
		2,84,48.99	2,84,48.99	..
पुनर्वि०	(-)70,88.01			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 77,91.36 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुआ जबकि क्रम संख्या (i) के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 2,84,48.99 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

003- प्रशिक्षण-

01- पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र-

योजनेतर

मूल	1,60.84			
		1,40.43	1,40.43	..
पुनर्वि०	(-)20.41			

237
विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 20 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति और बाह्य स्रोतों से कर्मचारियों को पारिश्रामिक भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 03- पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	1,58.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,58.00			

योजनागत

(ii) मूल	39.00			
	
पुनर्वि०	(-)39.00			

उपरोक्त दो मामलो में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा में ₹ 1,97.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 101- पंचायती राज-

- 01- पंचायत राज विभाग-

योजनेतर

मूल	22,02.62			
		18,10.09	18,09.99	(-)0.10
पुनर्वि०	(-)3,92.53			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,92.53 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि नए वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 102- सामुदायिक विकास-

- 01- एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग-

योजनेतर

मूल	1,00,34.92			
		73,77.23	73,78.68	+1.45
पुनर्वि०	(-)26,57.69			

238
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26,57.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	64.00			
		46.05	46.03	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)17.95			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.95 लाख की कमी कर्मचारियों द्वारा कम दौरे और दूरभाष, जल प्रभारों और विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

18- महिला मंडलों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान-

योजनेतर

मूल	56.00			
		40.52	40.47	(-)0.05
पुनर्वि०	(-)15.48			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.48 लाख की कमी महिला मंडलों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2216- आवास

03- ग्रामीण आवास-

102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-

04- अटल/ राजीव आवास योजना-

योजनागत

मूल	7,24.00	7,24.00	7,38.95	+14.95
-----	---------	---------	---------	--------

₹ 14.95 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2017)।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

239
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 -(क्रमशः)

101- स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना-
03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-

योजनागत

(i) मूल	1,15.00			
पूरक	0.01	16,62.00	16,62.00	..
पुनर्वि०	15,46.99			

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल
योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) पूरक	0.01			
		19,96.72	19,96.72	..
पुनर्वि०	19,96.71			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35,43.70 लाख का अत्याधिक आवर्धन योजना के अर्न्तगत अधिक व्यय के कारण हुआ जबकि क्रम संख्या (ii) में भारत सरकार ₹ 36,06.43 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

पुनर्वि०	2,21.85	2,21.85	2,21.86	+0.01
----------	---------	---------	---------	-------

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,21.85 लाख का आवर्धन योजना के अर्न्तगत अधिक व्यय के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों से प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश की बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

08- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन
मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) पूरक	0.02			
		8,65.00	8,65.00	..
पुनर्वि०	8,64.98			

240
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 -(क्रमशः)

योजनागत					
(ii)	पूरक	0.01			
			90.00	90.00	..
	पुनर्वि०	89.99			
800- अन्य व्यय-					
03- मातृ शक्ति बीमा योजना-					
योजनेतर					
(iii)	मूल	80.85			
			1,11.50	1,11.50	..
	पुनर्वि०	30.65			
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-					
101- पंचायती राज-					
02- पंचायती राज संस्थानों का सहायता-					
योजनेतर					
(iv)	मूल	82.01			
			13,02.01	13,02.01	..
	पुनर्वि०	12,20.00			
10- पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत					
खनिजों पर रायल्टी की एवज में					
सहायता अनुदान-					
योजनेतर					
(v)	मूल	0.01			
			47.96	47.96	..
	पुनर्वि०	47.95			
उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22,53.57 लाख का आवर्धन योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जबकि क्रम संख्या (i) तथा (ii) में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 20,80.00 लाख था।					
102- सामुदायिक विकास-					
10- ग्रामीण शौचालयों का निर्माण-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजनागत					
(i)	मूल	59,23.00			
			72,21.89	72,21.89	..
	पुनर्वि०	12,98.89			

241
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 -(समाप्त)

योजनागत

(ii) मूल	6,58.00			
		8,02.44	8,02.44	..
पुनर्वि०	1,44.44			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,43.33 लाख का आवर्धन ग्रामीण शौचालयों के अधिक निर्माण के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 68,14.90 लाख था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- सहकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता, 6425-सहकारिता हेतु ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	34,31,27			
		44,37,91	34,14,68	(-)10,23,23
पूरक	10,06,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
				10,25,09

पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत

मूल		39,79,22	39,79,22	..
पूरक	39,79,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 10,23.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 10,06.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 10,25.09 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- (क्रमशः)

2425- सहकारिता-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

(i) मूल	4,18.03			
पूरक	34.51	3,94.63	3,94.62	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)57.91			

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

(ii) मूल	20,71.60			
पूरक	40.11	14,59.14	14,61.13	+1.99
पुनर्वि०	(-)6,52.57			

101- सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा-

01- लेखापरीक्षा कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

(iii) मूल	8,73.68			
		5,61.09	5,60.96	(-)0.13
पुनर्वि०	(-)3,12.59			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,23.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

109- कृषि उधार स्थिरीकरण निधि-

01- एकीकृत सहकारी विकास

परियाजनाओं पर व्यय-

योजनागत

(i) मूल	1.00			
पूरक	9,32.02	9,32.01	9,32.01	..
पुनर्वि०	(-)1.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- (समाप्त)

योजनागत	
(ii) मूल	1.00
पुनर्वि०	(-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.01 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2236-पोषण, 2408-खाद्य, भंडारण एवं भांडागार, 3456-सिविल आपूर्ति , 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा 4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,36,42,98			
		2,36,43,00	1,95,38,19	(-)41,04,81
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				41,05,10
प्रभारित				
मूल	..			
		5.00	5.00	..
पूरक	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,96,03			
		1,96,03	1,96,00	(-)3
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3

टिप्पणियां और अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 41,04.81 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से ₹ 41,05.10 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	----------------------------------	-----------------------

2236- पोषाहार-

02- पोषक आहार तथा सुपेय का वितरण-

101- विशेष पोषागार कार्यक्रम-

06- अन्नपूर्णा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 30.00

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से निधियों का आबंटन न होने के कारण कम कर दिया गया।

2408- खाद्य, भंडारण तथा भांडागार-

01- खाद्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- जिला फॉर्म का कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल 5,52.43

4,79.52

4,80.00

0.48

पुनर्वि० (-)72.91

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि तीन नए वाहनों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

102- खाद्य उपदान-

11- उपदान पर दाल, गेहूं, चावल, तेल एवं आयोडाईज नमक की खरीद-

योजनेतर

मूल 2,10,00.00

1,60,93.77

1,60,93.77

..

पुनर्वि० (-)49,06.23

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49,06.23 लाख की कमी दालों, नमक और खाद्य तेलो की स्थिर दरों पर कम उपदान और मूल्य/दर से बढ़कर होने का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया।

3456- सिविल पूर्ति -

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-
01- निदेशालय-

योजनेतर

मूल	4,06.74			
		3,25.47	3,25.32	(-) 0.15
पुनर्वि०	(-)81.27			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि मुख्य निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय और प्रयोगशाला सामग्री/रसायनों आदि पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 02- जिला कार्यालय-

योजनेतर

मूल	9,83.75			
		6,76.40	6,76.39	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)3,07.35			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,07.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नमूना सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 04- उपभोक्ता जागरूकता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1,80.00			
पूरक	0.01	17.68	17.68	..
पुनर्वि०	(-)1,62.33			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.33 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण हुई जोकि उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठियों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 20.00 लाख था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-

106- भार और माप का विनियमन-

01- भार और माप संगठन-

योजनेतर

मूल	3,74.00			
		2,33.01	2,32.99	(-)0.02
पुनर्वि0	(-)1,13.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि संगठन की मोबाइल किट वाहन की मरम्मत और कार्यालय फर्नीचर खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अधीन हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव तथा मरम्मत-

65- हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता निवारण आयोग के भवन का रख रखाव-

योजनेतर

मूल	0.01			
		5.33	5.33	..
पुनर्वि0	5.32			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.32 लाख का आवर्धन रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार-

01- खाद्य-

102- खाद्य उपदान-

12- चीनी की खरीद

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

योजनेतर

पुनर्वि०	13,83.00	13,83.00	13,83.00	..
----------	----------	----------	----------	----

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13,83.00 लाख का आर्वधन लाभर्थियों से अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ। निधियों को मूल/ अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था और हिमाचल प्रदेश की बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

3456- सिविल आपूर्ति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

05- लक्षित सार्वजनिक वितरण
प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण -
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पुनर्वि०	1,80.00	1,80.00	1,80.00	..
----------	---------	---------	---------	----

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,80.00 लाख का आर्वधन भारत सरकार के अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ। निधियों को मूल/ अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था और हिमाचल प्रदेश की बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 2810-नई तथा नवीकृत उर्जा, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं को ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य(+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,75,86,73			
		9,66,99,70	8,20,64,35	(-)1,46,35,35
पूरक	4,91,12,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,46,35,35
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,07,08,01			
		4,71,65,01	31,58,66,43	+26,87,01,42
पूरक	64,57,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,08,33,11

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 26,87,01,42,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,46,35.35 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 4,91,12.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 23 (क्रमशः)

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 26,87,01.42 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 64,57.00 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 2,08,33.11 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-			
103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-			
01- विद्युत निराक्षणालय- योजनेतर			
मूल	3,42.32		
		2,06.36	2,06.36 ..
पुनर्वि०	(-)1,35.96		
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,35.96 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा गाड़ियों की मरम्मत के अधिक बिलों के प्राप्त होने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
2801- विद्युत-			
80- सामान्य-			
101- बिजली बोर्ड को सहायता-			
07- प्रशुल्क वापसी पर उपदान- योजनेतर			
मूल	4,10,00.00		
		2,65,00.00	2,65,00.00 ..
पुनर्वि०	(-)1,45,00.00		
मार्च 2017 में अभ्यर्पण में ₹ 1,45,00.00 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा उपदान की कम मांग के कारण हुई।			
800- अन्य व्यय-			
03- मध्यस्थता शुल्क के भुगतान पर व्यय-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 23 (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	6.65			
		3.16	3.16	..
पुनर्वि०	(-).3.49			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.49 लाख की कमी वकीलों को कम काम पर लगाने के कारण हुई।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v)	दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+) बचत (-)

6801- विद्युत परियोजनाओं को ऋण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-

01- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-

योजनेतर

मूल	0.01			
		64,57.01	1,10,69.68	+46,12.67
पूरक	64,57.00			

₹ 46,12.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

03- उदय बांडों के खाते पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ऋण-

योजनागत

..	28,90,50.00	+28,90,50.00
----	-------------	--------------

₹ 28,90,50.00 लाख का समस्त व्यय निधियों के बिना प्रावधान के किया गया। निधियों को मूल/ अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के किया गया उपरोक्त व्यय अनुचित एवं विवेकहीन था। जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 23 (क्रमशः)

(vi) उपरोक्त आधिक्य निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+) बचत (-)
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- हाईडल उत्पादन-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-			
06- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम में इक्विटी अंशदान -			
योजनागत			
मूल	1,03,15.00		
		56,41.75	56,41.75 ..
पुनर्वि०	(-)46,73.25		
मार्च 2017 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 46,73.25 लाख की कमी कम निवेश के कारण हुई।			
07- हिमाचल प्रदेश बिजली संचारण निगम लिमिटेड ने इक्विटी अंशदान-			
योजनागत			
मूल	20,49.00		
	
पुनर्वि०	(-)20,49.00		
मार्च 2017 में ₹ 20,49.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा निवेश न होने के कारण कम कर दिया गया ।			
6801- विद्युत परियोजनाओं को ऋण-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-			
01- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 23 (समाप्त)

योजनागत

मूल	1,82,39.00			
		41,28.14	..	(-)41,28.14
पुनर्वि०	(-)1,41,10.86			

₹ 41,28.14 लाख का अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41,10.86 लाख की कमी ऋणों की कम अदायगी के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 41,28.14 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-24- मुद्रण और लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	29,45,13			
		29,45,13	23,43,56	(-)6,01,57
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
				6,00,19

अभ्युक्तियां

राजस्व प्रवर्ग

(i)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय

योजनेतर

(i)	मूल	1,65.28		
			1,14.64	1,13.87
	पुनर्वि०	(-)50.64		(-)0.77

102- फार्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण-

01- फार्मों की आपूर्ति-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-24 (क्रमशः)

(ii)	मूल	17.41			
			10.07	10.07	..
	पुनर्वि०	(-)7.34			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.98 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।				
103-	सरकारी मुद्रणालय-				
01-	हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय-				
	योजनेतर				
	मूल	19,10.78			
			13,82.42	13,81.83	(-)0.59
	पुनर्वि०	(-)5,28.36			
	मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,28.36 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक दिहाड़ी की दरों में वृद्धि, महंगाई भत्ते के बकाया की अदायगी तथा कार्यालय के लिए नये फर्नीचर की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।				
104-	अन्य साधनों से मुद्रण की लागत-				
01-	निजी मुद्रणालय-				
	योजनेतर				
(i)	मूल	15.31			
			7.57	7.57	..
	पुनर्वि०	(-)7.74			
02-	अन्य सरकारी मुद्रणालय-				
	योजनेतर				
(ii)	मूल	21.33			
			14.96	14.96	..
	पुनर्वि०	(-)6.37			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.11 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-24 (समाप्त)

(ii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

2059- लोक निर्माण-कार्य

01- कार्यालय भवन

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

13- लेखन सामग्री विभाग के
भवनों के रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल	0.01			
		16.09	16.09	..
पुनर्वि०	16.08			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.08 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की अधिक मरम्मत के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहन कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अन्तर्देशीय जल परिवहन तथा 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,19,22,85		
	2,93,53,94	2,92,47,45	(-)1,06,49
पूरक	74,31,09		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,06,18
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	45,95,00		
	45,95,00	45,94,00	(-)1,00
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,00

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,06,49 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 74,31.09 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

2041- वाहन कर-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	3,41.70			
		2,95.07	2,94.76	(-)0.31
पूरक	(-)46.63			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि सड़क सुरक्षा योजना पर व्यय तथा संकुचित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए लघु बुस्टर स्टेशन के निर्माण के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

3055- सड़क परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय

योजनेतर

मूल	10,05.30			
पूरक	71.62	8,27.37	8,27.37	..
पुनर्वि०	(-)2,49.55			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,49.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों के कर्मचारियों के लम्बित भुगतानों की अदायगी, गृह रक्षकों के बकाया की अदायगी तथा पुराने वाहन की प्रतिस्थापना पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

3056- अंतर्देशीय जल परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु कर्मचारी वर्ग

की व्यवस्था-

योजनागत

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2017 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारकताएँ पूरी न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (समाप्त)

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	
3055- सड़क परिवहन -			
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता -			
01- परिवहन सेवाओं को सहायता-			
योजनेतर			
मूल	2,05,00.01		
पूरक	23,59.47	2,80,59.48	2,80,59.48 ..
पुनर्वि०	2,00.00		

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत खरीदी गई बसों पर मूल्य वर्धित कर के वापसी दावों के प्राप्ति के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

iv) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-			
050- भूमि तथा भवन-			
06- सरकाघाट में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजनागत			
मूल	1.00		
पुनर्वि०	(-)1.00

मार्च 2017 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार द्वारा निधियाँ न प्राप्त होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	48,64,76			
		1,03,69,83	1,03,44,45	(-)25,38
पूरक	55,05,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				25,56
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,60,00			
		3,64,00	3,64,00	..
पूरक	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित प्रवर्ग				
मूल	..			
		3,85,87	3,85,87	..
पूरक	3,85,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 25.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 55,05.07 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 25.56 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 26-(क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

3053- नागर विमानन-

80- सामान्य-

001-निदेशन तथा प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग -

योजनेतर

मूल	57.56			
		35.75	35.75	..
पुनर्वि०	(-)21.81			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.81 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

मूल	1,80.38			
		1,54.63	1,54.62	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)25.75			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.75 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नये वाहनों की खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों, किराया, दर और करों के बिलों की प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	3,66.81			
		3,35.39	3,35.59	+0.20
पुनर्वि०	(-)31.42			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 26-(समाप्त)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.42 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय मदों की कम खरीद तथा विद्युत और पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दैनिक दिहाड़ीदारों की अधिक तैनाती, मरम्मत, पेट्रोल, तेल और स्नेहकों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

800- अन्य व्यय

08- पर्यटन संरचना के लिए प्रोत्साहन -

योजनागत

मूल	25.00			
		16.95	16.95	..
पुनर्वि०	(-)8.05			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.05 लाख की कमी मुख्यतः बैठकों के कम आयोजन के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001-निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनागत

मूल	15.00			
पूरक	5.07	81.57	81.57	..
पुनर्वि०	61.50			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.50 लाख का आवर्धन अधिवक्ताओं की अधिक सेवा लेने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 - श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2216 आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम रोजगार तथा कौशल विकास, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,41,22,77			
		2,41,22,84	1,69,24,75	(-)71,98,09
पूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2017)				71,98,09
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	58,72,01			
		58,72,01	53,98,00	(-)4,74,01
पूरक	67,21			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2017)				4,74,01

टिप्पणियां

राजस्व प्रवर्ग

(i) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2203- तकनीकी शिक्षा-

001-निदेशन एवं प्रशासन-

01-निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

योजनेतर

मूल	2,22.52			
		1,92.08	1,92.08	..

पुनर्वि० (-)30.44

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.44 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, तथा कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

105- बहुतकनीकी विद्यालय-

01- राजकीय बहुतकनीकी विद्यालय -

योजनेतर

मूल	29,71.58			
		26,20.50	26,20.50	..

पुनर्वि० (-)3,51.08

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद तथा छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्रों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

04- मौजूदा राजकीय बहुतकनीकी

संस्थानों का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	3,38.00			
	

पुनर्वि० (-)3,38.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,38.00 लाख का समस्त प्रावधान मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने तथा कच्चे माल की कम खरीद के कारण कम कर दिया गया।

05- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत (बहुतकनीकी के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	98.00			
		48.06	48.06	..

पुनर्वि० (-)49.94

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.94 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों जारी न करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

06- नई बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 9,48.00

..

पुनर्वि० (-)9,48.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,48.00 लाख का समस्त प्रावधान मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद और भारत सरकार से निधियां जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

112- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-

02- विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत राजकीय

इंजीनियरिंग कॉलेज-(केन्द्रीय प्रायोजित
योजना-तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार) -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 1,05.00

..

पुनर्वि० (-)1,05.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,05.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

03- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

को अनुदान-

योजनेतर

मूल 10.00

..

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सहायता अनुदान के लिये आवेदन न मिलने के कारण कम कर दिया गया।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों
का कल्याण-**

02- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

277- शिक्षा-

03- शिक्षा-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

योजनेतर

मूल	4.02			
		2.89	2.89	..
पुनर्वि०	(-)1.13			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.13 लाख की कमी अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

277- शिक्षा-

04- तकनीकी छात्रवृत्तियां-

योजनेतर

मूल	15.19			
		7.81	7.81	..
पुनर्वि०	(-)5.38			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.38 लाख की कमी छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास-

01- श्रम-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

मूल	1,35.38			
		1,08.64	1,08.64	..
पुनर्वि०	(-)26.74			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.74 लाख की कमी रिक्त पदों का न भरने के कारण हुई।

101- औद्योगिक सम्बन्ध-

01- श्रम कानूनों का प्रवर्तन-

योजनेतर

मूल	3,94.20			
		3,42.04	3,42.04	..
पुनर्वि०	(-)52.16			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.16 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

02- विवादों का निपटारा-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

मूल	1,47.64			
		1,29.51	1,29.51	..
पुनर्वि०	(-)18.13			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण और दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
102- कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा-				
01- कारखानों की निरीक्षणालय-				
योजनेतर				
(i) मूल	13.87			
		3,19	3,19	..
पुनर्वि०	(-)10.68			
02- रोजगार सेवाएं-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- रोजगार निदेशालय में कर्मचारी वर्ग-				
योजनेतर				
(ii) मूल	72.18			
		53.05	53.05	..
पुनर्वि०	(-)19.13			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।				
004- अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
01- रोजगार बाजार सूचना का संग्रह-				
योजनेतर				
मूल	86.01			
		42.51	42.51	..
पुनर्वि०	(-)43.50			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.50 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।				
101- रोजगार सेवाएं-				
01- रोजगार सेवाओं का आवरण विस्तार-				
योजनेतर				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

मूल	9,39.80			
		6,99.50	6,99.08	(-)0.42
पुनर्वि०	(-)2,40.30			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,40.30 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई।				
02- व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार परामर्श-				
योजनेतर				
मूल	32.43			
		22.46	22.88	+0.42
पुनर्वि०	(-)9.97			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई।				
योजनागत				
मूल	14.00			
		4.72	4.72	..
पुनर्वि०	(-)9.28			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.28 लाख की कमी संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई।				
03- विश्वविद्यालय रोजगार तथा मार्गदर्शन ब्यूरो-				
योजनेतर				
(i) मूल	7.10			
		3.06	3.06	..
पुनर्वि०	(-)4.04			
03- प्रशिक्षण-				
001- निदेशन तथा प्रशासन				
01- तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय का कर्मचारी वर्ग-				
योजनेतर				
(ii) मूल	36.13			
		20.63	20.63	..
पुनर्वि०	(-)15.50			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.54 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

05- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों
का प्रशिक्षण -

योजनेतर

मूल 41,86.22

38,47.28

38,47.28

..

पुनर्वि० (-)3,38.94

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,38.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक तैनाती से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

07- विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत उत्कृष्टता केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 1,85.00

25.95

25.95

..

पुनर्वि० (-)1,59.05

योजनागत

(ii) मूल 1,00.00

30.61

30.61

..

पुनर्वि० (-)69.39

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,28.44 लाख की कमी मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने और विद्युत, जल तथा दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

09- कौशल विकास भत्ता-

योजनेतर

मूल 99,00.22

53,91.88

53,91.88

..

पुनर्वि० (-)45,08.12

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45,08.12 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग तथा विज्ञापनों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत कर्मचारियों की अधिक तैनाती से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

10- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का
मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों
के रूप में उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

(i) मूल	2,99.00			
	
पुनर्वि०	(-)2,99.00			
11- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल उपयोगिता संवर्धन/सशक्तिकरण परियोजना- योजनागत				
(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
12- विश्व बैंक सहायता प्राप्त जन सहभागिता के अन्तर्गत रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु कौशल प्रशिक्षण परियोजना- योजनागत				
(iii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,01.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों का जारी नहीं करने के कारण कम पर दिया गया।				
102- प्रशिक्षु प्रशिक्षण-				
01- प्रशिक्षण - योजनेतर				
मूल	8.21			
		6.37	6.37	..
पुनर्वि०	(-)1.84			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
(ii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
		(₹ लाख में)		

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव तथा मरम्मत-

42- श्रम एवं रोजगार विभाग के रखरखाव पर व्यय-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

योजनेतर				
मूल	0.01			
		2.87	2.87	..
पुनर्वि०	2.86			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.86 लाख का आवर्धन रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2203- तकनीकी शिक्षा-				
105- बहुतकनीकी विद्यालय-				
01- राजकीय बहुतकनीकी विद्यालय -				
योजनागत				
मूल	6,20.00			
		7,85.42	7,85.42	..
पुनर्वि०	1,65.42			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.42 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने तथा कच्चे माल की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद और संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।				
112- इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय				
तथा संस्थान-				
01- राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय-				
योजनागत				
मूल	8,20.00			
		8,50.71	8,50.71	..
पुनर्वि०	30.71			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.71 लाख का आवर्धन कच्चे माल की अधिक खरीद, मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान, विद्युत जल एवं दूरभाष बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि उपकरणों की कम खरीद और संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।				
2230- श्रम रोजगार तथा कौशल विकास-				
02- रोजगार सेवाएं-				
101- रोजगार सेवाएं-				
04- आदर्श जीविका केन्द्र-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
पूरक	0.03			
		21.51	21.51	..
पुनर्वि०	21.48			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 -(समाप्त)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.48 लाख का आवर्धन आदर्श जीविका केन्द्र के निर्माण, बाह्य स्रोत कर्मचारियों की अधिक तैनाती तथा विद्युत, जल एवं दूरभाष बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- प्रशिक्षण-

003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

05- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-
योजनागत

मूल 7,60.00

9,93.08

9,93.08

..

पुनर्वि0 2,33.08

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,33.08 लाख का आवर्धन मुख्यतः बकाया मंहगाई भत्ते के भुगतान, मशीनरी उपकरणों एवं कच्चे माल की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती और संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4202- शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति

पर पूँजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

104- बहुतकनीकी विद्यालय-

01- भवन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 2,86.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)2,86.00

02- महिला छात्रावासों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 1,88.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1,88.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4,74.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों को जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलपूर्ति तथा सफाई, 2217- शहरी विकास, 3054- सड़क तथा सेतु, 4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,61,42,31			
		5,81,73,21	5,39,98,29	(-)41,74,92
पूरक	3,20,30,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
				41,74,75
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	23,83,00			
		24,83,00	24,82,91	(-)9
पूरक	1,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
				9

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 41,74.92 लाख के अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 3,20,30.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 28-(क्रमशः)

001- निदेशन तथा प्रशासन
01- शहरी स्थानीय निकाय

योजनेतर

मूल	3,07.78			
		2,24.10	2,24.01	(-)0.09
पुनर्वि०	(-)83.68			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और विद्युत, जल एवं दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- निदेशालय नगर एवं ग्राम योजना संगठन-

योजनेतर-

मूल	13,48.15			
		10,61.68	10,61.61	(-)0.07
पुनर्वि०	(-)2,86.47			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,86.47 लाख की कमी पुरानी पद्धति के अनुसार मार्च माह का वेतन उसी माह में न देने के कारण हुई।

191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास
प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्ड
इत्यादि को सहायता-

04- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	2,42.40			
	
पुनर्वि०	(-)2,42.40			

योजनागत

(ii) मूल	27.00			
	
पुनर्वि०	(-)27.00			

47- स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 28-(क्रमशः)

योजनागत					
(iii)	मूल	2,52.50			
		
	पुनर्वि०	(-)2,52.50			
योजनागत					
(iv)	मूल	28.00			
		
	पुनर्वि०	(-)28.00			
48- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजनागत					
(v)	मूल	33,66.00			
			10,70.00	10,70.00	..
	पुनर्वि०	(-)22,96.00			
योजनागत					
(vi)	मूल	3,73.00			
			76.67	76.67	..
	पुनर्वि०	(-)2,96.33			
50- सभी के लिए आवास सरदार पटेल शहरी आवास योजना - केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजनागत					
(vii)	मूल	1,73.00			
			49.77	49.77	..
	पुनर्वि०	(-)1,23.23			
योजनागत					
(viii)	मूल	19.00			
			3.89	3.89	..
	पुनर्वि०	(-)15.11			

उपरोक्त आठ मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32,80.57 लाख की कमी भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुई

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28-(क्रमशः)

जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 3,56.23 लाख, क्रम संख्या (iii) और (iv) में ₹ 59,10.36 लाख और क्रम संख्या (v) और (vi) में ₹ 1,20,59.96 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

51- पार्किंग का निर्माण-

योजनेतर

(i) मूल	4,00.00			
		10.00	10.00	..
पुनर्वि०	(-)3,90.00			

52- बच्चों के पार्को का विकास-

योजनेतर

(ii) मूल	4,00.00			
		2,70.00	2,70.00	..
पुनर्वि०	(-)1,30.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,20.00 लाख की कमी शिमला और धर्मशाला नगर निगमों से कोई मांग न प्राप्त होने के कारण हुई।

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-

01- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर व्यय-

योजनेतर

मूल	58,96.10			
		56,43.72	56,43.72	..
पुनर्वि०	(-)2,52.39			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.39 लाख की कमी जनसंख्या मापदण्डों के आधार पर राज्य वित्त आयोग के द्वारा निधियों के कम आबंटन के कारण हुआ।

04- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	5,65,59			
		2,19.95	2,19.95	..
पुनर्वि०	(-)3,45.64			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,45.64 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से कम हिस्सा प्राप्त होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 28-(क्रमशः)

योजनागत

मूल	62.99			
		24.44	24.44	..
पुनर्वि०	(-)38.55			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.55 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त कम केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य सरकार की कम हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुई।

12- सृजल/उन्नयन के लिए विशिष्ट
राज्य वित्त आयोग अवार्ड -

योजनेतर

मूल	2,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)2,00.00			

मार्च 2017 में ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान नई नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सृजन के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया ।

14- केन्द्रीय वित्त आयोग का अवार्ड-

योजनेतर

मूल	20,59.20			
		19,81.87	19,81.87	..
पुनर्वि०	(-)77.33			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77.33 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।

17-अटल कायाकल्प और शहरी
परिवर्तन मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 28-(क्रमशः)

योजनागत

(ii) मूल	1.00
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

- 20- लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी
आजीविका योजना-

योजनेतर

मूल	50.00	30.00	30.00	..
पुनर्वि०	(-)20.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत नगर निगमों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।

- 193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों
अथवा उनके समतुल्य को सहायता-
14- स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	3,03.00	45.22	45.22	..
पुनर्वि०	(-)2,57.78			

योजनागत

(ii) मूल	33.60	4.80	4.80	..
पुनर्वि०	(-)28.80			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,86.58 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में कम राज्य हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुई जबकि भारत सरकार द्वारा ₹ 59,10.36 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 28-(क्रमशः)

17- बच्चों के पार्कों का विकास-

योजनेतर

(i) मूल	2,00.00			
		1,30.00	1,30.00	..
पुनर्वि०	(-)70.00			

18- लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी
आजीविका योजना-

योजनेतर

(ii) मूल	50.00			
		30.00	30.00	..
पुनर्वि०	(-)20.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत नगर पालिकाओं से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2217- शहरी विकास-

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित
विकास -

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-

02- छोटे एवं मध्यम शहरों के विकास हेतु
शहरी आधारिक संरचना विकास योजना-

योजनागत

पूरक	8,65.43			
		10,38.40	10,38.40	..
पुनर्वि०	1,72.97			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,72.97 लाख का आवर्धन जल एवं मल निकासी योजना के कार्यान्वयन लिए भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में अधिक राज्य हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों
या उनके समतुल्य को सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 28-(क्रमशः)

02- छोटे एवं मध्यम शहरों के विकास हेतु
शहरी आधारित संरचना विकास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) पूरक	0.01			
		1,79.17	1,79.17	..
पुनर्वि०	1,79.16			

योजनागत

(ii) पूरक	0.01			
		19.91	19.91	..
पुनर्वि०	19.90			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.06 लाख का आवर्धन रिवाल्सर नगर पंचायत के लिए सड़कों का उन्नयन तथा नालों की तटीयकरण के लिए केन्द्रीय हिस्से की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

80- सामान्य-

191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण
एवं नगर सुधार बोर्ड इत्यादि को सहायता-

01- राज्य वित्त अयोग अवार्ड -

योजनेतर

मूल	30,20.85			
		31,12.83	31,12.83	..
पुनर्वि०	91.98			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.98 लाख का आवर्धन जनसंख्या मापदण्डों के आधार पर राज्य वित्त आयोग द्वारा निधियों के अधिक आबंटन के कारण हुआ।

42- नगर निगम को विविध अनुदान-

योजनेतर

पुनर्वि०	14.85	14.85	14.85	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 14.85 लाख का आवर्धन अधिक प्रसंस्करण शुल्क जारी करने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 28-(क्रमशः)

किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था तथा हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

- 53- लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी
आजीविका योजना-

योजनेतर

मूल	50.00			
		60.00	60.00	..

पुनर्वि०	10.00			
----------	-------	--	--	--

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 10.00 लाख का आवर्धन शिमला और धर्मशाला नगर निगमों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

- 192- नगरपालिका/नगर परिषदों को सहायता-
15- पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए नगरपालिकाओं को अनुदान-

योजनेतर

पूरक	4,00.00			
		7,27.50	7,27.50	..

पुनर्वि०	3,27.50			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,27.50 लाख का आवर्धन पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए नगर पालिकाओं से अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।

- 16- स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-

योजनागत

(i) मूल	50.40			
		67.78	67.78	..

पुनर्वि०	17.38			
----------	-------	--	--	--

- 18- सरदार पटेल शहरी आवास योजना
के अन्तर्गत सभी के लिए आवास-
योजनागत

(ii) मूल	56.00			
		1,43.90	1,43.90	..

पुनर्वि०	87.90			
----------	-------	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28-(समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.28 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त अधिक केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से का अधिक जारी होने के कारण हुआ।

19- बच्चों के पार्कों का विकास-

योजनेतर

मूल	4,00.00			
		5,30.00	5,30.00	..
पुनर्वि०	1,30.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.00 लाख का आवर्धन बच्चों के पार्कों के निर्माण के लिए नगर पालिकाओं से अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों

अथवा उनके समतुल्य को सहायता-

01- राज्य वित्त आयोग अवार्ड-

योजनेतर

मूल	10,24.41			
		11,88.52	11,88.52	..
पुनर्वि०	1,64.11			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.11 लाख का आवर्धन जनसंख्या मापदण्डों के आधार पर राज्य वित्त आयोग द्वारा निधियों के अधिक आबंटन के कारण हुआ।

13- केन्द्रीय वित्त आयोग अवार्ड-

योजनेतर

मूल	3,57.77			
		4,47.43	4,47.43	..
पुनर्वि०	89.66			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.66 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 -वित्त

(शीर्ष- 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2049- ब्याज अदायगियां, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	42,81,54,78			
		42,81,54,86	41,83,84,76	(-)97,70,10
पूरक	8			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,28,07,54
प्रभारित				
मूल	34,00,00,00			
		34,00,00,01	33,58,91,17	(-)41,08,84
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				76,82,33
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,07,50			
		13,02,43	11,51,37	(-)1,51,06
पूरक	94,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				96,53

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

प्रभारित

मूल	22,28,52,18			
		33,88,91,67	39,42,83,95	+53,92,28
पूरक	16,60,39,49			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2017)

2,00,45

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 53,92,28,497 के आधिक्य का नियमन आपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 97,70.10 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में ₹ 1,28,07.54 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,51.06 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 94.93 लाख का अनूपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 96.53 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई :-
- | | | | |
|-------|------------|---------------|-----------------------|
| शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
| | | | (₹ लाख में) |

2047- अन्य राजकोषी सेवाए-

103- लघु बचत का संवर्धन-

01- लघु बचत संगठन-

योजनेतर

मूल	78.95			
		58.12	58.12	..
पुनर्वि0	(-)20.83			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-

01- मुख्यालय संगठन-

योजनेतर

मूल	6,82.22			
		6,64.31	6,67.56	+3.25
पुनर्वि०	(-)17.91			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.91 लाख की कमी मुख्यतः नेशनल सिक्क्योरिटिस डिपोस्टरी लिमिटेड से सेवा शुल्क बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि संगणक ऑपरेटर्स के नए पदों के सर्जन और महंगाई भते में वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसुतुलित हुई।

097- खजाना स्थापना-

01- जिला कोष तथा उप-कोषागार-

योजनेतर

मूल	32,48.21			
		22,03.74	22,02.19	(-)1.55
पुनर्वि०	(-)10,44.47			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,44.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

098- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-

01- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन-

योजनेतर

मूल	9,12.57			
		6,80.19	6,80.19	..
पुनर्वि०	(-)2,32.38			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,32.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि कर्मचारी वर्ग के लिए लैपटॉपों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ-

01- नागरिक-

102- पेंशन का संराशिकृत मूल्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

02- 1.11.1966 से देय राशि-

योजनेतर

मूल	3,64,42,58			
		2,58,00.90	2,54,54.46	(-)3,46.44
पुनर्वि०	(-)1,06,41.68			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,06,41.68 लाख की कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।

₹ 3,46,44 लाख की अन्तिम बचत पुर्वानुमान की तुलना में कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

104- उपदान-

02- 1.11.1966 से देय उपदान-

योजनेतर

मूल	5,81,59.78			
		4,45,95.59	4,49,17.85	+3,22.26
पुनर्वि०	(-)1,35,64.19			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,35,64.19 लाख की कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।

₹ 3,22.26 लाख का अन्तिम आधिक्य पुर्वानुमान तुलना में अधिक मामले प्राप्त होने के कारण हुआ।

105- परिवार पेंशन-

01- 1.11.1966 से पूर्व देय राशि-

योजनेतर

(i) मूल	9,70.69			
		9,26.11	8,97.96	(-)28.15
पुनर्वि०	(-)44.58			

02- 1.11.1966 से देय राशि-

योजनेतर

(ii) मूल	6,10,39.42			
		5,88,33.33	5,71,22.92	(-)17,10.41
पुनर्वि०	(-)22,06.09			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22,50.67 लाख की कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 17,38.56 लाख की अन्तिम बचत पुर्वानुमान उम्मीद की तुलना में कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।

115- छुट्टी नकदीकरण हितलाभ-

01- अवकाश नकदीकरण

योजनेतर

मूल 3,37,74,13

4,10,00.00 3,36,67.46 (-)73,32.54

पुनर्वि० 72,25.87

₹ 73,32.54 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72,25.87 लाख का आवर्धन वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 73,32.54 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण -

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-

05- वावलंबन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु अंशदान -

योजनेतर

मूल 10,00.00

1,02.94 1,02.94 ..

पुनर्वि० (-)8,97.06

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,97.06 लाख की कमी योग्य अंशदाताओं के उपलब्ध न होने के कारण हुई।

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा

सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-

01- मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग-

योजनेतर

(i) मूल 9,86,46

7,79.73 7,79.28 (-)0.45

पुनर्वि० (-)2,06.73

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

02- मशीन/ कैलकुलेटर सारणीकरण
ईकाई की स्थापना-
योजनेतर

(ii) मूल	35.24			
		14.13	14.11	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)21.11			

03- राज्य आय अनुमान इकाईयों के सुधार की स्थापना-
योजनेतर

(iii) मूल	22.94			
		17.56	17.56	..
पुनर्वि०	(-)5.38			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,33.22 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-
04- विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत
वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

योजनागत

मूल	1,00.00			
पूरक	0.04	12,31.99	12,28.80	(-)3.19
पुनर्वि०	11,31.95			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,31.95 लाख का आवर्धन स्टेट डेटा सेन्टर के अन्तर्गत स्टोरेज एरिया नेटवर्क पर और कार्य के निष्पादन के लिए व्यवसायिक और विशेष सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -

- 105- विशेष जाँच आयोग-
02- राज्य वित्त आयोग-

योजनेतर

मूल	43.48			
पूरक	0.03	60.31	60.31	..
पुनर्वि०	16.80			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.80 लाख का आवर्धन वेतन और महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ-

- 01- नागरिक -
101- अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते-
03- 1.11.1966 से अधिवर्षिता-

योजनेतर

मूल	21,45,11.60	21,45,11.60	22,65,34.31	+1,20,22.71
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₹ 1,20,22.71 लाख का अन्तिम आधिक्य पूर्वानुमान की तुलना में पेंशन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 111- विधायकों को पेंशन-
01- राज्य के विधायक-

योजनेतर

मूल	9,35.09			
		17,72.56	18,63.37	+90.81
पूरक	8,37.47			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,37.47 लाख का आवर्धन राज्य के वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

₹ 90.81 लाख का अन्तिम आधिक्य पूर्वानुमान की तुलना में पेंशन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान-
01- अंशदायी पेंशन योजना-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मूल	1,41,66.71			
		2,09,37.26	2,09,58.42	+21.16
पुनर्वि०	67,70.55			

₹ 21.16 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67,70.55 लाख का आवर्धन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की वृद्धि के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 21.16 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-

091- संलग्न कार्यालय-

01- वित्त और सार्वजनिक उद्यम संस्थान निदेशालय -

योजनेतर

मूल	10,00.00			
पूरक	0.01	11,11.16	11,11.16	..
पुनर्वि०	1,11.15			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.15 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान और अधिवक्ताओं को अधिक सेवा शुल्क भुगतान के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2049- ब्याज अदायगियां-

01- आँतरिक ऋणों पर ब्याज-

101- बाजारी ऋणों पर ब्याज-

17- 8.91 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022-

योजनेतर

(i) मूल	38,31.30	38,31.30	36,97.65	(-)1,33.65
---------	----------	----------	----------	------------

55- 7.62 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2023-

योजनेतर

(ii) मूल	45,72.00	45,72.00	41,93.05	(-)3,78.95
----------	----------	----------	----------	------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

04- 9.75 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश
राज्य विकास ऋण 2023-
योजनेतर

(iii) मूल 17,06.25 17,06.25 8,53.13 (-)8,53.12

68- 9.63 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश
राज्य विकास ऋण 2024-
योजनेतर

(iv) मूल 52,96.50 52,96.50 36,87.00 (-)16,09.50

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 29,75.22 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

76- 8.13 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश
राज्य विकास ऋण 2024-
योजनेतर

मूल 24,39.00

..

पुनर्वि० (-)24,39.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,39.00 लाख का समस्त विनियोजन गलती से बजट इस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत रखने के कारण कम कर दिया गया।

89- प्रतिशत हिमाचल प्रदेश
राज्य विकास ऋण-
योजनेतर

मूल 1,30,96.65

..

पुनर्वि० (-)1,30,96.65

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,30,96.65 लाख का समस्त विनियोजन जोकि नए बाजार ऋण उठाने हेतु किया गया था परन्तु इस तरह का कोई ऋण नहीं उठाए जाने के कारण कम कर दिया गया। 2010-11 से ऐसा बजट प्रावधान किया जा रहा है।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-
07- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
से लिए गए ऋणों पर ब्याज-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	1,50.00.00			
		1,40,24.19	1,40,23.81	(-)0.38

पुनर्वि० (-)9,75.81

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 9,75.81 लाख की कमी ऋणों पर ब्याज दरों में बदलाव के कारण हुई।

- 15- हिमाचल शहरी विकास निगम से
लिए गए ऋणों पर ब्याज-

योजनेतर

मूल	2,46.00			
		2,17.60	2,17.60	..

पुनर्वि० (-)28.40

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 28.40 लाख की कमी हिमाचल शहरी विकास निगम से लिए ऋणों पर ब्याज दरों में कमी के कारण हुई।

03- अल्प बचतों भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-

- 108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-

01- हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-

योजनेतर

मूल	22,55.25			
		22,75.25	18,78.65	(-)3,96.60

पुनर्वि० 20.00

₹ 3,96.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 20.00 लाख का आवर्धन ब्याज भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 3,96.60 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2017)।

04- केन्द्र सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज-

- 109- 12 वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के संचित राज्य
ऋणों पर ब्याज-

01- बारहवीं वित्त आयोग की सिफारिशों पर समेकत
ऋणों पर ब्याज-

योजनेतर

मूल	28,77.62			
		28,04.13	28,11.64	+7.51

पुनर्वि० (-)73.49

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 73.49 लाख की कमी सूची के अनुसार ब्याज भुगतान के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2049- ब्याज अदायगियां-			
01- आंतरिक ऋणों पर ब्याज-			
101- बाजार ऋणों पर ब्याज-			
05- 8.38 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2020- योजनेतर			
(i) मूल	51,95.60	51,95.60	60,48.73
+8,53.13			
16- 8.87 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022- योजनेतर			
(ii) मूल	38,14.10	38,14.10	41,93.05
+3,78.95			
19- 8.91 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022- योजनेतर			
(iii) मूल	17,82.00	17,82.00	19,15.65
+1,33.65			
24- 8.31 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017- योजनेतर			
(iv) मूल	20,77.50	20,77.50	36,87.00
+16,09.50			

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 29,75.23 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

36- 8.13 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश
राज्य विकास ऋण 2025-
योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

पूरक	0.01		24,39.00	24,39.00	..
------	------	--	----------	----------	----

पुनर्वि० 24,38.99

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 24,38.99 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

116- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज-

01- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज -

योजनेतर

मूल	40.00		15,28.14	16,16.66	+88.52
पुनर्वि०	14,88.14				

₹ 88.52 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 14,88.14 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 88.52 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

123- केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ -

01- केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज-

योजनेतर

मूल	7,00,00.00		7,30,32.11	7,51,70.16	+21,38.05
पुनर्वि०	30,32.11				

₹ 21,38.05 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन में ₹ 30,32.11 लाख का आवर्धन ब्याज सूची के अनुसार ब्याज के भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 21,38.05 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-

01- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	7,82.91	7,82.91	7,99.32	(+) 16.41
-----	---------	---------	---------	------------------

₹ 16.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

05- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

योजनेतर

मूल	6,26.80			
		9,38.88	9,38.87	(-) 0.01

पुनर्वि०	3,12.08			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3,12.08 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

08- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिकर्ष-

योजनेतर

मूल	1.00			
		1,00.00	99.98	(-) 0.02

पुनर्वि०	99.00			
----------	-------	--	--	--

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 99.00 लाख का आवर्धन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिकर्ष पर ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

305- ऋण प्रबंधन-

01- ऋण प्रबंधन-

योजनेतर

मूल	3,00.00			
		3,60.24	3,70.21	+ 9.97

पुनर्वि०	60.24			
----------	-------	--	--	--

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60.24 लाख का आवर्धन ऋण प्रबंधन पर ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज -

01- सामान्य भविष्य निधि-

योजनेतर

मूल	8,50,00.00			
		8,60,00.00	8,76,90.72	+ 16,90.72

पुनर्वि०	10,00.00			
----------	----------	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख का आवर्धन राज्य सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

₹ 16,90.72 लाख का अन्तिम आधिक्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि और उस पर ब्याज की नीति के प्रतिधारण के कारण हुआ।

04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों और
अग्रिमों पर ब्याज-

101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजनागत योजनाओं
के लिए ऋणों पर ब्याज-

01- खण्ड विकास ऋण पर ब्याज-
योजनेतर

मूल 50,55.45

55,50.91

55,50.91

..

पुनर्वि० 4,95.46

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4,95.46 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -

201- भवन निर्माण अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को
गृह निर्माण अग्रिम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक 1.80

1.80

..

(-)1.80

₹ 1.80 लाख की अन्तिम बचत जोकि अनुपूरक अनुदान के द्वारा प्राप्त की गयी थी, के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

योजनागत

मूल 6,00.00

2,48.34

2,15.31

(-)33.03

पुनर्वि० (-)3,51.66

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

₹ 33.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.66 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.03 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017) ।

- 03- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/लोकायुक्त/प्रशासनिक न्यायाधिकरण सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों के लिए अग्रिम--

योजनेतर

मूल	7.50			
		..	5.22	+5.22
पुनर्वि०	(-)7.50			

₹ 5.22 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.50 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 5.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 800- अन्य अग्रिम-

- 04- शिक्षा ऋण-

योजनेतर

मूल	3,00.00			
		15.75	16.50	+0.75
पुनर्वि०	(-) 2,84.25			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,84.25 लाख की कमी ऋण शिक्षा ऋण मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- (ix) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

- 4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- कार्यालय भवन-

- 05- सामान्य पूल आवास का निर्माण-

- 34- विश्व बैंक समर्थित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत काषागार भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

योजनागत

पूरक	93.12			
		6,00.00	6,00.00	..
पुनर्वि०	5,06.88			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,06.88 लाख का आवर्धन मुख्य कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -

201- भवन निर्माण अग्रिम-

02- मन्त्रियों/उप मन्त्रियों तथा राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों को अग्रिम-

योजनेतर

मूल	50.00			
		93.12	63.12	(-)30.00
पुनर्वि०	43.12			

₹ 30.00 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.12 लाख का आवर्धन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

202- मोटर वाहन को क्रय करने के लिए अग्रिम-

03- मन्त्रियों/उप मंत्री एवं राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों को मोटर कार हेतु अग्रिम-

योजनेतर

मूल	20.00			
		16.88	21.22	+4.34
पुनर्वि०	(-)3.12			

₹ 4.34 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में प्रावधान में ₹ 3.12 लाख की कमी ऋण मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई हई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 4.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

(x) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

02- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

योजनेतर

मूल	9,00.00			
पूरक	52.41	26,28.12	26,28.11	(-)0.01
पुनर्वि०	16,75.71			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 16,75.71 लाख का आवर्धन ऋण को चुकाने के कारण हुआ।

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-

01- भारतीय रिजर्व बैंक से साधारण आर्थोपाय तथा ओवर ड्राफ्ट अधिविकरण-

योजनेतर

मूल	1.00			
		16,14,80.00	16,70,72.00	+55,92.00
पूरक	16,14,79.00			

₹ 55,92.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

(xi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण-

01- भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण--

योजनेतर

मूल	38,83.02			
		23,58.10	23,58.10	..
पुनर्वि०	(-) 15,24.92			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 15,24.92 लाख की कमी कम ऋण चुकाने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (समाप्त)

106- प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र-

01- राज्य सरकार के कर रहित
विशेष बंधन पत्र (विद्युत बंधन पत्र)-

योजनेतर

मूल 3,51.24

पुनर्वि० (-)3,51.24

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,51.24 लाख का समस्त प्रावधान ऋण न चुकाने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30- विविध सामान्य सेवाएं

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	84,57,34		
	97,29,38	84,28,92	(-)13,00,46
पूरक	12,72,04		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			7,99,66
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	34,59,00		
	65,43,66	64,88,13	(-)55,53
पूरक	30,84,66		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			55,53

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 13,00.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 12,72.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 7,99.66 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 55.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 30,84.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30-(क्रमशः)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

003- प्रशिक्षण-

03- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान-

योजनेतर

मूल 5,17.06

3,66.03

3,65.51

(-)0.52

पुनर्वि0 (-)1,51.03

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,51.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद, सम्पत्ति कर बिलों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

118- नागरिकता अधिनियम का प्रशासन-

01- राज्य सूचना आयोग पर व्यय-

योजनेतर

मूल 2,18.26

1,53.35

1,53.35

...

पुनर्वि0 (-)64.91

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और पेट्रोल, तेल एवं मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई ।

2202- सामान्य शिक्षा-

05- भाषा विकास-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

(i) मूल 4,66.40

3,05.94

3,05.54

(-) 0.40

पुनर्वि0 (-)1,60.46

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन -

01- हिंदी का विकास -

योजनेतर

(ii) मूल 62.64

46.30

46.27

(-) 0.03

पुनर्वि0 (-)16.34

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30-(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2204- खेल एवं युवा सेवाएं -

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय -

योजनेतर

मूल 9,91.51

9,20.15

9,20.13

(-) 0.02

पुनर्वि० (-)71.36

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, खेलकूद छात्रावास के अन्तर्गत खेल गतिविधियों में खिलाड़ियों की रिक्त सीटों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के अन्तर्गत व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 1,78.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,78.00

योजनागत

(ii) मूल 20.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)20.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,98.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

101- शारीरिक शिक्षा-

01- शारीरिक शिक्षा योजना -

योजनेतर

(i) मूल 87.85

73.35

73.34

(-)0.01

पुनर्वि० (-)14.50

104- खेलकूद-

01 - पर्वतारोहण संस्थान तथा सम्बद्ध खेल-मनाली-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30-(क्रमशः)

योजनेतर

(ii) मूल	4,44.51			
		3,54.91	3,54.91	..
पुनर्वि०	(-)89.60			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

- 02- राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को
सहायता अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	98.00			
	
पुनर्वि०	(-)98.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 98.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा राजकीय योजना/निधियों के पैटर्न में परिवर्तन किये जाने के कारण हुआ।

योजनागत

मूल	33.00			
		19.99	19.99	..
पुनर्वि०	(-)13.01			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.01 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण हुई।

2205- कला एवं संस्कृति-

- 102- कला तथा संस्कृति का संवर्धन-
07- वृत्तचित्र कलाकारों को वित्तीय सहायता-

योजनेतर

मूल	20.00			
	
पुनर्वि०	(-)20.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 103- पुरातत्व विज्ञान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30-(क्रमशः)

01- प्राचीन कला और कला भू-निधि अधिनियम
1972 के क्रियाकरण पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

(i)	मूल	21.27			
			14.26	14.23	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)7.01			

104- अभिलेखागार-
01- राजकीय अभिलेखागार की स्थापना -
योजनेतर

(ii)	मूल	99.70			
			65.73	65.71	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)33.97			

107- संग्रहालय-
01- हिमाचल राजकीय संग्रहालय-
योजनेतर

(iii)	मूल	2,27.15			
			1,78.21	1,77.95	(-)0.26
	पुनर्वि०	(-)48.94			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 89.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2220- सूचना तथा प्रचार-

01- फिल्म-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनेतर

मूल	6,03.00				
			4,71.85	4,71.86	+0.01
पुनर्वि०	(-)1,31.15				

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,31.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि गिरीराज कैलेंडर के प्रकाशन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- जिला स्थापना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30-(क्रमशः)

योजनेतर

मूल	7,09.54			
		6,04.23	6,04.23	..
पुनर्वि०	(-)1,05.31			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन दर में हुई वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

105- फिल्मों का निर्माण-

- 01- इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का उत्पादन और प्रसार-

योजनेतर

मूल	1,90.51			
		1,61.94	1,61.93	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)28.57			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर हुए कम व्यय के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

- 110- अन्य बीमा योजनाएं -

03- प्रैस संवादाताओं के लिए दुर्घटना समूह बीमा योजना -

योजनेतर

मूल	5.00			
		0.80	0.80	..
पुनर्वि०	(-)4.20			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.20 लाख की कमी दुर्घटना समूह बीमा योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-

103- पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रख-रखाव-

- 01- मन्दिरों का प्रबन्धन-

योजनेतर

मूल	1,66.84			
		85.59	86.45	+0.86
पुनर्वि.	(-)81.25			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.25 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30-(क्रमशः)

02- मंदिरों की आवृत्ति निधि हेतु
सहायता अनुदान -

योजनेतर

मूल	5,00.00	5,00.00	..	(-)5,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2059- लोक निर्माण कार्य -

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

23- जनसंपर्क विभाग के भवनों के
रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल	0.01			
		28.00	28.00	..
पुनर्वि०	27.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.99 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2204- खेल एवं युवा सेवाएं -

800- अन्य व्यय-

04- हिमाचल क्रिडा परिषद-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1.00			
पूरक	1,02.00	3,00.00	3,00.00	..
पुनर्वि०	1,97.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.00 लाख का आवर्धन लूहनू जिला बिलासपुर में खेल धावक पथ (ट्रैक) के निमाण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30-(क्रमशः)

2205- कला एवं संस्कृति-

102- कला तथा संस्कृति का संवर्धन -

01- हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति और भाषा
अकादमी को सहायता अनुदान-**योजनेतर**

मूल	1,35.57			
		1,65.57	1,65.57	..
पुनर्वि०	30.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन अकादमी कर्मचारी वर्ग के वेतन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

05- अन्य संस्थानों को सहायता -

योजनेतर

मूल	8.95			
		21.95	21.95	..
पुनर्वि०	13.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.00 लाख का आवर्धन संस्थानों को अधिक सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

101- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार-

01- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार-
पर व्यय-**योजनेतर**

मूल	11,66.87			
पूरक	9,54.95	23,60.43	23,60.41	(-)0.02
पुनर्वि०	2,38.61			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,38.61 लाख का आवर्धन सरकार की विज्ञापन एवं प्रचार नीतियों और पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

102- सूचना केन्द्र-

01- प्रैस सूचना बैंक सेवाओं पर व्यय-

योजनेतर

मूल	2,47.70			
		2,86.71	2,86.70	(-)0.01
पुनर्वि०	39.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30-(समाप्त)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.01 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद, कर्मचारियों को बकाया मंहगाई भत्ते के भुगतान और दूरभाष, जल तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

101- भवन-

01- लोक निर्माण-कार्य -

योजनागत

मूल 33.00

26.36

26.36

..

पुनर्वि० (-)6.64

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.64 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

02- प्रेस क्लब भवन का निर्माण-

योजनेतर

मूल 1,00.00

51.11

51.11

..

पुनर्वि० (-)48.89

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.89 लाख की कमी प्रेस क्लब के लिए भूमि को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31-जनजातीय विकास

(शीर्ष 2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि- कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- डेरी विकास, 2405- मछली पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2408- खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2801-बिजली, 2810- नई तथा नवीकरण उर्जा, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3053- नागर विमानन, 3054- सड़क तथा पुल, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- सिविल पूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

कुल अनुदान

वास्तविक
व्ययआधिक्य (+)
बचत (-)

(₹ हजार में)

राजस्व प्रवर्ग

दत्तमत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मूल	10,33,36,85			
		10,33,37,52	8,55,52,13	(-)1,77,85,39
पूरक	67			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017) 1,90,65,76

पूँजीगत प्रवर्ग
दत्तमत

मूल	2,73,82,10			
		2,73,82,16	2,52,93,98	(-)20,88,18
पूरक	6			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017) 20,64,15

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,77,85.39 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,90,65.76 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) पूँजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,88.18 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से ₹ 20,64.15 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2014- न्याय प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सिविल तथा सत्र न्यायलय पर व्यय-
योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

मूल	2,12.41			
		1,64.34	1,64.34	..
पुनर्वि०	(-)48.07			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.07 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- अन्य कानून अधिकारियों पर व्यय-
योजनेतर

मूल	69.59			
		59.51	59.51	..
पुनर्वि०	(-)10.08			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.08 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दूरभाष, जल प्रभार और विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

2029- भू-राजस्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
01- जिला स्थापना पर व्यय-
योजनेतर

मूल	4,64,53			
		4,00.80	3,74.94	(-)25.86
पुनर्वि०	(-)63.73			

₹ 25.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.73 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, जल प्रभार और विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 25.86 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

03- प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण भू-अभिलेख अभिकरणों
का सुदृढीकरण (जिला प्रभार)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

मूल	18.00			
		13.92	13.91	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)4.08			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.08 लाख की कमी दूरभाष, जल प्रभारों

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

योजनेतर

मूल	1,50.42			
		93.75	85.53	(-)8.22
पुनर्वि०	(-)56.67			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.67 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारी वर्ग के कम दौरे करने के कारण हुई।

2030- टिकट तथा पंजीकरण-

03- पंजीकरण

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंजीकरण पर व्यय-

योजनेतर

मूल	6.75			
		3.46	1.77	(-)1.69
पुनर्वि०	(-)3.29			

₹ 1.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.29 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	10,52.25			
		7,90.54	8,51.96	+61.42
पुनर्वि०	(-)2,61.71			

₹ 61.42 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,61.71 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दूरभाष, जल प्रभाषों एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद और दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई, अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 61.42 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- उप-मण्डलों की स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,23.12			
		96.91	82.21	(-)14.70
पुनर्वि०	(-)26.21			

₹ 14.70 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.21 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 14.70 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जलाई 2017)।

03- कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति पर व्यय (विशेष केन्द्रीय सहायता)-

योजनेतर

मूल	2,06.49			
		1,37.24	1,37.23	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)69.25			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.25 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दूरभाष, जल प्रभार और विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

05- निवासी आयुक्त, पांगी के कार्यालय पर व्यय-

योजनेतर

मूल	44.59			
		19.81	19.81	..
पुनर्वि०	(-)24.78			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.78 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

12- अतिरिक्त उपायुक्त, काजा के कार्यालय पर व्यय-

योजनेतर

मूल	11.25			
		2.67	2.66	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)8.58			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.58 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और दूरभाष, जल प्रभारों एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

**13- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरमौर-
योजनेतर**

मूल	18.76			
		11.50	10.82	(-)0.68
पुनर्वि०	(-)7.26			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.26 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

**01- जिला कोषागार तथा उप-कोषागार स्थापना
पर व्यय-**

योजनेतर

मूल	3,76.96			
		2,52.89	2,38.78	(-)14.11
पुनर्वि०	(-)1,24.07			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24.07 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- सुरक्षा सम्बंधित योजना

योजनेतर

मूल	38.68			
		30.14	30.13	(-) 0.01
पुनर्वि०	(-)8.54			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.54 लाख की कमी मुख्यतः मानदेय पर कम व्यय करने के कारण हुई।

2056- जेल-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जेल स्थापना पर व्यय

योजनेतर

मूल	5.96			
		0.11	0.11	..
पुनर्वि०	(-)5.85			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.85 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- नए औजारों तथा संयन्त्रों की आपूर्ति पर व्यय-

योजनेतर

(i) मूल	13.54	13.54	9.63	(-)3.91
---------	-------	-------	------	---------

11- वसुलियों के समायोजन हेतु

रखरखाव का प्रावधान-

योजनेतर

(ii) मूल	8,87.69	8,87.69	7,73.49	(-)1,14.20
----------	---------	---------	---------	------------

13- स्वास्थ्य विभाग के भवनों का रखरखाव

योजनागत

(iii) मूल	18.00	18.00	12.10	(-)5.90
-----------	-------	-------	-------	---------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,24.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम सम्बंधी स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	6,46.02			
		4,88.01	4,46.69	(-)41.32

पुनर्वि0 (-)1,58.01

₹ 41.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,58.01 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 41.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारी

कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनेतर

मूल	11,11.69			
		7,70.17	7,69.88	(-)0.29

पुनर्वि० (-)3,41.52

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,41.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- प्राथमिक/माध्यमिक पाठशालाओं का रखरखाव-

योजनागत

मूल	99.00			
		64.00	63.99	(-)0.01

पुनर्वि० (-)35.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की कमी प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

2062- सतर्कता-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-

योजनेतर

मूल	1,89.86			
पूरक	0.01	1,33.90	1,33.90	..
पुनर्वि०	(-)55.97			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.97 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय एवं कर्मचारियों पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,86.20			
पूरक	0.01	83.32	83.32	..
पुनर्वि०	(-)1,02.89			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,02.89 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तथा कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

योजनेतर

मूल	4,06.53			
		2,97.35	2,97.34	(-) 0.01
पुनर्वि०	(-)1,09.18			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.18 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

09- प्राथमिक शिक्षा पर व्यय-

योजनागत

मूल	4.35			
		2.78	2.78	..
पुनर्वि०	(-)1.57			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.57 लाख की कमी छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति पर कम व्यय के कारण हुई।

10- अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनुदान-

योजनागत

मूल	5,04.00			
		1,87.20	1,87.20	..
पुनर्वि०	(-)3,16.80			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,16.80 लाख की अत्याधिक कमी रिक्त पदों को न भरने एवं अभिभावक शिक्षक संघ के लिए सहायता अनुदान कम जारी करने के कारण हुई।

11- गर्म सुपाच्य भोजन-मध्याह्न भोजन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	9,01.00			
पूरक	0.02	4,00.76	4,00.76	..
पुनर्वि०	(-) 5,00.26			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,00.26 लाख की अत्याधिक कमी विभिन्न सामग्रियों की कम खरीद, खेल प्रतियोगिताओं के कम आयोजन, कर्मचारी वर्ग के मानदेय पर कम व्यय और दूरभाष, जल प्रभासों एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 80,28.63 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत				
मूल	46.00			
		33.61	33.61	..
पुनर्वि०	(-)12.39			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.39 लाख की कमी विभिन्न सामग्रियों की कम खरीद तथा कर्मचारी वर्ग के लिये मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई।				
12- सर्व शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(i) मूल	32,40.00			
		7,11.81	7,11.81	..
पुनर्वि०	(-)25,28.19			
योजनागत				
(ii) मूल	3,60.00			
		79.09	79.09	..
पुनर्वि०	(-)2,80.91			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,80.91 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,28,25.46 लाख की अनुदान प्राप्त हुआ।				
19- उर्दू और पंजाबी अध्यापक- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(i) मूल	11.00			
	
पुनर्वि०	(-)11.00			
20- सफाई कर्मचारी वर्ग के छात्रों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(ii) मूल	4.00			
	
पुनर्वि०	(-)4.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएँ पूरी न करने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला शिक्षा अधिकारी एवं कर्मचारी
वर्ग पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,32.03			
		83.62	83.61	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)48.41			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.41 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत
माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय-

योजनेतर

मूल	38,52.30			
		31,61.62	31,61.62	..
पुनर्वि०	(-)6,90.68			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,90.68 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त
उच्च विद्यालयों पर व्यय-

योजनेतर

मूल	44,62.31			
		41,69.29	41,69.07	(-)0.22
पुनर्वि०	(-)2,93.02			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,93.02 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन दर में वृद्धि से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

09- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	16,20.00			
		7,26.81	7,26.81	..
पुनर्वि०	(-)8,93.19			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

(ii) मूल	1,80.00			
		57.56	57.56	..
पुनर्वि०	(-)1,22.44			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,15.63 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी करने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 2,32,79.36 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

12- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की योग्यता के उन्नयन पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	3.00			
	
पुनर्वि०	(-)3.00			

16- माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल	6,75.00			
		3,19.33	3,19.33	..
पुनर्वि०	(-)3,55.67			

योजनागत

(iii) मूल	2,25.00			
		28.37	28.37	..
पुनर्वि०	(-)1,66.63			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,52.30 लाख की कमी माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर व्यय के कारण हुई।

17- शिक्षकों की शिक्षा पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

(i) मूल	1,84.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,84.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

(ii) मूल 61.00

पुनर्वि० (-)61.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.00 लाख का समस्त प्रावधान शिक्षकों की शिक्षा पर व्यय न करने के कारण कम कर दिया गया जबकि भारत सरकार से ₹ 12,72.40 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

18- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

मूल 88.00

पुनर्वि० (-)88.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति पर व्यय न करने के कारण कम कर दिया गया।

19- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

मूल 16.00

पुनर्वि० (-)11.61

4.39 4.39 ..

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.61 लाख की कमी माध्यमिक स्तर पर विकलांग छात्रों की शिक्षा पर कम व्यय के कारण हुई।

22- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए सहायता अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

(i) मूल 2,70.00

पुनर्वि० (-)1,25.05

1,44.95 1,44.95 ..

योजनागत

(ii) मूल 90.00

पुनर्वि० (-)79.80

10.20 10.20 ..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,04.85 लाख की कमी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- डिग्री कॉलेजों पर व्यय-

योजनेतर

मूल	5,66.78			
		5,26.22	5,26.21	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)40.56			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.56 लाख का कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा जल प्रभार एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

08- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

(i) मूल	8,10.00			
		3,78.00	3,78.00	..
पुनर्वि०	(-)4,32.00			

योजनागत

(ii) मूल	90.00			
		42.00	42.00	..
पुनर्वि०	(-)48.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,80.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।

04- प्रौढ़ शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- शैक्षिक कार्यक्रम-

योजनेतर

मूल	0.05			
		0.88	..	(-)0.88
पुनर्वि०	0.83			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 0.88 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 0.83 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 0.88 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

02- साक्षर भारत-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजनागत

मूल 7.00

पुनर्वि० (-)7.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 2.00

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान साक्षर भारत के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर कोई व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

05- भाषा विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- हिंदी के विकास पर व्यय-

योजनेतर

मूल 15.83

पुनर्वि० (-)7.78

8.05 8.03 (-)0.02

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.78 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

मूल 3.50

पुनर्वि० (-)1.28

2.22 2.22 ..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.28 लाख की कमी हिन्दी के विकास योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

80- सामान्य-

796- आदिवासी क्षेत्र उप-योजना-

01- स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण उन्मुखीकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

2203- तकनीकी शिक्षा

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मौजूदा राजकीय बहुतकनीकी कॉलेजों के उन्नयन पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

02- विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत राजकीय
इंजीनियरिंग कॉलेज पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iii) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

04- नई बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iv) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 54.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल	1,05.00			
		74.17	74.16	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)30.83			

मार्च 2017 के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.83 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
04- युवा एवं किशोर विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

- 05- पंचायत युवा क्रीडा खेल अभियान/
राजीव गांधी खेल अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल	24.00			
	
पुनर्वि०	(-)24.00			

उपरोक्त दो मामलों के मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल	2.00			
	
पुनर्वि०	(-)2.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

- 06- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए सहायता अनुदान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 14.00

पुनर्वि० (-)14.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 5.00

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2017 में ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए सहायता अनुदान पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

2205- कला एवं संस्कृति-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 01- सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय-

योजनेतर

मूल 34.74

12.57

12.57

..

पुनर्वि० (-)22.17

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.17 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 02- पुरातत्व कक्ष पर व्यय-

योजनेतर

मूल 47.24

26.34

26.35

+0.01

पुनर्वि० (-) 20.90

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.90 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,49.91			
		1,17.89	1,17.89	+0.01
पुनर्वि०	(-)32.02			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.02 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-

योजनेतर

मूल-	5,58.55			
		3,91.39	3,84.16	(-)7.23
पुनर्वि०	(-)1,67.16			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,67.16 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

योजनागत

(ii) मूल	2,08.00			
		1,62.89	1,62.89	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)45.11			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.11 लाख की कमी मुख्यतः संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

06-	लोक स्वास्थ्य				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	क्षय रोग सर्वेक्षण तथा आवासीय परिचर्या पर व्यय-				
	योजनेतर				
(i)	मूल	8.28			
			4.83	4.83	..
	पुनर्वि०	(-)3.45			
07-	कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर व्यय-				
	योजनेतर				
(ii)	मूल	7.78			
			5.30	5.30	..
	पुनर्वि०	(-)2.48			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.93 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
14-	एड्स नियंत्रण सोसाइटी-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
	मूल	2,04.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2,04.00			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,04.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और एड्स नियंत्रण सोसाइटी के लिए सहायता अनुमान के अन्तर्गत कम व्यय करने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 15,72.23 लाख का अनुमान प्राप्त हुआ।					
2211-	परिवार कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-				
	योजनागत				
	मूल	7.00			
			3.05	3.05	..
	पुनर्वि०	(-)3.95			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.95 लाख की कमी इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना पर कम व्यय के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

- 08- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	25,11.00			
पूरक	0.02	14,32.33	14,32.33	..
पुनर्वि०	(-)10,78.69			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,78.69 लाख की कमी भारत सरकार से सहायता अनुदान कम प्राप्त होने और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पर सहायता अनुदान पर कम व्यय करने के कारण हुई जोकि योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,00,32.92 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल	2,79.00			
		2,09.00	2,09.00	..
पुनर्वि०	(-) 70.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.00 लाख की कमी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत कम व्यय करने के कारण हुई।

- 09- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	2,19.00			
		18.20	18.20	..
पुनर्वि०	(-) 2,00.80			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.80 लाख की कमी भारत सरकार से कम सहायता अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 12,30.75 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

- 10- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	50.00			
	
पुनर्वि०	(-)50.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

09- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-

योजनेतर

मूल	15,73.72	15,73.72	13,37.80	(-)2,35.92
-----	----------	----------	----------	------------

पुनर्वि० (-)15,73.72

₹ 2,35.92 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

11- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	2,27.00			
		52.72	52.30	(-) 0.42

पुनर्वि० (-)1,74.28

योजनागत

(ii) मूल	25.00			
		9.25	9.84	0.59

पुनर्वि० (-)15.75

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,90.03 लाख की कमी राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम योजना के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

02- मल जल तथा सफाई-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मल निकासी योजना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	17.84			
		17.00	6.84	(-)10.16

पुनर्वि० (-)0.84

₹ 10.16 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गाँधी कुटीर योजना/
इंदिरा आवास योजना/प्रधान मंत्री आवास योजना-**योजनागत**

मूल 36.00

..

पुनर्वि0 (-)36.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36.00 लाख का समस्त प्रावधान सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत कोई व्यय न करने के कारण कम कर दिया गया।

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- प्रचार कार्यक्रम पर व्यय-

योजनेतर

मूल 1,21.48

72.58 72.58 ..

पुनर्वि0 (-)48.90

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.90 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजना पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

मूल 11.00

..

पुनर्वि0 (-)11.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए योजना पर कोई व्यय न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजनेतर

मूल	1,79.43			
		97.74	97.77	+0.03
पुनर्वि०	(-)81.69			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.69 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	18.00			
		7.14	7.14	..
पुनर्वि०	(-)10.86			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.86 लाख की कमी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए योजनाओं पर कम व्यय करने के कारण हुई।

08- मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना-
(आश्रम विद्यालय)-

केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	6.00			
	
पुनर्वि०	(-)6.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

2230- श्रम तथा रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्रों पर व्यय-

योजनेतर

(i) मूल	15.49			
		8.97	7.40	(-)1.57
पूरक	(-)6.52			

04- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजनेतर

(ii) मूल	56.51			
		33.95	33.95	..
पूरक	(-)22.56			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.08 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	1,35.00			
		1,15.59	1,15.59	+0.01
पूरक	(-)19.41			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.41 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सामग्री और आपूर्ति, छात्रवृत्ति व शिष्यवृत्ति पर कम व्यय करने के कारण हुई जोकि मशीनरी व उपकरणों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

05- विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत
उत्कृष्टता केंद्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

06- कौशल विकास भत्ता-

योजनेतर

मूल	1,00.00			
		34.36	34.36	..
पुनर्वि०	(-)65.65			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.65 लाख की कमी कौशल विकास भत्ता पर कम व्यय होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

08- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उन्नयन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 1.00

पूरक (-)1.00

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- एकीकृत शिशु रक्षा सेवाओं पर व्यय-

योजनागत

(ii) मूल 2.80

पूरक (-)2.80

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.80 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- एकीकृत बाल विकास योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 17,66.00

6,21.60

6,21.59

(-)0.01

पूरक (-)11,44.40

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,44.40 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, जल प्रभार व विद्युत बिलों, बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कम व्यय, कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती तथा शिशु रक्षा सेवाओं के लिए सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,38,38.43 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

योजनागत

मूल 1,96.00

34.82

34.80

(-)0.02

पुनर्वि0 (-)1,61.18

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,61.18 लाख की कमी मुख्यतः कर्मचारी वर्ग के लिए मानादेय पर कम व्यय, कर्मचारियों की भर्ती न होने तथा दूरभाष, जल प्रभार व विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

08- विधवा पुनर्विवाह पर व्यय-

योजनागत

मूल	4.90			
		2.00	2.00	..
पुनर्वि०	(-)2.90			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.90 लाख की कमी विधवा पुनर्विवाह योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

10- विशेष महिला उत्थान योजना -

योजनागत

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

13- संकटग्रस्त महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण -

योजनागत

(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

15- विकलांग बच्चों का कल्याण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iii) मूल	3.00			
	
पुनर्वि०	(-)3.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

60- अन्य सामाजिक सुस्था तथा कल्याण कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम तथा
वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	3,57.00			
		3,46.93	3,48.13	+1.20
पुनर्वि०	(-)10.07			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.07 लाख की कमी मुख्यतः सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

योजनागत

मूल	5,45.30			
		4,52.14	4,68.41	+16.27
पुनर्वि०	(-)93.16			

₹ 16.27 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 93.16 लाख की कमी मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 16.27 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

02- विधवा पेंशन पर व्यय-

योजनागत

मूल	1,78.17			
		1,31.70	1,15.42	(-)16.28
पुनर्वि०	(-)46.47			

₹ 16.28 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.47 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मामलों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अप्रयाप्त सिद्ध हुई।

₹ 16.28 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

05- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	25.00			
		8.77	8.77	..
पुनर्वि०	(-)16.23			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.23 लाख की कमी मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- आयुक्त जनजातीय विकास अनुसूचित जाति
के कार्यालय पर व्यय-**योजनेतर**

मूल	1,57.10			
		1,15.50	1,15.50	..
पुनर्वि०	(-)41.60			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.60 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई ।

योजनागत

मूल	1,00.00			
पूरक	0.01	80.54	80.53	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)19.47			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.47 लाख की कमी मुख्यतः पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, जल, दूरभाष, विद्युत बिलों पर कम व्यय और जनजातीय विकास कार्यालय पर कम व्यय के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- मूलभूत सुविधाओं पर व्यय-

योजनागत

मूल	6,93.00			
		18.62	18.62	..
पुनर्वि०	(-)6,74.38			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,74.38 लाख की कमी मूलभूत सुविधाओं कम व्यय के कारण हुई।

04- जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा-

योजनागत

मूल	10,00.00			
		8,96.03	8,96.03	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,03.97			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.97 लाख की कमी जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

05- वनबंधु कल्याण योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2017 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान वनबंधु कल्याण योजना के लिए सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

06- जनजातीय अध्ययन संस्थान को
सहायता अनुदान-

योजनागत

मूल 10.00

8.00 8.00 ..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी जनजातीय संस्थान के सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

2401- फसल कृषि-कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कृषि विभाग की जिला स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल 96.77

68.23 67.42 (-)0.81

पुनर्वि० (-)28.54

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि
विस्तार और प्रशिक्षण के अलावा)-

योजनेतर

मूल 2,57.51

1,26.16 1,19.14 (-)7.02

पुनर्वि० (-)1,31.35

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,31.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा उपदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

04- उद्यान विभाग के अन्तर्गत जिला
स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	68.47			
		53.24	53.18	(-) 0.06
पुनर्वि०	(-)15.23			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.23 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- उद्यान विभाग की योजनाओं पर व्यय-

योजनेतर

मूल	8,29.08			
		5,83.02	5,75.73	(-)7.29
पुनर्वि०	(-)2,46.06			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,46.06 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और उपदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

08- जनजातीय क्षेत्रों (पॉकेट्स) के लिए
विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय-

केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	20.00			
		12.97	12.96	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)7.03			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.03 लाख की कमी मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों (पॉकेट्स) की मदद के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

17- उद्यान योजनाओं पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,38.74			
		84.45	82.98	(-)1.47
पुनर्वि०	(-)54.29			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.29 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

20- कृषि महाप्रबन्धन-

योजनागत

मूल 2.50

..

पुनर्वि0 (-) 2.50

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान कृषि महाप्रबंधन उपदान पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

22- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 2,96.00

1,29.06 1,29.06 ..

पुनर्वि0 (-)1,66.94

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,66.94 लाख की कमी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उपदान पर और दूरभाष, जल प्रभार एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

योजनागत

मूल 33.00

14.34 14.34 ..

पुनर्वि0 (-)18.66

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.66 लाख की कमी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उपदान पर, दूरभाष, जल प्रभार एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

23- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यान)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 85.00

35.48 35.48 ..

पुनर्वि0 (-)49.52

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.52 लाख की कमी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उपदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 24,49.04 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	9.00			
		3.94	3.94	..
पुनर्वि०	(-)5.06			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.06 लाख की कमी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

- 24- सेब के लिए मौसम आधारित
फसल बीमा पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	90.00			
	
पुनर्वि०	(-)90.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्षण द्वारा ₹ 90.00 लाख का समस्त प्रावधान सेब के लिए मौसम आधारित फसल बीमा सहायता अनुदान पर कोई व्यय न करने के कारण कम कर दिया गया।

- 32- पुष्पोत्पादन के विकास पर व्यय-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	3.00			
		1.70	1.70	..
पुनर्वि०	(-)1.30			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.30 लाख की कमी पुष्पोत्पादन विकास के अन्तर्गत उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

- 34- मशरूम के विकास पर व्यय-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	3.00			
		0.38	0.38	..
पुनर्वि०	(-)2.62			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.62 लाख की कमी मशरूम के विकास के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

36- पौध वितरण पर व्यय-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	10.00			
		2.65	2.65	..
पुनर्वि०	(-)7.35			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.35 लाख की कमी पौध वितरण के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

37- प्लास्टिक की टंकिया उपलब्ध करवाने पर व्यय-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	11.00			
		8.40	8.40	..
पुनर्वि०	(-)2.60			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.60 लाख की कमी प्लास्टिक की टंकियाँ उपलब्ध करवाने के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

38- नई नर्सरियों की स्थापना पर व्यय-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	6.00			
	
पुनर्वि०	(-)6.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान नई नर्सरियों की स्थापना के लिए उपदान पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

39- मशीनरी तथा औजारों अवयवों के
वितरण पर व्यय-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	4.00			
		0.70	0.70	..
पुनर्वि०	(-)3.30			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.30 लाख की कमी मशीनरी तथा औजारों के वितरण के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

40- पौध संरक्षण पर व्यय-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल 2.50

पुनर्वि० (-)2.50

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान पौध संरक्षण के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

43- उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों
के लिए उद्यान मिशन के अंतर्गत
संरक्षित खेती योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 1,01.00

पुनर्वि० (-)1,01.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 25.00

पूरक 0.01 5.20 5.20 ..

पुनर्वि० (-)19.81

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.81 लाख की कमी उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

45- स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत				
(i) मूल	1,62.00			
		90.28	90.28	..
पुनर्वि०	(-)71.72			
योजनागत				
(ii) मूल	18.00			
		4.48	4.48	..
पुनर्वि०	(-)13.52			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.24 लाख की कमी स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन पर कम व्यय के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,82.55 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
46- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
मूल	1,30.00			
		32.00	32.00	..
पुनर्वि०	(-)98.00			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.00 लाख की कमी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 15,83.68 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
योजनागत				
मूल	14.00			
		3.56	3.56	..
पुनर्वि०	(-)10.44			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.44 लाख की कमी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।				
48- बागवानी के एकीकृत विकास पर व्यय-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
मूल	2,88.00			
		1,00.00	99.97	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)1,88.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,88.01 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई जोकि बागवानी के एकीकृत विकास के लिए उपदान पर अधिक व्यय के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजनागत

मूल	72.00			
	0.01	5.92	5.92	..
पुनर्वि०	(-)66.09			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.09 लाख की कमी बागवानी के लिए एकीकृत विकास के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

50- विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	1,62.00			
		32.32	32.32	..
पुनर्वि०	(-)1,29.68			

योजनागत

(ii) मूल	18.00			
		3.59	3.59	..
पुनर्वि०	(-)14.41			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,44.09 लाख की कमी विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन में कम व्यय के कारण हुई।

51- खेतों में जल प्रबंधन योजना (सूक्ष्म

सिंचाई योजना)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	18.00			
	
पुनर्वि०	(-)18.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल 5.00

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान खेतों में जल प्रबंधन योजना के लिए उपदान पर शून्य व्यय के कारण कम कर दिया गया।

2402- मृदा तथा जल संरक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कृषि योग्य भूमि पर भू-संरक्षण व्यय-

योजनेतर

मूल 1,79.95

1,12.79

1,08.02

(-)4.77

पुनर्वि० (-) 67.16

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.16 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम (वन विभाग)-

योजनेतर

मूल 3,77.71

2,25.29

2,23.26

(-)2.03

पुनर्वि० (-)1,52.42

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,52.42 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 81.00

पुनर्वि० (-)81.00

योजनागत

(ii) मूल 9.00

पुनर्वि० (-)9.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजन के अन्तर्गत लघु कार्यों पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

2403- पशु पालन-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला प्रशासन पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,97.81			
		1,69.23	1,74.39	+5.16
पुनर्वि०	(-)28.58			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.58 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- पशु चिकित्सा योजनाओं पर व्यय-

योजनेतर

मूल	15,25.93			
	0.01	14,78.59	14,91.58	+12.99
पुनर्वि०	(-)47.35			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- कुक्कुट विकास पर व्यय -

योजनेतर

मूल	16.80			
		10.76	10.75	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)6.04			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.04 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- भेड़ तथा ऊन विकास पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,70.06			
		88.36	89.14	+0.78
पुनर्वि०	(-)81.70			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

12- पशु रोग का नियंत्रण -
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

मूल 24.92

पुनर्वि० (-)24.92

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.92 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री एवं आपूर्ति पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,96.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

2405- मछली पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
02- मत्स्य पालन योजनाओं पर व्यय-

योजनेतर

मूल 44.35

पुनर्वि० (-)9.56

34.79 34.77 (-)0.02

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.56 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी-

01- वानिकी-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
02- मत्स्य पालन योजनाओं पर व्यय-
01- कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

योजनेतर

मूल 11,73.98

पुनर्वि० (-)3,97.15

7,76.83 7,77.28 +0.45

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,97.15 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

07- चिलगोजा पार्इन का पुर्नोत्पादन पर व्यय-

योजनेतर

मूल	42.16			
		10.47	10.47	..
पुनर्वि०	(-)31.69			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.69 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

20- वन क्षेत्र में सुधार/नर्सरी उत्पादन-

योजनेतर

मूल	12.93			
		4.83	4.83	..
पुनर्वि०	(-)8.10			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.10 लाख की कमी वन क्षेत्र में सुधार उत्पादन पर कम व्यय के कारण हुई।

22- वन प्रबंधन की गहनता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	27.00			
	
पुनर्वि०	(-)27.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 27.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया जबकि भारत सरकार से ₹ 3,31.36 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल	4.99			
	
पुनर्वि०	(-)4.99			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.99 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

23- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 24.99

पुनर्वि० (-)24.99

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 24.99 लाख का समस्त प्रावधान दैनिक वेतन भोगियों की तैनाती न होने तथा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री की कम खरीद के कारण कम कर दिया गया।

24- हिमाचल प्रदेश वन इको-सिस्टम जलवायु
प्रूफिंग प्रोजेक्ट -

योजनागत

मूल 3,60.00

पुनर्वि० (-)2,93.43

66.57

66.57

..

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,93.43 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने तथा हिमाचल प्रदेश वन इको-सिस्टम जलवायु प्रूफिंग प्रोजेक्ट पर कम व्यय के कारण हुई।

26- स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत
कृषि वानिकी मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक 0.03

पुनर्वि० 6.97

7.00

..

(-)7.00

₹ 7.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.97 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि तथा सामग्री एवं आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 7.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

- 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-
796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-
01- वन्य प्राणी प्रबंधन तथा प्रकृति संरक्षण
पर व्यय-

योजनेतर

मूल	46.30			
		32.19	31.90	(-)0.29
पुनर्वि0	(-)14.11			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.11 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 03- वन्य प्राणी अभ्यारण्य के गहन प्रबंधन
पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1,00.00			
		80.10	80.10	..
पुनर्वि0	(-)19.90			

मार्च 2017 में अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.90 लाख की कमी मुख्यतः संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने, विभिन्न वस्तुओं की कम खरीद और वन्य प्राणी अभ्यारण्यों पर कम व्यय के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,80.31 लाख का अनुदान प्राप्त किया गया।

- 04- पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनेतर

मूल	25.00			
		10.70	10.70	..
पुनर्वि0	(-)14.30			

मार्च 2017 में अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.30 लाख की कमी मुख्यतः पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के लिए सामग्री की कम खरीद और दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजनेतर

मूल	43.43			
		31.97	32.26	+0.29
पुनर्वि०	(-)11.46			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.46 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	6.00			
		1.19	1.19	..
पुनर्वि०	(-)4.81			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.81 लाख की कमी पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के लिए सामग्री की कम खरीद और दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई।

- 07- ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व
के लिए प्रबंधन पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनेतर

मूल	75.00			
पूरक	0.05	62.74	62.24	..
पुनर्वि०	(-)12.81			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.81 लाख की कमी वित्त प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि और योजना पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 69.15 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

2408- खाद्य भंडारण और भाण्डागार-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खाद्य संगठन पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,16.80			
		89.23	84.87	(-)4.36
पुनर्वि०	(-)27.57			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.57 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई और जोकि दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2425- सहकारिता-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सहकारिता योजनाओं पर व्यय-

योजनेतर

मूल	2,75.80			
		1,15.92	1,16.05	+0.13
पुनर्वि०	(-)1,59.88			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,59.88 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना -

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

मूल	8,99.99			
		1,41.00	1,41.00	..
पुनर्वि०	(-)7,58.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,58.99 लाख की कमी भारत सरकार के द्वारा सहायता अनुदान कम जारी करने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	89.99			
		15.67	15.67	..
पुनर्वि०	(-)74.32			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.32 लाख की कमी एकीकृत जलागम कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान पर कम व्यय करने के कारण हुई।

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	81.00			
		19.91	19.91	..
पुनर्वि०	(-)61.09			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61.09 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत अनुदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 7,23.71 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल	9.00			
		2.21	2.21	..
पुनर्वि०	(-)6.79			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.79 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर कम व्यय करने के कारण हुई।

04- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत
आजीविका कौशल-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	41.00			
	
पुनर्वि०	(-)41.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 41.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल	5.00			
	
पुनर्वि०	(-)5.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

05- जिला ग्रामीण स्थापना विकास अभिकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

मूल 1,42.00

पुनर्वि० (-)1,42.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,42.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 16.00

पुनर्वि० (-)11.22

4.78

4.78

..

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.22 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

2505- ग्रामीण रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 48,60.00

पुनर्वि० (-)48,60.00

..

..

..

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 48,60.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 5,40.00

पुनर्वि० (-)1,14.63

4,25.37

4,25.37

..

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा में ₹ 1,14.63 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

2506- भूमि सुधार-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

01- जिला कर्मचारी वर्ग पर व्यय-
योजनेतर

(i) मूल	41.06			
		17.67	17.67	..
पुनर्वि०	(-)23.39			

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंचायत योजनाओं पर व्यय-

योजनेतर

(ii) मूल	1,69.19			
		1,42.21	1,42.74	+0.53
पुनर्वि०	(-)26.98			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.37 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- सामुदायिक विस्तार के विकास कार्यक्रम
पर व्यय-

योजनागत

मूल	6,07.07			
		4,57.45	4,37.12	(-)20.33
पुनर्वि०	(-)1,49.62			

₹ 20.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,49.62 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, जल प्रभार एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.33 लाख के अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	8,10.00			
		4,15.42	4,15.42	..
पुनर्वि०	(-)3,94.58			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,94.58 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।

योजनागत

मूल	90.00			
		46.16	46.16	..
पुनर्वि०	(-)43.84			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.84 लाख की कमी विकास कार्यों के लिए सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

12- पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	22.00			
	
पुनर्वि०	(-)22.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल	5.00			
	
पुनर्वि०	(-)5.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के लिए सहायता अनुदान पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- कार्य प्रभारी कर्मचारी वर्ग को स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-

योजनेतर

मूल	6,80.75			
		5,75.85	5,43.62	(-)32.23
पुनर्वि०	(-)1,04.90			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

₹ 32.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.23 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

07- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	5,49.92			
		4,13.75	3,69.96	(-)43.79
पुनर्वि०	(-)1,36.17			

₹ 43.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,36.17 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा दावों की लंबित देनदारियों के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई और अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 43.79 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- जिला औद्योगिक केन्द्रों पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,13.61			
		66.14	67.10	+0.96
पुनर्वि०	(-)47.47			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण शिल्पकार
कार्यक्रम पर व्यय-

योजनागत

मूल	30.45			
		20.21	20.20	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)10.24			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.24 लाख की कमी मुख्यतः छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति और ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम पर कम व्यय के कारण हुई।

10- खादी उद्योग इकाइयों पर व्यय-

योजनेतर

(i) मूल	2.64
पुनर्वि०	(-)2.64			

11- हथकरघा उद्योग इकाइयों पर व्यय-

योजनेतर

(ii) मूल	1.32
पुनर्वि०	(-)1.32			

12- कारपेट केन्द्रों को अनुदान सहायता पर व्यय-

योजनेतर

(iii) मूल	1.32
पुनर्वि०	(-)1.32			

उपरोक्त तीन मामलो में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.28 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

16- खादी तथा ग्रामोद्योग पर विशेष केन्द्रीय

सहायता के अन्तर्गत व्यय-

केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	20.00	12.00	12.00	..
पुनर्वि०	(-)8.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी खादी और ग्रामोद्योग पर कम व्यय के कारण हुई।

23- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजनेतर					
(i)	मूल	14.00			
	पुनर्वि०	(-)14.00
3053- नागर विमानन-					
80- सामान्य-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा- केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजनागत					
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
<p>उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।</p>					
3054- सड़क तथा पुल-					
04- जिला तथा अन्य सड़कें-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- ग्रामीण सड़कों एवं पुल कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्थापना पर व्यय-					
योजनेतर					
(i)	मूल	17,78.42			
	पुनर्वि०	(-)5,42.70	12,35.72	12,29.81	(-)5.91
02- कार्य प्रभारी कर्मचारी वर्ग को स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-					
योजनेतर					
(ii)	मूल	68,74.52			
	पुनर्वि०	(-)8,98.20	59,76.32	59,72.83	(-)3.49
<p>उपरोक्त दो मामलों मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,40.90 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।</p>					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

03- जिला सड़कों के रखरखाव तथा
मरम्मत पर व्यय-

योजनेतर

मूल	16,13.32			
		12,83.32	12,20.54	(-)62.78
पुनर्वि०	(-)3,30.00			

₹ 62.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,30.00 लाख की कमी जिला सड़कों के रखरखाव तथा मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 62.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(जुलाई 2017)।

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- टेक्नो आर्थिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययन कर्मचारी
वर्ग पर व्यय-

योजनेतर

मूल	78.47			
		54.69	54.47	(-)0.22
पुनर्वि०	(-)23.78			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दूरभाष, जल प्रभार एवं विद्युत बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

3456- नागरिक आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला लाहौल स्पिति के कार्यालय पर व्यय-

योजनेतर

मूल	4.57			
	
पुनर्वि०	(-)4.57			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.57 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल 11.00

पुनर्वि० (-)11.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

- (iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|---------------|-----------------------|
| | | | (₹ लाख में) |

2015- निर्वाचन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मतदाता सूचियों के निर्माण तथा मुद्रण पर व्यय-विधान सभा-
योजनेतर

मूल 15.14

39.13

39.10

(-)0.03

पुनर्वि० 23.99

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.99 लाख का आवर्धन मतदाता सूचियों के निर्माण एवं मुद्रण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

06- स्थानीय संस्थाओं के चुनाव से सम्बन्धित प्रचार पर व्यय-
योजनेतर

मूल 0.07

62.10

62.09

(-)0.01

पुनर्वि० 62.03

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.03 लाख का आवर्धन स्थानीय क्षेत्र चुनाव से सम्बन्धित प्रचार पर, कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरों पर, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2029- भू-राजस्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- राजस्व भवनों का निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	13.00			
		15.62	16.62	+1.00
पुनर्वि०	2.62			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.62 लाख का आवर्धन राजस्व भवनों के लघु निर्माण कार्यो पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2053- जिला प्रशासन-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
10- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	21,00.00			
		27,00.00	27,00.00	..
पुनर्वि०	6,00.00			

योजनागत

(ii) पूरक	0.01			
		2,78.00	2,78.00	..
पुनर्वि०	2,77.99			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,77.99 लाख का आवर्धन सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 11- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

योजनागत

मूल	2,01.00			
		2,68.00	2,68.00	..
पुनर्वि०	67.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.00 लाख का आवर्धन विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2055- पुलिस-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
01- पुलिस संगठन पर व्यय-

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मूल	34,57.51			
पूरक	0.01	39, 10.63	39,10.59	(-)0.04
पुनर्वि०	4,53.11			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,53.11 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि कर्मचारी वर्ग के कम स्थानान्तरण से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

02- अपराध अनुसंधान तथा सतर्कता पर व्यय-

योजनेतर

मूल	60.73			
		88.10	88.07	(-)0.03
पुनर्वि०	27.37			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.37 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

06- सम्मन/वारंटस की सेवा के लिए पंचायत/
चौकीदार/गृह रक्षक-

योजनागत

मूल	5.00			
		24.39	24.39	..
पुनर्वि०	19.39			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.39 लाख का आवर्धन चौकीदार और गृह रक्षक कर्मचारियों को अधिक मानदेय देने पर व्यय के कारण हुआ।

07- सुरक्षा सम्बन्धित व्यय-

योजनेतर

मूल	5.78			
		10.75	10.75	..
पुनर्वि०	4.97			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.97 लाख का आवर्धन मानदेय बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

08- पुलिस विभाग के साथ कानून एवं व्यवस्था
हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय -

योजनेतर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मूल	1,93.01			
		6,75.07	6,75.07	..
पुनर्वि०	4,82.06			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,82.06 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण-कार्य-

- 01- कार्यालय भवन-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
07- उच्चन्त (स्टॉक) के अन्तर्गत व्यय -

योजनेतर

(i) मूल	10,00.00	10,00.00	24,97.24	+14,97.24
---------	----------	----------	----------	-----------

- 08- उच्चन्त (स्टॉक उत्पादन) के अन्तर्गत व्यय-

योजनेतर

(ii) मूल	5,00.00	5,00.00	5,47.31	+47.31
----------	---------	---------	---------	--------

- 09- उच्चन्त (विविध लोक निर्माण विभाग)
के अन्तर्गत व्यय-

योजनेतर

(iii) मूल	5,00.00	5,00.00	10,31.58	+5,31.58
-----------	---------	---------	----------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 20,76.13 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
01- अग्निशमन केन्द्रों पर व्यय-

योजनेतर

मूल	77.21			
पूरक	0.01	1,13.61	1,13.60	(-)0.01
पुनर्वि०	36.39			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.39 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि और बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- अग्नि शमन प्रणाली में सुधार व्यय-

योजनेतर

पूरक	0.01			
		14.53	14.53	..
पुनर्वि०	14.52			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.52 लाख का आवर्धन मशीनरी व उपकरणों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- जिला गृह रक्षक कर्मचारियों पर व्यय-

योजनेतर

मूल	1,35.81			
		2,57.13	2,57.13	..
पुनर्वि०	1,21.32			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.32 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय-

योजनेतर

मूल	57,25.13			
		58,10.06	58,10.07	+0.01
पुनर्वि०	84.93			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 84.93 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

योजनागत

मूल	4,43.94			
		6,04.39	6,14.42	+10.03
पुनर्वि०	1,60.45			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,60.45 लाख का आवर्धन मुख्यतः दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि और दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने तथा वस्तुओं की कम खरीद से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

07- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों

पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 1,19.00

1,52.25 1,43.24 (-)9.01

पुनर्वि० 33.25

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.25 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण और कर्मचारी वर्ग के द्वारा कम दौरे करने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

योजनागत

मूल 13.00

48.64 48.63 (-)0.01

पुनर्वि० 35.64

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.64 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि कर्मचारी वर्ग के द्वारा कम दौरे करने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

17- स्कूल प्रबंधन कमेटी को सहायता

अनुदान-

योजनागत

मूल 1,19.00

1,53.39 1,53.39 ..

पुनर्वि० 34.39

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.39 लाख का आवर्धन स्कूल प्रबंधन कमेटी के लिए सहायता-अनुदान पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत

माध्यमिक पाठशाला पर व्यय-

योजनागत

मूल 1,81.70

3,34.46 2,62.26 (-)72.20

पुनर्वि० 1,52.76

₹ 72.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,52.76 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती, दूरभाष, जल प्रभार एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 72.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

- 03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च विद्यालयों पर व्यय-

योजनागत

मूल	2,57.70			
पूरक	0.01	3,96.73	3,96.71	(-)0.02
पुनर्वि.	1,39.02			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.02 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई के भुगतान, छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 10- अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा को सहायता अनुदान-

योजनागत

मूल	22.00			
		35.24	35.24	..
पुनर्वि०	13.24			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.24 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

- 14- स्कूल प्रबन्धन कमेटी को सहायता अनुदान-

योजनेतर

मूल	22.50			
		1,60.69	1,60.69	..
पुनर्वि०	1,38.19			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,38.19 लाख का आवर्धन स्कूल प्रबन्धन कमेटी को अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

- 19- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा-

योजनागत

पूरक	0.01			
		1.06	1.06	..
पुनर्वि०	1.05			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.05 लाख का आवर्धन माध्यमिक विद्यालयों के विकलांग छात्रों की शिक्षा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

- 20- अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत
जनजातीय अनुसूचित विद्यार्थियों के लिए
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय-

योजनागत

मूल	1,25.00			
		1,48.00	1,48.00	..
पुनर्वि०	23.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.00 लाख का आवर्धन जनजातीय विद्यार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
02- स्नातक महाविद्यालयों पर व्यय-

योजनागत

मूल	12.00			
	0.02	1,12.39	1,12.39	..
पुनर्वि०	1,00.37			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.37 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 2203- तकनीकी शिक्षा-**
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
03- बहुतकनीकी संस्थानों के माध्यम से सामुदायिक
विकास पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1.00			
		4.65	4.65	..
पुनर्वि०	3.65			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.65 लाख का आवर्धन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-**
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- पर्वतारोहण पर व्यय-

योजनागत

मूल	31.00			
		47.37	47.38	+0.01
पुनर्वि०	16.37			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.37 लाख का आवर्धन पर्वतारोहण तथा सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- युवा सेवाएं तथा खेल निदेशालय पर व्यय-

योजनागत

मूल	69.00			
		98.13	98.12	(-)0.01
पुनर्वि०	29.13			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.13 लाख का आवर्धन सामग्री तथा आपूर्ति एवं युवा सेवाएं तथा खेल निदेशालय पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती, जल, दूरभाष एवं विद्युत प्रभारों पर कम व्यय से हुई बचत अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2205- कला एवं संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पुरातत्व कक्ष पर व्यय-

योजनागत

मूल	37.50			
		47.22	47.22	..
पुनर्वि०	9.72			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.72 लाख का आवर्धन पुरातत्व कक्ष के लिए सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती, दूरभाष, जल प्रभार तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

04- विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत

पुस्तकालयों पर व्यय-

योजनागत

मूल	9.20			
		11.20	11.20	..
पुनर्वि०	2.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

- 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
02- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति कार्यक्रम पर व्यय-

योजनेतर

मूल	4,97.34			
		5,53.42	5,53.41	(-)0.01
पुनर्वि०	56.08			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.08 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान और दैनिक वेतन भोगियों की अधिक तैनाती के कारण हुआ जोकि बाह्य स्रोत कर्मचारियों की कम तैनाती से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

योजनागत

मूल	4,04.37			
		5,09.94	5,09.94	..
पुनर्वि०	1,05.57			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.57 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान, सामग्री व आपूर्ति, जल, दूरभाष एवं विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि कर्मचारी वर्ग के द्वारा कम दौरे, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और पाश्चात्य चिकित्सालयों के लिए सहायता अनुदान पर कम व्यय से हुई बचत में अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय
(प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र)-

योजनेतर

मूल	5,72.93			
		6,67.10	6,67.09	(-)0.01
पुनर्वि०	94.17			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 94.17 लाख का आवर्धन मुख्यतः बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	3,35.75			
		5,09.24	5.09.31	+0.07
पुनर्वि०	1,73.49			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73.49 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान तथा जल, दूरभाष एवं विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि सहायता अनुदान, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की कम मरम्मत, कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
04- आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-
योजनागत

मूल	2,69.50			
		4,14.18	4,07.29	(-)6.89
पुनर्वि०	1,44.68			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,44.68 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि सामग्री व आपूर्ति, जल, दूरभाष, विद्युत प्रभारों पर कम व्यय, लघु कार्यों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 06- आयुष-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	0.50			
पूरक	0.07	72.40	72.40	..
पुनर्वि०	71.83			

योजनागत

(ii) पूरक	0.07			
		8.05	8.05	..
पुनर्वि०	7.98			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.81 लाख का आवर्धन आयुष योजनाओं के लिए सहायता अनुदान और सामग्री व आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 06- लोक स्वास्थ्य-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
09- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुउद्देश्य कार्यक्रम योजना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	36.73			
		44.40	44.40	..
पुनर्वि०	7.67			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.67 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

योजनागत

मूल	1,29.40			
		1,90.97	1,90.97	..
पुनर्वि०	61.57			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.57 लाख का आवर्धन मुख्यतः महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को कम प्राप्ति और संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 11- राष्ट्रीय दृष्टिविहिनता नियन्त्रण एवं बचाव कार्यक्रम पर व्यय-

योजनागत

(i) मूल	9.15			
		14.81	14.80	(-)0.01
पुनर्वि०	5.66			

- 13- दृष्टिविहिनता नियन्त्रण तथा बचाव कार्यक्रम और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत				
(ii) मूल	4.00			
		7.18	7.18	..
पुनर्वि०	3.18			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.84 लाख का आवर्धन मुख्यतः महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुआ।

2211- परिवार कल्याण-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
03- परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	4,70.00			
		5,17.10	5,17.01	(-)0.09
पुनर्वि०	47.10			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.10 लाख का आवर्धन मुख्यतः महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि परिवार कल्याण कार्यक्रम के रखखाव पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

2215- जल आपूर्ति तथा स्वच्छता-

- 01- जलापूर्ति-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
01- ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	2,93.10			
		3,14.02	3,73.21	+59.19
पुनर्वि०	20.92			

₹ 59.19 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.92 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक तैनाती के कारण हुआ जोकि ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के रखखाव पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अप्रयाप्त सिद्ध हुआ।

₹ 59.19 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	28.00			
		1,05.21	1,05.24	+0.03
पुनर्वि०	77.21			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 77.21 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान और कर्मचारी वर्ग के द्वारा अधिक दौरे करने के कारण हुआ।

- 02- कार्य भारित कर्मचारियों को स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-

योजनेतर

मूल	17,60.27			
		20,29.38	20,29.39	+0.01
पुनर्वि०	2,69.11			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,69.11 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान और चिकित्सा शुल्कों की लंबित देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ।

- 04- स्टॉक -

योजनागत

(i)	3,99.13	+3,99.13
-----	----	----	---------	----------

- 05- स्टॉक निर्माण-

योजनागत

(ii)	5.96	+5.96
------	----	----	------	-------

- 06- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

योजनागत

(iii)	51.45	+51.45
-------	----	----	-------	--------

उपरोक्त तीन मामलों में बिना प्रावधान के ₹ 4,56.54 लाख का व्यय किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)। प्रावधान को मूल/अनुपूरक अनुदानों से प्राप्त किया जाना चाहिए था यह हिमाचल प्रदेश राज्य बजट मैनुअल के प्रावधान पैरा 12.5 का स्पष्ट उलंघन है।

2216- आवास-

- 03- ग्रामीण आवास-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 01- बेघर गरीबों के लिए गांधी कुटीर योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	3,24.00			
		7,08.84	7,08.84	..
पुनर्वि०	3,84.84			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,84.84 लाख का आवर्धन बेघर लोगों के आवास निर्माण के लिए सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2217- शहरी विकास-

- 03- छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
03- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	0.01			
		16.76	16.76	..
पुनर्वि०	16.75			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.75 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 04- प्रधान मंत्री आवास योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	0.01			
		8.16	8.16	..
पुनर्वि०	8.15			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.15 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

- 02- अनुसूचित जनजाति का कल्याण -
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
09- बाल बालिका आश्रम (विभाग संचालित)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	22.20			
		28.19	28.18	(-)0.01
पुनर्वि०	5.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.99 लाख का आवर्धन सामग्री व आपूर्ति पर अधिक व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की अधिक तैनाती के कारण हुआ।

12- कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण-**योजनागत**

मूल	56.00			
		67.49	67.49	..
पुनर्वि०	11.49			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.49 लाख का आवर्धन कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2230- श्रम तथा रोजगार-*03- प्रशिक्षण-***796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-****03- लड़कियों के लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-****योजनेतर**

मूल	8.72			
		11.58	11.58	..
पुनर्वि०	2.86			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.86 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-*02- समाज कल्याण-***796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-****01- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर व्यय -****योजनागत**

मूल	2.53			
		3.18	3.18	..
पुनर्वि०	0.65			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 0.65 लाख का आवर्धन सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

04- बेटी है अनमोल योजना पर व्यय-

योजनागत

मूल	4.00			
		9.00	9.00	..
पुनर्वि०	5.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन बेटी है अनमोल योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

06- बाल/बालिका आश्रम में रहने वालों को पुनर्वास अनुदान-

योजनागत

मूल	0.30			
		5.20	5.20	..
पुनर्वि०	4.90			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.90 लाख का आवर्धन बाल/बालिका आश्रम में रहने वालों को पुनर्वास सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

11- बलात्कार पीड़ित को सहायता-

योजनागत

मूल	1.00			
		5.75	5.75	..
पुनर्वि०	4.75			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.75 लाख का आवर्धन बलात्कार पीड़ितों की सहायता पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2236- पोषण-

02- पोषक खाद्य तथा सुपेय का वितरण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खाद्य कार्यक्रम पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	5,25.00			
		6,14.05	6,14.05	..
पुनर्वि०	89.05			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.05 लाख का आवर्धन सामग्री एवं आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2401- फसल कृषि कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण के अतिरिक्त)-

योजनागत

मूल	1,01.72			
		1,45.15	1,45.35	+0.20
पुनर्वि०	43.43			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.43 लाख का आवर्धन कृषि योजनाओं के लिए उपदान पर तथा लघु कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि सामग्री, आपूर्ति, मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय से हुई बचत से अशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

05- उद्यान विभाग की योजनाओं पर व्यय-

योजनागत

(i) मूल	25.50			
		1,52.70	1,52.42	(-)0.28
पुनर्वि०	1,27.20			

09- उद्यान विभाग की योजनाओं पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय- केन्द्रीय योजना

(ii) योजनागत

मूल	1,42.00			
		1,94.88	1,94.69	(-)0.19
पुनर्वि०	52.88			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 1,80.08 लाख का आवर्धन बागवानी योजनाओं के लिए उपदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

24- सेब के लिए मौसम पर आधारित फसल बीमा पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	45.00			
		83.00	83.00	..
पुनर्वि०	38.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 38.00 लाख का आवर्धन फसल बीमा योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

54- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	0.01			
		3.00	3.00	..
पुनर्वि०	2.99			

योजनागत

पूरक	0.01			
		1.44	1.44	..
पुनर्वि०	1.43			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 4.42 लाख का आवर्धन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- जनजातीय क्षेत्र के बाहर रह रहे अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत भू-संरक्षण पर व्यय-केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	25.00			
		2,14.25	2,18.75	+4.50
पुनर्वि०	1,89.25			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,89.25 लाख का आवर्धन अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत भू संरक्षण के लघु कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

11- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत				
(i)	मूल	8.00		
			32.00	32.00
	पुनर्वि०	24.00		..
योजनागत				
(ii)	मूल	1.00		
			3.56	3.56
	पुनर्वि०	2.56		..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.56 लाख का आवर्धन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के लघु कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2403- पशुपालान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पशु चिकित्सा योजनाओं पर व्यय -

योजनागत

मूल	1,64.97			
		1,84.26	1,84.70	+0.44
पुनर्वि०	19.29			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.29 लाख का आवर्धन पशु चिकित्सा योजनाओं के लिए सामग्री व आपूर्ति पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों पर कम व्यय, वाहनों की कम मरम्मत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दूरभाष, जल प्रभार एवं विद्युत बिलों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2405- मछली पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04 विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत मत्स्य पालन पर व्यय-
केन्द्रीयगत योजना**योजनागत**

मूल	3.00			
		3.60	3.60	..
पुनर्वि०	0.60			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 0.60 लाख का आवर्धन विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत मत्स्य पालन पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- वानिकी कार्यक्रम-

योजनेतर

मूल 4,12.88

6,25.91

6,29.73

+3.82

पुनर्वि० 2,13.03

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,13.03 लाख का आवर्धन वानिकी कार्यक्रम के लिए उपदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक भोगियों की कम तैनाती से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व के लिए

प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय-

योजनागत

पूरक 0.05

6.91

6.91

..

पुनर्वि० 6.86

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.86 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि और ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रबंधन कार्य योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2408- खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सहकारी सभाओं को उपदान पर व्यय-

योजनागत

मूल 27.00

46.00

46.00

..

पुनर्वि० 19.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.00 लाख का आवर्धन सहकारी सभाओं को उपदान के लिए सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पर व्यय-

योजनागत

मूल	1,50.00	1,50.00	1,88.33	+38.33
-----	---------	---------	---------	--------

₹ 38.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

(i) पूरक	0.01			
		8,13.00	8,13.00	..
पुनिर्व0	8,12.99			

योजनागत

(ii) पूरक	0.01			
		90.33	90.33	..
पुनिर्व0	90.32			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,03.31 लाख का आवर्धन योजना के लिए अनुदान पर अधिक व्यय करने के कारण हुई।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-

योजनागत

मूल	4,34.00			
		5,07.89	5,07.89	..
पुनिर्व0	73.89			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.89 लाख का आवर्धन पंचायती योजनाओं के लिए सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय योजना				
योजनागत				
(i) मूल	30.00			
		57.30	57.30	..
पुनर्वि०	27.30			
योजनागत				
(ii) पूरक	0.01			
		2,43.47	2,43.47	..
पुनर्वि०	2,43.46			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,70.76 लाख का आवर्धन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लघु कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- लिफ्ट सिंचाई योजनाएं (विशेष मरम्मत)

मरम्मत तथा रखरखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल	16.00			
		69.00	1,03.68	+34.68
पुनर्वि०	53.00			

₹ 34.68 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.00 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 34.68 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

03- अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मत)-

योजनेतर

(i) मूल	1,75.92			
		1,77.25	2,21.12	+43.87
पुनर्वि०	1.33			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

04- अन्य लघु सिंचाई कार्यो के रखरखाव
एवं मरम्मत पर व्यय (समान्य मरम्मत)-

योजनेतर

(ii) मूल	2,07.88			
		2,03.49	2,31.41	+27.92
पुनर्वि०	4.39			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 71.79 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

08- उच्चंत पर व्यय (स्टॉक)-

योजनागत

(i)	5,39.55	+5,39.55
-----	----	----	---------	----------

09- उच्चंत पर व्यय (स्टॉक निर्माण)

योजनागत

(ii)	15.02	+15.02
------	----	----	-------	--------

10- उच्चंत पर व्यय
(विविध लोक निर्माण अग्रिम)-

योजनागत

(iii)	1,53.57	+1,53.57
-------	----	----	---------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 7,08.14 लाख का समस्त प्रावधान निधियों के बिना आबंटन के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। उपरोक्त व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ जोकि अनुचित और विवेकहीन था जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)। यह हिमाचल प्रदेश राज्य बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का स्पष्ट उल्लंघन है।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- औद्योगिक योजनाओं पर व्यय-

योजनागत

मूल	16.00			
		56.20	56.20	..
पुनर्वि०	40.20			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.20 लाख का आवर्धन औद्योगिक योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि औद्योगिक योजनाओं के लघु कार्यो पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

- 17- हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	1,45.55			
		1,64.69	1,64.69	..
पुनर्वि०	19.14			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.14 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के लिए सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-

- 02- खानों का विनियमन तथा विकास-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
01- खनिज विकास पर व्यय-

योजनेतर

मूल	42.89			
		51.86	51.81	(-)0.05
पुनर्वि०	8.97			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.97 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुआ।

3454- सड़क तथा सेतु-

- 04- जिला तथा अन्य सड़कें-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
04- जिला तथा अन्य सड़कों का रखरखाव-

योजनेतर

मूल	12,70.49			
		9,50.28	13,70.64	+4,20.36
पुनर्वि०	(-)3,20.21			

₹ 4,20.36 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,20.21 लाख की कमी जिला तथा अन्य सड़कों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,20.36 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन
विकास पर व्यय-**योजनागत**

मूल 12.00

34.00

34.00

..

पुनर्वि० 22.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.00 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि योजना के लिए सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

02- क्षेत्रिय कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

योजनागत

मूल 5.00

7.83

8.06

+0.23

पुनर्वि० 2.83

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.83 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

3456- नागरिक आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-

योजनागत

पूरक 0.01

11.00

11.00

..

पुनर्वि० 10.99

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.99 लाख का आवर्धन दूरभाष, जल प्रभार और विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- किन्नौर तथा लाहौल स्पिति जिले में
माप एवं तोल कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनेतर				
मूल	2.98			
		4.42	4.42	..
पुनर्वि०	1.44			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.44 लाख का आवर्धन बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाख में)		

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- न्यायपालिका पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	2.00
पुनर्वि०	(-)2.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल	28.00			
		27.00	20.68	(-)6.32
पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 6.32 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर

पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अग्निशमन विभाग के भवनों का निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	84.00			
		65.89	65.89	..
पुनर्वि०	(-)18.11			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.11 लाख की कमी अग्निशमन विभाग के भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- नए बहुतकनीकी संस्थानों का उन्नयन/स्थापना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

योजनागत

(ii) मूल	20.00			
	
पुनर्वि०	(-)20.00			

03- महिला छात्रावासों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

(iii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न हाने के कारण कम कर दिया गया।

4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण पाईप द्वारा जलापूर्ति
योजनाओं पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	4,23.00			
		3,69.45	3,6.07	(-)8.38
पुनर्वि०	(-)53.55			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.55 लाख की कमी ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजनाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

09- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि-

योजनागत

मूल	50.00			
	
पुनर्वि०	(-)50.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	12,88.00			
		2,98.74	3,17.64	+18.90
पुनर्वि०	(-)9,89.26			

₹ 18.90 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,89.26 लाख की कमी योजना पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 18.90 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

योजनागत

मूल	1,43.00			
		52.72	55.65	+2.93
पुनर्वि०	(-)90.28			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.28 लाख की कमी योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

**4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों
के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

02- अनुसूचित जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक
मामले के विभागीय भवन-

योजनागत

मूल 18.00

पुनर्वि० (-)18.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सामाजिक कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- बहुउद्देश्यी सामुदायिक/आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 74.00

पुनर्वि० (-)74.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने और आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर कोई व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 24.00

15.00

15.00

..

पुनर्वि० (-)9.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.00 लाख की कमी बहुउद्देश्यी सामुदायिक/आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

**4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत
परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल 1.50

पुनर्वि० (-)1.50

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.50 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

4425 - सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सहकारी समितियों में निवेश-

योजनागत

मूल 2.00

0.50 0.50 ..

पुनर्वि० (-)1.50

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.50 लाख की कमी सहकारी समितियों में कम निवेश के कारण हुई।

4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

02- मुख्य सिंचाई- अवाणिज्यिक-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मुख्य सिंचाई योजनाएं-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 4,86.00

..

पुनर्वि० (-)4,86.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,86.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय
(उठाऊ सिंचाई योजना)

योजनागत

मूल 5.20

2.00 2.59 +0.59

पुनर्वि० (-)3.20

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.20 लाख की कमी लघु सिंचाई योजनाओं पर कम व्यय के कारण हुई।					
02-	लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय- केन्द्रीय योजना				
	योजनागत				
	मूल	15.00	15.00	11.51	(-)3.49
₹ 3.49 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।					
06-	एकीकृत ग्रामीण विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय-				
	योजनागत				
	मूल	2,80.00			
			87.85	87.86	+0.01
	पुनर्वि०	(-)1,92.15			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,92.15 लाख की कमी लघु सिंचाई योजनाओं पर कम व्यय के कारण हुई।					
08-	लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(i)	मूल	10,13.00			
		
	पुनर्वि०	(-)10,13.00			
4705-	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कमान क्षेत्र विकास पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(ii)	मूल	2,70.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2,70.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

4711- बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बाढ नियंत्रण कार्य पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iii) मूल 7,20.00

पुनर्वि० (-)7,20.00

02- ग्रामीण एकीकृत विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत बाढ नियंत्रण
कार्यक्रम पर व्यय-**योजनागत**

(iv) मूल 20.00

पुनर्वि० (-)20.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,23.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हवाई पट्टियों के निर्माण पर व्यय-

योजनागत

मूल 30.00

22.96 16.96 (-)6.00

पुनर्वि० (-)7.04

₹ 6.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.04 लाख की कमी जनजातीय क्षेत्रों में हवाई पट्टियों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 6.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

5054- सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय-

03- राज्य राजमार्ग-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
03- केन्द्रीय रिजर्व फंड के अन्तर्गत
सड़कों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 2,70.00

पुनर्वि० (-)2,70.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,70.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय रिजर्व फंड के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में कोई निर्माण न होने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
06- रोपवे अथवा केबलवे पर व्यय-

योजनागत

मूल 15.00

5.02

5.32

+0.30

पुनर्वि० (-)9.98

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.98 लाख की कमी रोपवे और केबलवे पर कम व्यय के कारण हुई।

- 09- ग्रामीण एकीकृत निधि/ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास
बैंक के अन्तर्गत मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-

योजनागत

मूल 7,49.80

6,72.44

6,72.37

(-)0.07

पुनर्वि० (-)77.36

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजना द्वारा प्रावधान में ₹ 77.36 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत मुख्य पुलों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

- (vi) उपरोक्त बचत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक
व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | (₹ लाख में) |

4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

- 01- कार्यालय भवन-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
02- अन्य प्रशासनिक व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	1,21.00			
		1,48.00	1,49.22	(-)1.22
पुनर्वि०	27.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.00 लाख का आवर्धन अन्य प्रशासनिक भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

केन्द्रीय योजना

योजनागत

पूरक	0.01			
		2,68.41	2,18.41	(-)50.00
पुनर्वि०	2,68.40			

₹ 50.00 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,68.40 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 50.00 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

योजनागत

(i) मूल	3,07.00			
पूरक	0.01	11,29.63	11,22.45	(-)7.18
पुनर्वि०	8,22.62			

03- माध्यमिम पाठशाला भवनों का निर्माण-

योजनागत

(ii) मूल	31.00			
		40.93	40.93	..
पुनर्वि०	9.93			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,32.55 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्रों में माध्यमिक पाठशाला भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- तकनीकी शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के होस्टल भवन
का निर्माण-

योजनागत

मूल 1,80.00

2,00.00 2,00.00 ..

पुनर्वि0 20.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के होस्टल भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

केन्द्रीय योजना

योजनागत

(i) पूरक 0.01

43.00 43.00 ..

पुनर्वि0 42.99

03- पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेल भवनों

पर व्यय-

योजनागत

(ii) मूल 1.00

5.08 5.08 ..

पुनर्वि0 4.08

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.07 लाख का आवर्धन खेलकूद एवं युवा सेवाओं से सम्बन्धित भवन निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर
पूँजीगत परिव्यय-**

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

केन्द्रीय योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजनागत

(i) पूरक	0.01			
		2,56.00	2,56.00	..
पुनर्वि०	2,55.99			

योजनागत

(ii) मूल	1,58.00			
		4,23.50	4,23.50	..
पुनर्वि०	2,65.50			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,21.49 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा
अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- मौजूदा आयुष संस्थानों का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	0.50			
		10.15	10.15	..
पुनर्वि०	9.65			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.65 लाख का आवर्धन मौजूदा आयुष संस्थानों के उन्नयन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- पुरानी जल आपूर्ति योजनाओं पर व्यय-

योजनागत

मूल	2,12.00			
		2,27.51	2,22.16	(-)5.35
पुनर्वि०	15.51			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.51 लाख का आवर्धन पुरानी जलापूर्ति योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

4401- फसल कृषि कर्म पर
पूंजीगत परिव्यय

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
02- उद्यान भवनों पर व्यय-

योजनागत

मूल 32.10

42.09 42.10 +0.01

पुनर्वि० 9.99

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.99 लाख का आवर्धन उद्यान भवनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
01- भवन निर्माण कार्यक्रम-
केन्द्रीयगत योजना

योजनागत

(i) मूल 5.00

25.00 25.00 ..

पुनर्वि० 20.00

योजनागत

(ii) मूल 48.00

67.98 67.98 ..

पुनर्वि० 19.98

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.98 लाख का आवर्धन पशुपालन भवनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों
पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
01- सड़कों निर्माण पर व्यय-

योजनागत

मूल 40.00

65.19 64.99 (-)0.20

पुनर्वि० 25.19

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.19 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

4702- लघु सिंचाई योजना पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय (जल बहाव सिंचाई योजना)-
योजनागत

(i) मूल	4,89.80			
		5,38.01	5,41.53	+3.52
पुनर्वि०	48.21			

03- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय -
(फील्ड चैनल)-

योजनागत

(ii) मूल	17.00			
		29.97	29.97	..
पुनर्वि०	12.97			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.08 लाख का आवर्धन लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर
पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय-

योजनागत

मूल	65.00			
		1,15.99	1,15.70	(-)0.29
पुनर्वि०	50.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.99 लाख का आवर्धन बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

योजनागत

मूल	27,38.01			
		27,85.01	27,79.88	(-)5.13
पुनर्वि०	47.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.00 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 03- ग्रामीण एकीकृत विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत गामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

योजनागत

मूल	2,50.20			
		3,27.56	3,27.24	(-)0.32
पुनर्वि०	77.36			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77.36 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत गामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 04- शुद्ध वर्तमान मूल्य सहित मुआवजा पर व्यय-

योजनागत

पूरक	0.01			
		2,39.79	2,39.79	..
पुनर्वि०	2,39.78			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,39.78 लाख का आवर्धन भूमि क्षतिपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 80- सामान्य-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 03- औजार और संयंत्र-मशीनरी एवं उपकरण पर व्यय-

योजनागत

मूल	3,14.79			
		3,77.79	3,77.79	..
पुनर्वि०	63.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.00 लाख का आवर्धन लोक निर्माण विभाग के लिए मशीनरी की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(viii) उच्चत लेन-देन:-

- (i) उच्चत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 52,40.81 लाख (₹ 52,40.81 लाख राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उच्चत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य-सडकें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (xi) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित इस अनुदान में उच्चत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है:

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2017 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
राजस्व शीर्ष				
2059- लोक निर्माण-कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- उच्चत के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक)-	(-)25,57.88	24,97.24	15,15.13	(-)15,75.77*
08- उच्चत के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक विनिर्माण)	+2,74.39	5,47.31	2,21.53	+6,00.17
09- उच्चत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)-	+31,61.60	10,31.58	4,22.32	+37,70.86
कुल 2059	+8,78.11	40,76.13	21,58.98	+27,95.26
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- स्टॉक-	(-)5,06.70	3,99.13	2,51.14	(-)3,58.71*
05- स्टॉक विनिर्माण-	+1,50.20	5.96	0.00	+1,56.16
06- विविध लोक निर्माण अग्रिम-	(-)6.72	51.45	31.92	+12.81
कुल 2215	(-)3,63.22	4,56.54	2,83.06	(-)1,89.74*

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 - (समाप्त)

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2017 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
2702- लघु सिंचाई				
80- सामान्य-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना- उच्चंत-				
08- उच्चंत पर व्यय- (स्टॉक)-	(-)32.18	5,39.55	3,81.07	+1,26.30
09- उच्चंत पर व्यय- (स्टॉक विनिर्माण)-	+82.32	15.02	2.07	+95.27
10- उच्चंत पर व्यय- (विविध लोक निर्माण अग्रिम)	+1,99.15	1,53.57	1,26.91	+2,25.81
कुल- 2702-	+2,49.29	7,08.14	5,10.05	+4,47.38
कुल राजस्व प्रवर्ग-	+7,64.18	52,40.81	29,52.09	+30,52.90
कुल मांग -	+7,64.18	52,40.81	29,52.09	+30,52.90

टिप्पणी:- * ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32- अनुसूचित जाति उपयोजना

(शीर्ष- 2029- भू-राजस्व, 2055- पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला और संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम तथा रोजगार, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- डेरी विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2705- कमान क्षेत्र विकास, 2810- नई तथा नवीकृत उर्जा 2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 3054- सड़कों तथा सेतु, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 3456- नागरिक आपूर्ति, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य, भण्डारण तथा भंडागारण पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	11,26,06,01		
		11,26,06,55	8,04,92,13
पूरक	54		(-)3,21,14,42

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2017) 3,22,26,52

पूँजीगत प्रवर्ग
दत्तमत

मूल	8,23,08,50		
		8,36,09,10	7,36,78,17
			(-)99,30,93
पूरक	13,00,60		

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2017) 73,12,98

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत्त प्रावधान में ₹ 3,21,14.42 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में ₹ 3,22,26.52 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) पूँजीगत प्रवर्ग में दत्तमत्त प्रावधान में ₹ 99,30.93 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में प्राप्त ₹ 13,00.60 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 73,12.98 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अनावश्यक और अप्रयाप्त सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीषों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	-----------------------

2029- सामान्य शिक्षा-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना--
01- भू-अभिलेख अधिकरण का सशक्तिकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मूल	50.00			
		40.00	40.00	..
पुनर्वि०	(-)10.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल	50.00			
		40.00	40.00	..
पुनर्वि०	(-)10.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना--

01- अग्निशमन सेवाओं के लिए राज्य हिस्सा

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना--

01- प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

योजनागत

मूल	4,00.00			
		3,77.11	3,77.11	..
पुनर्वि०	(-)22.89			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.89 लाख की कमी दूरभाष, जल प्रभारों एवं विद्युत बिलों की कम प्राप्ति, सामग्री की कम खरीद एवं रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

03- माध्यमिक पाठशाला-

योजनागत

मूल 18,89.00

6,59.41

6,59.42

+0.01

पुनर्वि० (-)12,29.59

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,29.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों को न रखने, सामग्री की कम खरीद और दूरभाष, जल प्रभारो एवं विद्युत बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- उपहार माध्याह्न भोजन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 25,21.00

23,30.17

23,30.17

..

पुनर्वि० (-)1,90.83

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,90.83 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 80,28.63 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल 1,29.00

1,14.38

1,14.38

..

पुनर्वि० (-)14.62

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.62 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

07- सर्व शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 90,68.00

35,41.11

35,41.11

..

पुनर्वि० (-)55,26.89

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55,26.89 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 1,28,25.46 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

योजनागत

मूल	10,08.00			
		3,93.45	3,93.45	..
पुनर्वि०	(-)6,14.55			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,14.55 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

08- साक्षर भारत योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	21.00			
	
पुनर्वि०	(-)21.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 21.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल	7.00			
	
पुनर्वि०	(-)7.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी जारी नहीं की जा सकी।

11- अभिभावक शिक्षक संघ को
सहायता अनुदान पर व्यय-**योजनागत**

मूल	2,22.00			
		2,01.00	2,01.00	..
पुनर्वि०	(-)21.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

13- अनुसूचित जातियों को लिए
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 11.00

..

पुनर्वि० (-)11.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

16- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 3,32.00

2,42.28

2,42.28

..

पुनर्वि० (-)89.72

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 89.72 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावो, दूरभाष, जल एवं विद्युत बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि मंहगाई भत्ते की किशतों के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 45,34.00

44,98.31

44,98.31

..

पुनर्वि० (-)35.69

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.69 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,32,79.37 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल 5,04.00

3,98.64

3,98.64

..

पुनर्वि० (-)1,05.36

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.36 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

04- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	7,56.00			
		6,16.78	6,16.78	..
पुनर्वि०	(-)1,39.22			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.22 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने के कारण हुई।

योजनागत

मूल	2,52.00			
		44.47	44.47	..
पुनर्वि०	(-)2,07.53			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,07.53 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

13- अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	5,15.00			
		2,82.45	2,82.45	..
पुनर्वि०	(-)2,32.55			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,32.55 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और वित्त पोषण प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 12,72.40 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल	1,70.00			
		94.15	94.15	..
पुनर्वि०	(-)75.85			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.85 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

14- उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 18,89.00

13,93.15

13,93.15

..

पुनर्वि० (-)4,95.85

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,95.85 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल 6,30.00

1,23.79

1,23.79

..

पुनर्वि० (-)5,06.21

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,06.21 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

16- अनुसूचित जाति के छात्रों के

लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 5,50.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)5,50.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

17- महात्मा गाँधी वर्दी योजना-

योजनागत

मूल 61.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)61.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के कार्यन्वयन न होने के कारण कम कर दिया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

18- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(i) मूल	44.00			
		20.42	20.42	..
पुनर्वि०	(-)23.58			
19- स्कूल शिक्षा का पर्यावरण उन्मुखीकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(ii) मूल	2.00			
	
पुनर्वि०	(-)2.00			
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-- 05- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(iii) मूल	22,67.00			
		7,56.00	7,56.00	..
पुनर्वि०	(-)15,11.00			
योजनागत				
(iv) मूल	2,52.00			
		84.00	84.00	..
पुनर्वि०	(-)1,68.00			
2203- तकनीकी शिक्षा-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03- केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मौजूदा राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों का उन्नयन-				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(v) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

04- विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी
शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(vi) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

06- नए बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(vii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 17,07.58 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार के निधियों को प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान/
राजीव गांधी खेल अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 68.00

पुनर्वि० (-)68.00

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

(ii) मूल 8.00

पुनर्वि० (-)8.00

05- राष्ट्रीय सेवा योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

(iii) मूल 38.00

पुनर्वि० (-)38.00

योजनागत

(iv) मूल 13.00

पुनर्वि० (-)13.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,27.00 लाख का समस्त प्रावधान हिस्सेदारी प्रणाली में परिवर्तन के कारण कम कर दिया गया।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं पाश्चात्य
चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-

योजनागत

मूल 5,55.00

4,88.86

4,88.86

..

पुनर्वि० (-)61.14

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.14 लाख की कमी रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों के सरकारी अनुबन्ध में परिवर्तन के कारण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत दवाईयों की कम खरीद, दूरभाष, विद्युत एवं जल प्रभार के बिलों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों की कम तैनाती के कारण हुई। जोकि मंहगाई भत्ते के बकाये के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

417
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

योजनागत				
(i) मूल	6,12.00			
		1,62.61	1,62.61	..
पुनर्वि०	(-)4,49.39			
04- राष्ट्रीय स्वस्थ मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(ii) मूल	70,28.00			
		45,48.17	45,48.17	..
पुनर्वि०	(-)24,79.83			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29,29.22 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
योजनागत				
मूल	7,81.00			
		5,85.00	5,85.00	..
पुनर्वि०	(-)1,96.83			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण के द्वारा प्रावधान में ₹ 1,96.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारा के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी न करने के कारण हुई।				
05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02- राजकीय मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
05- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का सुदृढीकरण-				
योजनागत				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मूल	2,29.00			
		1,78.94	1,78.95	+0.01
पुनर्वि०	(-)50.06			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.06 लाख की कमी मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।				
06- लोक स्वास्थ्य-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01- एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
मूल	5,74.00			
	
पुनर्वि०	(-)5,74.00			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5,74.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2211- परिवार कल्याण-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01- पुरुष/महिला नसंबंधी अनुग्रह राशि-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
मूल	1,50.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,50.00			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान हिस्सेदारी प्रणाली में परिवर्तन के कारण कम कर दिया गया।				
02- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
मूल	1,39.00			
पूरक	0.01
पुनर्वि०	(-)1,39.01			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,39.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- निदेशन तथा प्रशासन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 12,00.00

पूरक 0.01 1,74.30 1,74.30 ..

पुनर्वि० (-)10,25.71

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,25.71 लाख की कमी गलत बजट बनाने के कारण हुई जोकि वेतन भुगतान पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय प्रोग्राम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 6,36.00

पूरक 0.01 87.58 2,73.77 +1,86.19

पुनर्वि० (-)5,48.43

₹ 1,86.19 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,48.43 लाख की कमी हिस्सेदारी प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,86.19 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- इन्दिरा आवास योजना-

योजनागत

मूल 1,01.00

पुनर्वि० (-)1,01.00

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01.00 लाख का समस्त प्रावधान सहायता अनुदान मामलों की प्राप्ति न हाने के कारण कम कर दिया गया।

04- राजीव आवास योजना-

योजनागत

मूल 2,77.00

2,76.90

2,61.95

(-)14.95

पुनर्वि० (-)0.10

₹ 14.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- स्मार्ट सिटी मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 23.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)23.00

योजनागत

(ii) मूल 3.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)3.00

04- प्रधानमन्त्री आवास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iii) मूल 2,27.00

91.40

91.40

..

पुनर्वि० (-)1,35.60

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,61.60 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मूल	25.00			
		9.14	9.14	..
पुनर्वि०	(-)15.86			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.86 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक का कल्याण-				
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02- निदेशन तथा प्रशासन-				
योजनागत				
मूल	6,04.00			
		3,28.23	3,28.25	+0.02
पुनर्वि०	(-)2,75.77			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,75.77 लाख की कमी विविध वस्तुओं पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, विभागीय कार्यकलापों के प्रचार पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि भवनों के रखरखाव, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
12- कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रोग्राम- केन्द्रीय योजना				
योजनागत				
(i) मूल	2,00.00			
		1,26.97	1,26.97	..
पुनर्वि०	(-)73.03			
योजनागत				
(ii) मूल	18.00			
		2.18	2.18	..
पुनर्वि०	(-)15.82			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.85 लाख की कमी विभिन्न वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई।				
13- अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(i) मूल	29.00			
		1.93	1.93	..
पुनर्वि०	(-)27.07			
योजनागत				
(ii) मूल	50.00			
		22.47	22.47	..
पुनर्वि०	(-)27.53			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.60 लाख की कमी क्षतिपूर्ति प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
14- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
2230- श्रम रोजगार तथा कौशल विकास-				
03- प्रशिक्षण-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01- व्यावसायिक शिक्षा पर व्यय-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
योजनागत				
मूल	1,51.00			
		1,00.14	1,00.13	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)50.86			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.86 लाख की कमी मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और कच्चे माल की कम खरीद के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	49,42.00			
पूरक	0.01	36,29.43	36,29.43	..
पुनर्वि०	(-)13,12.58			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,12.58 लाख की कमी दूरभाष, जल, विद्युत बिलों की कम प्राप्ति, सामग्री की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने, अन्य विभिन्न वस्तुओं, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक, वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल	5,49.00			
		2,58.22	2,58.22	..
पुनर्वि०	(-)2,90.78			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,90.78 लाख की कमी विभिन्न वस्तुओं पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, मानदेय पर कम व्यय एवं सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

04- मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना-

योजनागत

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

10- विशेष महिला उत्थान योजना-

योजनागत

(ii) मूल	25.00			
	
पुनर्वि०	(-)25.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

13- मदर टेरेसा योजना-

योजनागत

(iii) मूल 1,90.00

1,69.10

1,69.10

..

पुनर्वि० (-)20.90

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.90 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

14- समेकित शिशु कल्याण सेवा-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 89.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)89.00

18- विकलांग बच्चों का कल्याण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 9.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)9.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 98.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षा कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सामाजिक सुरक्षा योजना के

अन्तर्गत विधवा पेंशन-

योजनागत

(i) मूल 15,95.00

15,07.60

15,10.13

+2.53

पुनर्वि० (-)87.40

05- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा

पेंशन योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

योजनागत

(ii) मूल	2,53.28			
		2,34.20	2,34.19	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)19.08			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,06.48 लाख की कमी नए पेंशन मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2236- पोषण-

02- पोषक खाद्य तथा सुपेय
पदार्थों का वितरण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति के विशेष पोषाहार कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	14,69.00			
		10,55.93	10,55.93	..
पुनर्वि०	(-) 4,13.07			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,13.07 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2401- फसल कृषि कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

11- फसल बीमा योजना-

योजनागत

मूल	29.00			
	
पुनर्वि०	(-)29.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 29.00 लाख का समस्त प्रावधान किसानों से बीमा मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

15- फूलों की खेती का विकास-

केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल	6.00			
		4.31	4.78	+0.47
पुनर्वि०	(-)1.69			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.69 लाख की कमी पुष्प सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

25- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	8,30.00			
		3,37.73	3,37.37	..
पुनर्वि०	(-) 4,92.27			

योजनागत

(ii) मूल	92.00			
		37.89	37.89	..
पुनर्वि०	(-)54.11			

26- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यान)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iii) मूल	2,38.00			
		2,17.19	2,17.13	(-)0.06
पुनर्वि०	(-) 20.81			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,67.19 लाख की कमी राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के द्वारा कम परियोजनाओं को अनुमोदन दिये जाने के कारण हुई।

27- कृषि विविधता-

योजनागत

मूल	21,96.00			
		13,75.00	13,75.00	..
पुनर्वि०	(-)8,21.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,21.00 लाख की कमी परियोजना में दिये गये भौतिक आकस्मिकता, मूल वृद्धि कर और अन्य करों पर कम व्यय के कारण हुई।

28- सेब और आम के लिए मौसम
आधारित फसल बीमा योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मूल	2,52.00				
पुनर्वि०	(-)2,52.00				
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,52.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
31- उत्तर पूर्व एवं हिमालयन राज्यों के लिए उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित कृषि योजना-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजनागत					
मूल	2,82.00				
पुनर्वि०	(-)2,82.00				
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,82.00 लाख का समस्त प्रावधान उपदान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
32- तिलहन तथा तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन -					
योजनागत					
मूल	2.00				
पुनर्वि०	(-)2.00				
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण कम कर दिया गया।					
33- विस्तार तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजनागत					
(i) मूल	4,53.00				
		3,19.53	3,19.53		..
पुनर्वि०	(-)1,33.47				
योजनागत					
(ii) मूल	50.00				
		35.50	35.48		(-)0.02
पुनर्वि०	(-)14.50				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.97 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

35- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 4,53.00

2,33.51

2,33.51

..

पुनर्वि० (-)2,19.49

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.49 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल 50.00

19.63

19.63

..

पुनर्वि० (-)30.37

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.37 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

36- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 3,63.00

1,97.62

1,97.62

..

पुनर्वि० (-)1,65.38

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.38 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल 40.00

21.96

21.95

(-)0.01

पुनर्वि० (-)18.04

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.04 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

38- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 - (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	8,06.00			
पूरक	0.01	2,50.00	2,50.00	..
पुनर्वि०	(-)5,56.01			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,56.01 लाख की कमी हिस्सेदारी प्रणाली में बदलाव के कारण हुई।

योजनागत

मूल	2,02.00			
		27.78	27.78	..
पुनर्वि०	(-)1,74.22			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.22 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

39- खेत जल प्रबंधन योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

योजनागत

मूल	13.00			
	
पुनर्वि०	(-)13.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 13.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2403- पशुपालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

11- पशु रोग नियंत्रण हेतु

राज्य सहायता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

(i)	मूल	69.11			
			26.97	26.97	..
	पुनर्वि०	(-)42.14			
	योजनागत				
(ii)	मूल	49.00			
			2.95	2.95	..
	पुनर्वि०	(-)46.05			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.19 लाख की कमी रोग नियन्त्रण टीकों की कम खरीद के कारण हुई।				
14-	व्यावसायिक निपुणता विकास योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सा परिषद के लिए सहायता अनुदान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
	योजनागत				
(i)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
15-	पशुधन गणना-				
	योजनागत				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्र की हिस्सेदारी प्राप्त न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।				
16-	पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स नियंत्रण कार्यक्रम-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

योजनागत

मूल	4.00			
पूरक	0.01	1.31	0.78	(-)0.53
पुनर्वि०	(-)2.70			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.70 लाख की कमी रोग नियंत्रण टीकों की कम खरीद के कारण हुई

17- ब्रूसीलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	2.66			
पुनर्वि०	(-)2.66

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.66 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल	2.00			
पुनर्वि०	(-)2.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने और राज्य को हिस्सेदारी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

2405- मछली पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- मछुआरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	23.00			
पुनर्वि०	(-)23.00

योजनागत

(ii) मूल	9.00			
पुनर्वि०	(-)9.00

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना में निधियों के आबटन न बदलाव के कारण कम कर दिया गया।

- 05- अन्तर्देशीय मत्स्य पालन एवं
एक्वाकल्चर का विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 6.00

पुनर्वि० (-)6.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना के विलय के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना में परिवर्तन के कारण कम कर दिया गया।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- स्वां नदी परियोजना-

योजनागत

मूल 25.00

1.00

1.00

..

पुनर्वि० (-) 24.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.00 लाख की कमी विभिन्न मदों पर कम व्यय के कारण हुई।

- 08- हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम
जलावायु प्रूफिंग प्रोजेक्ट
(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

योजनागत

मूल	10,08.00			
पूरक	0.01	42.02	41.85	(-)0.17
पुनर्वि०	(-)9,65.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,65.99 लाख की कमी सहायता अनुदान मामलों की प्राप्ति न होने, विभिन्न मदों पर कम व्यय, रख रखाव कार्यों का निष्पादन न होने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक तैनाती से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 09- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	73.00			
पुनर्वि०	(-)73.00			

- 10- एकीकृत उद्यान विकास मिशन के अन्तर्गत
राष्ट्रीय बांस (बम्बू) मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजनागत

(ii) मूल	60.00			
पुनर्वि०	(-)54.07	5.93	5.33	(-)0.60

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,27.07 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

मूल	15.00			
पुनर्वि०	(-)14.48	0.52	0.52	..

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.48 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

- 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

- 01- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 71.00

..

पुनर्वि० (-)71.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 71.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 18.00

..

पुनर्वि० (-)18.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

2425- सहकारिता-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- उपदान-

योजनागत

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 25,19.00

8,74.00

8,74.00

..

पुनर्वि० (-)16,45.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,46.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों के कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मूल	2,52.00			
		97.12	97.11	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,54.88			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,54.88 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य हिस्से के कम जारी होने के कारण हुई।				
03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
मूल	2,27.00			
पूरक	0.01	27.49	27.49	..
पुनर्वि०	(-)1,99.52			
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.52 लाख की कमी गलत बजट बनाने के कारण हुई जोकि भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
योजनागत				
मूल	25.00			
		3.06	3.05	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)21.94			
मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.94 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण हुई।				
04- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजनागत				
(i) मूल	3,97.00			
	
पुनर्वि०	(-)3,97.00			
योजनागत				
(ii) मूल	44.00			
	
पुनर्वि०	(-)44.00			
05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आजीविका कौशल-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 - (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजनागत			
(iii)	मूल	1,13.00	
		
	पुनर्वि०	(-)1,13.00	
योजनागत			
(iv)	मूल	13.00	
		
	पुनर्वि०	(-)13.00	
2505- ग्रामीण रोजगार-			
01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
02- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजनागत			
(v)	मूल	1,36,03.00	
		
	पुनर्वि०	(-)1,36,03.00	
उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,41,70.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।			
योजनागत			
	मूल	15,11.00	
			11,81.60 11,81.60 ..
	पुनर्वि०	(-)3,29.40	
मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,29.40 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण और राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।			
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
03- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजनागत			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

(i) मूल 60.00

पुनर्वि० (-)60.00

योजनागत

(ii) मूल 15.00

पुनर्वि० (-)15.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने और राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी जारी न होने के कारण हुई।

2705- कमान क्षेत्र विकास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कमान क्षेत्र विकास-

योजनागत

मूल 6,80.00

6,57.47

6,57.47

..

पुनर्वि० (-)22.53

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.53 लाख की कमी रखरखाव कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

2810- नई तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा-

01- जैव ऊर्जा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद

प्रबंधन कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 10.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया। सुधार पर्ची संख्या 650 दिनांक 15-09-2008 के अनुसार उपरोक्त उप-मुख्य शीर्ष 01-बायोगैस को हटा दिया गया है तथा इस लघु शीर्ष को

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

103-शहरी औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोगों के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा के रूप में पढ़ा जाये।

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

20- लघु उद्योग इकाइयों
को उपदान-

योजनागत

(i) मूल	20.00			
		4.28	4.28	..
पुनर्वि०	(-)15.72			

22- बाँस शिल्प के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र-
केन्द्रीय योजना

योजनागत

(ii) मूल	4.00			
	
पुनर्वि०	(-)4.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.72 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	38.00			
	
पुनर्वि०	(-)38.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों को सीधे एजेंसी को कार्यान्वित करने के कारण कम कर दिया गया।

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और संवर्धन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

योजनागत

मूल 3,00.00

पुनर्वि० (-)3,00.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए मांग न होने के कारण कम कर दिया गया।

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-

60- अन्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राज्य स्तरीय एडुसैट नेटवर्क
की स्थापना-

योजनागत

मूल 5.00

पुनर्वि० (-) 2.75

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.75 लाख की कमी लाभार्थियों से सहायता अनुदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अग्नि शमन सेवाओं के लिए
राज्य हिस्सा-

योजनागत

मूल 1.00

पूरक 0.01

पुनर्वि० 9.34

10.35

9.35

(-)1.00

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

₹ 1.00 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.34 लाख का आवर्धन लंबित बिलों/देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1.00 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2202- सामान्य शिक्षा-

02- प्रारम्भिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- माध्यमिक विद्यालय-

योजनागत

मूल 9,00.00

17,24.89

17,24.89

..

पुनर्वि० 8,24.89

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,24.89 लाख का आवर्धन बकाया मंहगाई भत्ते के भुगतान, छात्रवृत्ति के लिए अधिक छात्रों की पात्रता और सूचना प्रौद्योगिकी छात्रों को विद्यालय शुल्क में उपदान देने के कारण हुआ जोकि सामग्री की कम खरीद एवं दूरभाष, विद्युत और जल प्रभार बिलों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

15- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 3.00

4.00

4.00

..

पुनर्वि० 1.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

18- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)-

योजनागत

पूरक 0.01

4.48

4.48

..

पुनर्वि० 4.47

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.47 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी अधिक जारी होने के कारण हुआ।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- अनुसूचित जाति के छात्रों को

मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 3,81.00

24,00.00

24,00.00

..

पुनर्वि० 20,19.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,19.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से ₹ 24,00.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजनागत

मूल 3,81.00

5,92.00

5,91.80

(-)0.20

पुनर्वि० 2,11.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,11.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी अधिक जारी होने के कारण हुआ।

2203- तकनीकी शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- बहुतकनीक योजना द्वारा

सामुदायिक विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 1.00

9.29

9.29

..

पुनर्वि० 8.29

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.29 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

- 04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं -अन्य चिकित्सा पद्धतियां-
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-
01- आयुर्वेदिक औषधालय-

योजनागत

पूरक	8,00.00			
		9,88.12	9,88.77	+0.65
पुनर्वि0	1,88.12			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,88.12 लाख का आवर्धन बकाया अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

- 03- वर्तमान आयुष संस्थानों का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	0.50			
पूरक	0.03	2,35.36	2,61.59	+26.23
पुनर्वि0	2,34.83			

₹ 26.23 लाख की अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,34.83 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 26.23 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

योजनागत

मूल	1.00			
पूरक	0.06	47.03	20.80	(-)26.23
पुनर्वि0	45.97			

₹ 26.23 लाख के अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.97 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी अधिक जारी होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 26.23 लाख के अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2211- परिवार कल्याण-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-
04- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1,10.00			
पूरक	0.01	11,44.17	11,44.17	..
पुनर्वि०	10,34.16			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,34.16 लाख का आवर्धन वेतन भुगतान के कारण हुआ जोकि गलत बजट बनाने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

05- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	0.01			
		1,08.28	1,08.27	(-)0.01
पुनर्वि०	1,08.27			

मार्च 2017 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.27 लाख का अत्याधिक आवर्धन वेतन भुगतान के कारण हुआ।

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

योजनागत

पूरक	0.01			
		87.58	80.16	(-)7.42
पुनर्वि०	87.57			

₹ 7.42 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.57 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी अधिक जारी होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 7.42 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 - (क्रमशः)

02- इंदिरा आवास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 9,07.00

14,33.39

14,33.39

..

पुनर्वि0 5,26.39

2217- शहरी विकास-

04- गन्दी बस्तियों का विकास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- राष्ट्रीय शहरीर आजीविका मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 2,72.00

3,69.52

3,69.52

..

पुनर्वि0 97.52

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,23.91 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- आवास-

योजनागत

मूल 17,00.00

19,98.50

19,98.50

..

पुनर्वि0 2,98.50

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,98.50 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से उपदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

11- बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता-

योजनागत

मूल	30.00			
		55.00	55.00	..
पुनर्वि०	25.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन वित्तीय सहायता के प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

17- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-

योजनागत

पूरक	0.01			
		7.15	7.15	..
पुनर्वि०	7.14			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.14 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2401- फसल कृषि कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- पौध संरक्षण-

योजनागत

मूल	2.00			
		6.93	6.93	..
पुनर्वि०	4.93			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.93 लाख का आवर्धन उपदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

28- सेब और आम के लिए मौसम आधारित

कृषि बीमा योजना-

योजनागत

मूल	1,26.00			
		2,32.00	2,32.00	..
पुनर्वि०	1,06.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,06.00 लाख का आवर्धन बीमा मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

43- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	0.01			
		13.00	13.00	..
पुनर्वि०	12.99			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ।

योजनागत

पूरक	0.01			
		5.52	5.52	..
पुनर्वि०	5.51			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.51 लाख का आवर्धन केंद्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	23.00			
		2,00.00	2,00.00	..
पुनर्वि०	1,77.00			

योजनागत

(ii) मूल	3.00			
		22.22	22.22	..
पुनर्वि०	19.22			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,96.22 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए अधिक निधियों जारी करने के कारण हुआ जोकि गलत बजट बनाने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2403- पशुपालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

16- पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स
नियन्त्रण कार्यक्रम -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	4.20			
पूरक	0.01	7.85	8.72	+0.87
पुनर्वि०	3.64			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.64 लाख का आवर्धन उपकरणों एवं रोग नियन्त्रण टीकों की अधिक खरीद और भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

20- राष्ट्रीय पशुधन मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	0.02			
		37.38	37.38	..
पुनर्वि०	37.36			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.36 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजनागत

पूरक	0.01			
		12.98	12.98	..
पुनर्वि०	12.97			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.97 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य हिस्सेदारी के अधिक जारी होने के कारण हुआ।

2405- मछली पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- कार्प फार्मों का विकास
एवं रखरखाव-

योजनागत

मूल	17.00			
पूरक	0.01	26.00	26.00	..
पुनर्वि०	8.99			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.99 लाख का आवर्धन मछुआरों से उपदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि पंचायतों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

06- आदर्श मछुआरों के गांव का विकास -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक 0.01

9.38

9.38

..

पुनर्वि० 9.37

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.37 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

07- नील क्रांति एकीकृत मत्स्य

पालन प्रबन्धन एवं विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) पूरक 0.02

1,73.00

1,73.00

..

पुनर्वि० 1,72.98

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- वन प्रबंधन का तीव्रीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 75.00

1,20.18

1,20.05

(-)0.13

पुनर्वि० 45.18

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,18.16 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

2425- सहकारिता -

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- उपदान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1.00			
पूरक	0.01	20.33	20.33	..
पुनर्वि०	19.32			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.32 लाख का आवर्धन गोदाम के नवीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिक उपदान जारी करने के कारण हुआ।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समेकित ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- ग्रामीण ऊर्जा के अपराम्परागत स्रोत

एकीकृत ग्रामीण उर्जा योजना-

केन्द्रीय योजना

योजनागत

पूरक	0.01			
		55.38	55.38	..
पुनर्वि०	55.37			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.37 लाख का आवर्धन अधिक सौर लाईटें लगाने के कारण हुआ।

06- स्व रोजगार कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण

कौशल योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	0.01			
		11,22.72	11,22.72	..
पुनर्वि०	11,22.71			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,22.71 लाख का अत्याधिक आवर्धन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

पूरक	0.01			
		1,24.75	1,24.75	..
पुनर्वि०	1,24.74			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24.74 लाख का अत्याधिक आवर्धन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य हिस्सेदारी अधिक जारी करने के कारण हुआ।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पंचायती राज सहायता-

योजनागत

मूल	1,50.00			
		3,15.00	3,15.00	..
पुनर्वि०	1,65.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.00 लाख का आवर्धन समुदायिक केंद्रों के प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

04- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	22,67.00			
पूरक	0.01	40,92.73	40,92.73	..
पुनर्वि०	18,25.72			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,25.72 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि हिस्सेदारी प्रणाली में परिवर्तन से हुई बचत के अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

योजनागत

मूल	2,52.00			
पूरक	0.01	4,54.75	4,54.75	..
पुनर्वि०	2,02.74			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,02.74 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य हिस्सेदारी अधिक जारी करने के कारण हुआ जोकि हिस्सेदारी प्रणाली में परिवर्तन से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- रेशम उद्योग का विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 29.00

41.40

41.40

..

पुनर्वि0 12.40

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.40 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजनागत

मूल 3.00

पूरक 0.05

1,02.21

1,02.20

(-)0.01

पुनर्वि0 99.16

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.16 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग, कार्यों का अधिक निष्पादन, कच्चे माल पर अधिक व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिक आयोजन, विविध वस्तुओं पर अधिक व्यय, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

19- ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-

केन्द्रीय योजना

योजनागत

मूल 40.00

54.62

54.62

..

पुनर्वि0 14.62

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.62 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ।

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास-

योजनागत

मूल 18.00

31.58

31.58

..

पुनर्वि0 13.58

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.58 लाख का आवर्धन सहायता अनुदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

29- राज्य उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम-
योजनागत

मूल	1.00			
		2,00.94	2,00.93	(-)0.01
पुनर्वि०	1,99.94			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.94 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीषों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- न्यायपालिका अधारिक

संरचना का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	7.00
पुनर्वि०	(-)7.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा में ₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल	77.00			
		76.00	18.00	(-)58.00
पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 58.00 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

4202- शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- कॉलेज भवनों का निर्माण-

योजनागत

मूल 9,06.00

8,51.50

8,51.50

..

पुनर्वि0 (-)54.50

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.50 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

02- तकनीकी शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- बहुतकनीकी संस्थानों का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1.00

04- महिला छात्रावासों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

योजनागत

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

मूल	13,65.00			
		12,83.29	12,83.29	..
पुनर्वि०	(-)81.71			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.71 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

**4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता
पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

08- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	36,03.00			
पूरक	0.01	36,03.00	15,81.26	(-)20,21.74
पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 20,21.74 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

योजनागत

मूल	4,71.00			
पूरक	0.01	5,90.41	1,98.24	(-)3,92.17
पुनर्वि०	1,19.40			

₹ 3,92.17 लाख के अत्याधिक अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,19.40 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी अधिक जारी करने के कारण हुआ जोकि हिस्सेदारी प्रणाली में हुए परिवर्तन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ तथा अवास्तविक सिद्ध हुआ।

₹ 3,92.17 लाख की अत्याधिक अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

**4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के
कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कन्या छात्रावास के

भवनों का निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	1,25.00			
		1,01.15	1,01.15	..
पुनर्वि०	(-)23.85			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.85 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।

योजनागत

(i) मूल	1,25.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,25.00			

03- बाबू जगजीवन राम कन्या छात्रावास-

योजनागत

(ii) मूल	50.00			
	
पुनर्वि०	(-)50.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,75.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- बहुउद्देशीय समुदाय आंगनवाड़ी केंद्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल	2,07.00			
	
पुनर्वि०	(-)2,07.00			

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

06- कौंसिल झरेडा मंडप परियोजना पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 23.00

..

पुनर्वि० (-)23.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,30.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 2.50

..

पुनर्वि० (-)2.50

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी के प्राप्ति न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

08- पारछू खड्ड में वर्षा जल संचयन संरचना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 23.00

..

पुनर्वि० (-)23.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 23.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 2.50

..

पुनर्वि० (-)2.50

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी के प्राप्ति न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

20- फीना सिंह पारियोजना (गैर-व्यावसायिक)-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- फीना सिंह परियोजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 6,80.00

..

पुनर्वि० (-)6,80.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6,80.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 76.00

..

पुनर्वि० (-)76.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 76.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

21- नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 5,88.00

4,41.00 4,41.00 ..

पुनर्वि० (-)1,47.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 65.00

48.76 48.76 ..

पुनर्वि० (-)16.24

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.24 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण हुई।

25- मध्यम सिंचाई योजना (सुक्का हार)

(गैर-वाणिज्यिक)-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- काँगड़ा जिले में सुक्का हार परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 23.00

..

पुनर्वि0 (-)23.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 23.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 2.50

..

पुनर्वि0 (-)2.50

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

02- मध्यम सिंचाई परियोजना

प्रीणी जिला कुल्लू-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 23.00

..

पुनर्वि0 (-)23.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 23.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 2.50

..

पुनर्वि0 (-)2.50

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्त न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक उठाऊ
सिंचाई परियोजना-

योजनागत

(i) मूल	7,62.00			
		7,31.19	7,16.44	(-)14.75
पुनर्वि०	(-)30.81			

05- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में
बहाव परिवर्तन सिंचाई योजना-

योजनागत

(ii) मूल	5,92.00			
		5,41.59	5,56.34	+14.75
पुनर्वि०	(-)50.41			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.22 लाख की कमी
संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

06- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल	17,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)17,00.00			

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 17,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां
प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल	1,89.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,89.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,89.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी
प्राप्त न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

07- विभिन्न जिलों में जल प्रवाह

बहाव सिंचाई योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 11,34.00

..

पुनर्वि० (-)11,34.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 11,34.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 1,26.00

..

पुनर्वि० (-)1,26.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,26.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

09- जल विज्ञान परियोजना-

योजनागत

मूल 1,00.00

..

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कमान क्षेत्र विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 7,56.00

पूरक 0.01

51.51

61.51

+10.00

पुनर्वि० (-)7,04.50

योजनागत

(ii) मूल 76.00

पूरक 0.01

6.18

6.18

..

पुनर्वि० (-)69.83

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,74.33 लाख की अत्याधिक कमी हिस्सेदारी प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुई।

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियंत्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- सीर खड्ड का जाहू खड्ड से बमसन तक तटीयकरण (बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 5.00

..

पुनर्वि० (-)5.00

07- मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में सीर खड्ड का बर्छावाड़ से जाहू तक तटीयकरण (बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 12.00

..

पुनर्वि० (-)12.00

08- सुंकर बाटा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(iii) मूल 5.00

..

पुनर्वि० (-)5.00

09- पंजाब सीमा तक स्वां नदी का तटीयकरण (फेज-III) - केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

योजनागत

(iv) मूल 3,02.00

पुनर्वि० (-)3,02.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,24.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 76.00

पुनर्वि० (-)76.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 76.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी के प्राप्त न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया ।

- 10- बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण

योजनागत

मूल 1,76.00

पुनर्वि० (-)1,76.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,76.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

- 11- जिला उन्ना में लिकरी खड्ड का तटीयकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

- 12- तहसील इन्दौरा में छौंछ खड्ड का बाढ़ नियंत्रण कार्य (बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

योजनागत

(ii) मूल 4,03.00

..

पुनर्वि० (-)4,03.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4,06.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 1,01.00

..

पुनर्वि० (-)1,01.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,01.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

13- जिला कुल्लू में पलचान से
औट तक तटीयकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(i) मूल 25.00

..

पुनर्वि० (-)25.00

14- नादौन, हमीरपुर, ज्वालामुखी और रक्कड़ जिला
हमीरपुरमें ब्यास नदी और उसकी सहायक
नदियों का तटीयकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

(ii) मूल 3.00

..

पुनर्वि० (-)3.00

15- पब्वर नदी जिला शिमला
का तटीयकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

(iii) मूल 6,05.00

..

पुनर्वि० (-)6,05.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6,33.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजनागत

मूल 1,51.00

..

पुनर्वि० (-)1,51.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,51.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने और राज्य की हिस्सेदारी जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

16- जब्बार और गरली खण्ड
जिला कांगडा तटीयकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

मूल 3.00

..

पुनर्वि० (-)3.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

**4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर
पूँजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- जिला उद्योग केंद्र भवन-

योजनागत

मूल 4,10.00

..

पुनर्वि० (-)4,10.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4,10.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

5054- सड़कों और सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

03-	राज्य उच्च मार्ग-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राज्य उच्चमार्ग-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(i)	मूल	7,56.00	7,56.00	5,28.99	(-)2,27.01
02-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के				
	अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-				
	योजनागत				
(ii)	मूल	74,08.00	74,08.00	73,27.03	(-)80.97
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजनागत				
(iii)	मूल	1,30.00	1,30.00	38.81	(-)91.19
02-	उच्च मार्गों के साथ पंचायतों				
	के लिंक रोड़ द्वारा जोड़ना-				
	योजनागत				
(iv)	मूल	5,00.00	5,00.00	4,89.68	(-)10.32
04-	पुलों का निर्माण-				
	योजनागत				
(v)	मूल	25,00.00	25,00.00	21,03.57	(-)3,96.43
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 8,05.92 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।				
6225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े				
	वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए				
	ऋण पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

- 02- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-

योजनागत

मूल 30.00

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान ऋण मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

- (v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पुल युक्त गैर आवासीय भवन-

योजनागत

मूल 50.00 50.00 1,08.05 +58.05

₹ 58.05 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (माध्यमिक शिक्षा)-

योजनागत

(i) मूल 8,60.00

पूरक 96.84 10,20.88 10,20.88 ..

पुनर्वि० 64.04

4215- जलपूर्ति तथा स्वच्छता पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32 -(क्रमशः)

02- विभिन्न जिलों में ग्रामीण
जल आपूर्ति योजनाएं-

योजनागत

(ii) मूल	38,00.00			
पूरक	5,91.46	44,94.85	44,94.85	..
पुनर्वि०	1,03.39			

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विभिन्न जिलों में नल-कूप योजनाएँ-

योजनागत

(iii) मूल	60.00			
पूरक	37.40	1,88.17	1,88.17	..
पुनर्वि०	9,90.77			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,58.20 लाख का आवर्धन शुरू किए गए कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ।

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर
पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियंत्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना--

01- स्टॉक (खाद्य नियंत्रण)-

योजनागत

पूरक	2,00.00			
		1,73.57	2,00.33	+26.76
पुनर्वि०	(-)26.43			

₹ 26.76 लाख की अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.43 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 26.76 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

10- दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी
सहायक नदियों का तटीयकरण (iv)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 32 -(समाप्त)

मूल	6,49.00			
पूरक	1,41.98	10,00.07	10,00.07	..
पुनर्वि०	2,09.09			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,09.09 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति और शुरू किए गए कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ।

**4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर
पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-
03- आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों का सृजन-

योजनागत

मूल	6,42.00			
		10,52.00	10,52.00	..
पुनर्वि०	4,10.00			

मार्च 2017 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,10.00 लाख का आवर्धन आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जगह को विकसित करने के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना--
01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

योजनागत

(i) मूल	70,00.00			
पूरक	2,37.84	70,00.00	74,05.82	+4,05.82
पुनर्वि०	(-)2,37.84			

03- प्रतिपूरक पौधरोपण (वन विभाग के शुद्ध
वर्तमान मूल्य और भुगतान)-

योजनागत

(ii) मूल	2,00.00			
		1,61.43	3,20.61	+1,59.18
पुनर्वि०	(-)38.57			

उपरोक्त दो मामलों ₹ 5,65.00 लाख की अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2017 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,76.41 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,65.00 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2017)।

विनियोग लेखे

परिशिष्ट

(सभी दत्तमत)

(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2016-17 के लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुदानवार विवरण:-

अनुदान संख्या व नाम	बजट प्राकल्लन		वास्तविक आंकड़े		बजट प्राकल्लनों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	वृद्धि (+) राजस्व	हास (-) पूँजीगत
1	2	3	4	5	6	7
(₹ हजार में)						
10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-	11,29,97,45	..	14,19,64,49	..	+2,89,67,04	..
11-कृषि-	..	37,92,36	..	40,40,63	..	+2,48,27
12-उद्यान-	..	12,31,52	..	12,58,32	..	+26,80
13-सिंचाई जलापूर्ति तथा स्वच्छता-	8,30,54,60	..	10,61,18,50	..	+2,30,63,90	..
31-जनजातीय विकास-	1,34,66,54	..	97,97,00	..	(-)36,69,54	..
सकल जोड़	20,95,18,59	50,23,88	25,78,79,99	52,98,95	+4,83,61,40	+2,75,07

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in